




नगरपालिकाओं  
के  
सामान्य आम चुनाव ( द्वितीय )  
दिसम्बर 1999

|||

प्रतिवेदन-वर्ष 2001

|||

मध्यप्रदेश  
राज्य निर्वाचन आयोग



## प्रावक्तव्य

पंचायतों तथा नगरपालिकाओं को स्थानीय स्वशासन की सुदृढ़ि, कार्यक्षम और ऊर्जावान इकाईयां बनाने के उद्देश्य से संविधान में तिहत्तरवें तथा चौहत्तरवें संशोधनों के माध्यम से जो अनेक प्रावधान किए गए हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण प्रावधान (अनुच्छेद 243 ट, सहपठित अनुच्छेद 243 य क), इन संस्थाओं के नियमित और निरंतर चुनावों के लिए प्रत्येक राज्य में एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन फरवरी, 1994 में हुआ और आयोग ने मई-जून 1994 में पंचायतों के तथा नवम्बर-दिसम्बर 1994 में नगरपालिकाओं के निर्वाचन सम्पन्न कराये। देश में नई संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत गठित त्रिस्तरीय पंचायतों और नगरपालिकाओं का निर्वाचन कराने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य था। आयोग द्वारा नगरपालिकाओं के द्वितीय आम निर्वाचन नवम्बर-दिसम्बर 1999 में सम्पन्न कराए गए।

मध्यप्रदेश में कुल मिलाकर 334 नगरपालिकाएं गठित की गई हैं, जिनमें 234 नगर पंचायतें, 86 नगरपालिका परिषदें तथा 14 नगर निगम सम्मिलित हैं। इनमें से 308 नगरपालिकाओं (नगर निगम 13 नगरपालिका परिषदें 77 तथा नगर पंचायतें 218) के लिए नवम्बर-दिसम्बर 1999 में निर्वाचन कराये गये। इन नगरपालिकाओं में 5751 वार्ड थे। इन 5751 वार्डों में से 5756 वार्डों में निर्वाचन कराए गए। एक वार्ड में आयोग द्वारा निर्वाचन स्थगित किया गया। इन 5756 वार्डों में 21637 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में उतरे। जबकि नगरपालिक निगम के महापौर (13 सीट) के लिये 136, नगरपालिका परिषद् के अध्यक्ष (77 सीट) के लिये 585 एवं नगर पंचायत के अध्यक्ष (218 सीट) के लिये 2064 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा। नगर निगमों तथा नगरपालिका परिषदों के लिए चुनाव दलीय आधार पर अर्थात् राजनैतिक दलों के निर्वाचन प्रतीकों पर हुए जबकि नगर पंचायतों के लिए चुनाव दलीय आधार पर नहीं लड़े गए।


हालांकि विधि अथवा नियमों में चुनावों के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा कोई प्रतिवेदन प्रकाशित किए जाने की अपेक्षा नहीं की गई है, तथापि आयोग ने ऐसा करना उपयुक्त समझा है ताकि संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत कराये गये इन चुनावों का प्रामाणिक विवरण भावी संदर्भ के लिए उपलब्ध हो सके। आयोग को आशा है कि यह प्रयास इस विषय में रुचि रखने वाले लोगों को स्थानीय संस्थाओं के आम चुनावों की तैयारी, महत्वपूर्ण घटनाओं और अनुभवों की जानकारी देने के साथ ही एक ही स्थान पर आवश्यक सांख्यिकी जानकारी उपलब्ध कराने में उपयोगी सिद्ध होगा।

राज्य में नगरपालिकाओं के इतने बड़े और व्यापक निर्वाचन में निर्वाचन कार्मिकों और विशेषतः जिला प्रशासन को अत्यधिक परिश्रम करना पड़ा। मुझे यह कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि निर्वाचन मशीनरी ने इस कार्य को कुशलतापूर्वक अंजाम देकर अपनी कार्यक्षमता और विश्वसनीयता प्रामाणित की है।

मैं, राज्य सरकार, विभिन्न राजनैतिक दलों तथा अभ्यार्थियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिनके विपुल सहयोग के बिना इतने व्यापक पैमाने पर निर्वाचन स्वतंत्रता और निष्पक्षता से सम्पन्न कराना संभव नहीं था।

भोपाल :  
दिनांक 27 दिसम्बर 2001

  
( गोपालशरण शुक्ल )  
राज्य निर्वाचन आयुक्त  
मध्यप्रदेश।




## अनुक्रमणिका

अध्याय क्रमांक (1)	कंडिका क्रमांक (2)	संक्षिप्त विषय (3)	पृष्ठ क्रमांक (4)
1		नगरपालिका निर्वाचन 1999 - एक दृष्टि में	01
2		पृष्ठ भूमि, नगरपालिकाओं का गठन एवं वार्ड निर्धारण	02-09
	(1)	पृष्ठ भूमि	02
	(2)	नगरपालिकाओं का गठन	02
	(3)	प्रदेश की नगरपालिकाओं के संबंध में संक्षिप्त जानकारी	03
	(4)	वार्डों का परिसीमन	3-4
	(5)	महापौर/अध्यक्ष तथा वार्डों (पार्षद पदों) का आरक्षण	4-6
	(6)	आरक्षण प्रावधानों की वैधता को चुनौती देते हुए माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिकाएं.	6-7
	(7)	नगरीय निकायों के निर्वाचन की संक्षिप्त जानकारी	7-8
	(8)	निर्वाचन व्यय सीमा	08
	(9)	निर्वाचन व्यय लेखा	8-9
3		निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन तंत्र	10-12
	(1)	निर्वाचन आयोग का गठन	10
	(2)	निर्वाचन आयोग के जिला स्तरीय कार्यालय तथा उनके कार्य	10-12
4		मतदाता सूची	13-17
	(1)	मतदाता सूची तैयार करने संबंधी विधिक, प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण.	13
	(2)	मतदाता सूची (वार्डवार) तैयार की जाना	13
	(3)	रजिस्ट्रीकरण, सहायक रजिस्ट्रीकरण तथा अपील अधिकारी	14
	(4)	मतदाता सूची कार्यक्रम एवं जारी किये गये निर्देश	14-17

(1)	(2)	(3)	(4)
	(5) मतदाता सूची की वैधता इत्यादि को चुनौती देते हुए		17
	माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिकाएं.		
5	<b>मतदान केन्द्र एवं निर्वाचन सामग्री</b>		18-21
	(1) मतदान केन्द्रों की स्थापना एवं उनके सम्बन्ध में अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां.		18-19
	(2) निर्वाचन सामग्री व उसकी व्यवस्था		19-20
	(3) मतपत्रों के मुद्रण के लिए कागज की व्यवस्था		20-21
6	<b>निर्वाचन कार्यक्रम</b>		22-23
7	<b>नाम निर्देशन पत्र एवं निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन</b>		24-28
	(1) नाम निर्देशन प्रस्तुत किया जाना		24
	(2) नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा		25
	(3) अभ्यर्थिता वापसी		25
	(4) चुनाव मैदान में शेष रहे उम्मीदवार		25
	(5) निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन		26-28
	(6) विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किये गये उम्मीदवार		28
8	<b>निर्विरोध निर्वाचन</b>		29
9	<b>मतदान हेतु की गई विभिन्न प्रशासनिक व्यवस्थाएं</b>		30-34
	(1) मतदान दलों का गठन एवं प्रशिक्षण		
	(2) मतदान हेतु झोनल ऑफिसर्स की नियुक्ति		
	(3) प्रेक्षकों की नियुक्ति		
10	<b>मतपत्रों की व्यवस्था</b>		35-36
	(1) निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र		35-36
	(2) सामान्य मतपत्र		36

(1)	(2)	(3)	(4)
11	मतदान सामग्री का परिवहन एवं उसकी वितरण व्यवस्था		37
12	स्वच्छ एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने की दृष्टि से उठाये गये महत्वपूर्ण कदम.		38-42
(1)	आदर्श आचरण संहिता लागू किया जाना		38
(2)	स्थानान्तरणों पर प्रतिबन्ध		38-39
(3)	सुरक्षा व्यवस्था		39-40
(4)	शारब के क्रय-विक्रय पर प्रतिबन्ध		40-41
(5)	विद्युत की निर्बाध आपूर्ति		41
(6)	जन सम्पर्क		41
(7)	शासकीय कार्यालयों एवं कारखानों में मतदान के दिन अवकाश		41-42
(8)	मतदान के दिन निजी वाहनों के परिचालन पर प्रतिबन्ध		42
13	मतदान का परिदृश्य		43-44
14	मतगणना तथा निर्वाचन परिणाम		45-46
(1)	मतगणना		45
(2)	निर्वाचन परिणाम		46
(3)	विजयी हुए एवं निश्चेप राशि (जमानत) खोने होने वाले अभ्यर्थी		46
15	विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व		47-49
16	विविध		50-52
(1)	उच्च न्यायालय में प्रस्तुत आदिकार्य		50-51
(2)	मतदान के दौरान प्राप्त शिकायतें एवं उन पर की गई कार्यवाही		51
(3)	निर्वाचन के दौरान हुई हिंसा		52
(4)	पुनर्मतदान		52
(5)	नगरपालिका निवाचन संबंधित आयोग के प्रकाशनों की सूची		52
(6)	नगरपालिका निवाचन 1999 पर हुए व्यय की जानकारी		52



## अध्याय 1

## नगरपालिका निर्वाचन, 1999 - एक दृष्टि में

नगरीय निकाय का प्रकार	नगरीय निकायों की संख्या	वार्डों की संख्या	मतदान केन्द्रों की संख्या	मतदाताओं की संख्या	मतदान का औसत प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. नगरपालिका निगम	13	670	4974	4615942	49.69
2. नगरपालिका परिषद	77	1817	3373	2936175	61.17
3. नगर पंचायत	218	3270	3411	2003462	72.09
योग . .	308	5757	11758	9555579	60.98

नगरीय निकाय का प्रकार	निकायों जिनमें वर्ष 1999 में चुनाव हुए	निकायों की संख्या	वार्डों की संख्या	चरणवार नगरीय निकायों, वार्डों, मतदान केन्द्रों, मतदाताओं की संख्या एवं मतदान का प्रतिशत	प्रथम चरण (मतदान, दिनांक 22-12-99) द्वितीय चरण (मतदान, दिनांक 26-12-99)	नगरीय निकायों की संख्या	वार्डों की संख्या	मतदान मतदाताओं की संख्या	नगरीय वार्डों की संख्या	मतदान मतदाताओं की संख्या	निकायों की संख्या	वार्डों की संख्या	मतदान मतदाताओं की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	

1. नगरपालिका निगम
2. नगरपालिका परिषद
3. नगर पंचायत

योग . .

नगरीय निकाय का प्रकार	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	जमानत खोने वाले अभ्यर्थियों की संख्या एवं प्रतिशत	निवार्चन कार्य में लगे कर्मियों महापौर / अध्यक्ष पदों की संख्या	निवार्चन कार्य के दौरान सुरक्षा कर्मियों में लगे की पद					
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1. नगरपालिका निगम	13	136	670	5454	110	80.88	4018	73.67	
2. नगरपालिका परिषद	77	585	1817	8715	398	68.03	4339	49.79	
3. नगर पंचायत	218	2064	3270	13528	1488	72.09	6046	44.69	
योग . .	308	2785	5757	27697	1996	71.67	14403	52.00	

## अध्याय 2

### पृष्ठभूमि, नगरपालिकाओं का गठन तथा वार्डों का निध

नगरपालिकाओं को स्थानीय स्वशासन की सुदृढ़, कार्यक्षम और ऊर्जावान इकाइयाँ बनाने के उद्देश्य से संविधान में चौहत्तरवें संशोधन के माध्यम से जो अनेक प्रावधान किए गए हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण प्रावधान (अनुच्छेद-243 ट, सहपठित अनुच्छेद-243 य क) जिसके द्वारा इन संस्थाओं के नियमित और निरन्तर चुनावों के लिए प्रत्येक राज्य में एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का गठन किए जाने का प्रावधान किया गया है। इन्हीं प्रावधानों के तहत राज्य शासन द्वारा एक फरवरी 1994 को मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया।

#### 1. पृष्ठभूमि :

संविधान के चौहत्तरवें संशोधन के उपबंधों को लागू करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने जो कानून पारित किए उनमें मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (संशोधन) अधिनियम, 1994 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 1994 सम्मिलित थे। इन संशोधित अधिनियमों द्वारा तत्समय प्रवृत्त अधिनियमों (अर्थात् मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961) में आवश्यक संशोधन किए गए। ये संशोधन 30 मई 1994 से प्रभावशील हुए।

#### 2. नगरपालिकाओं का गठन :

संविधान के अनुच्छेद, 243-थ में निम्नानुसार तीन प्रकार के नगरीय निकायों (जिन्हें सम्मिलित रूप से “नगरपालिकाएं” कह कर सम्बोधित किया गया है) के गठन की परिकल्पना की गई है:—

(क) किसी संक्रमणशील क्षेत्र के लिए (अर्थात् . . . नगर पंचायत

ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में संक्रमणशील

क्षेत्र के लिए, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो)।

(ख) किसी लघुत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए और . . . नगरपालिका परिषद्

(ग) किसी वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए . . . नगरपालिका निगम

किसी नगरीय क्षेत्र में उपर्युक्त तीन प्रकार की नगरपालिकाओं में से कौनसी स्थापित की जाए, इस बात का निर्णय उस क्षेत्र की जनसंख्या, जनसंख्या की सघनता, आर्थिक महत्व आदि बातों के आधार पर राज्यपाल के ऊपर छोड़ा गया है।

### 3. प्रदेश की नगरीय निकायों के सम्बन्ध में संक्षिप्त जानकारी :

संशोधित विधि के अन्तर्गत राज्य में निम्नांकित “नगरपालिकाएं” (अर्थात् यथास्थिति, नगर पंचायतें, नगरपालिका परिषदें तथा नगरपालिक निगम) गठित की गई हैं:—

#### (1) नगर पंचायतें — २३४ :—

इन नगर पंचायतें में तत्समय कार्यरत तृतीय और चतुर्थ वर्ग की ऐसी सभी नगरपालिकाएं सम्मिलित की गई हैं जिनकी जनसंख्या (1991 की जनगणना के आधार पर) 5,000 से 20,000 के बीच थी;

#### (2) नगरपालिका परिषदें — ४६ :—

नगरपालिका परिषदों में तत्समय कार्यशील ऐसी समस्त नगरपालिकाओं को सम्मिलित किया गया है जिनकी जनसंख्या 20,000 से अधिक थी (जनसंख्या की उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है); तथा

#### (3) नगरपालिक निगम — १४ :—

इन नगरपालिक निगमों में पूर्व से चले आ रहे सभी नगरपालिक निगमों को सम्मिलित किया गया है, चाहे उनकी जनसंख्या कुछ भी क्यों न रही हो।

3. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 में अप्रैल, 1997 में हुए संशोधन के फलस्वरूप प्रथम बार प्रदेश के नगरपालिक निगमों/नगरपालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों में महापौर/अध्यक्ष के पदों की पूर्ति राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण में सीधे मतदाताओं द्वारा किये जाने का प्रावधान किया गया है, इसके पूर्व, केवल पार्षद पद का निर्वाचन सीधे मतदाताओं द्वारा किया जाता था।

### 4. वार्डों का परिसीमन :

नगरपालिकाओं में वार्डों का परिसीमन (अर्थात् वार्ड विभाजन) करने करने हेतु सुसंगत विधि में वार्डों की संख्या, तथा विस्तार का अवधारण राज्य सरकार द्वारा किए जाने, का प्रावधान है। नगरपालिक निगम के मामले में वार्डों की संख्या 40 से कम या 70 से अधिक नहीं हो सकती और नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत के मामले में यह संख्या 15 से कम या 40 से अधिक नहीं हो सकती। राज्य सरकार ने वार्डों के विस्तार और संख्या निर्धारित करने के उद्देश्य से, अधिसूचना दिनांक 22 जुलाई, 1994 द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (वार्डों का विस्तार) नियम, 1994 प्रभावशील किए हैं। पृथक्षः इस दौरान राज्य सरकार ने आयोग से परामर्श करके, नगरपालिकाओं की मतदाता सूचियां बनाने तथा निर्वाचनों के संचालन के लिए

“मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994” बनाए, जो मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई 1994 द्वारा प्रभावशील हुए। ये नियम नगरपालिक निगमों, नगरपालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों के लिए समान रूप से लागू हैं।

4. (i) संविधान के उपबन्धों के अनुसार संशोधित नगरपालिका विधि के अन्तर्गत प्रत्येक नगरपालिका में :—

- (क) नगरपालिक वार्डों/क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा महापौर/अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाएगा।
- (ख) प्रत्येक वार्ड से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा पार्षद का निर्वाचन किया जाएगा।

5. महापौर/अध्यक्ष तथा वार्डों (पार्षद पदों) का आरक्षण :

(ii) (क) महापौर के पद का आरक्षण :—

(1) राज्य में, के निगमों के महापौर के पदों की कुल संख्या में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए ऐसी संख्या में महापौर के पद आरक्षित रखे जाएंगे जिसका अनुपात यथाशक्य निकटतम रूप से वही होगा जो राज्य के समस्त नगरपालिक निगमों की सीमाओं के भीतर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रवर्गों की जनसंख्या का ऐसे क्षेत्रों की कुल जनसंख्या के साथ है।

(2) महापौर के पदों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम पच्चीस प्रतिशत स्थान अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।

(3) उक्त बिंदु (1) तथा (2) के अधीन आरक्षित किए गए महापौर के पदों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।

(4) पदों की कुल संख्या के यथाशक्य संभव एक तिहाई स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।

(5) पूर्वोक्त आरक्षण ऐसी रीति से किया जाएगा जो विहित की जाय।

(ख) अध्यक्ष के पद का आरक्षण :—

(1) राज्य में यथास्थिति, नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों के, अध्यक्षों के, पदों की कुल संख्या में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए ऐसी संख्या में अध्यक्ष के पद आरक्षित रखे जाएंगे जिसका अनुपात यथाशक्य निकटतम रूप से वही होगा जो राज्य के यथास्थिति समस्त

नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों की सीमाओं के भीतर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रवर्गों की जनसंख्या का ऐसे क्षेत्रों की कुल जनसंख्या के साथ है।

(2) यथास्थिति नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्ष के पदों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम पच्चीस प्रतिशत स्थान अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रखे जायेंगे।

(3) उक्त बिंदु (1) तथा (2) के अधीन आरक्षित किये गये अध्यक्ष के पदों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातिय या अनुसूचित जनजातिय या अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।

(4) पदों की कुल संख्या के यथाशक्य संभव एक तिहाई स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।

(5) पूर्वोक्त आरक्षण ऐसी रीति में किया जाएगा जो विहित की जाये।

#### (ग) वार्डों (सीटों) का आरक्षण :—

(1) प्रत्येक नगरपालिका में वार्डों की कुल संख्या में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए ऐसी संख्या में स्थान आरक्षित रखे जाएंगे जिसका अनुपात उस नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के साथ यथाशक्य निकटतम रूप से कही होगा जो उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के साथ है और ऐसे वार्ड वे होंगे जिनमें यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक घनी है।

(2) ऐसी नगरपालिका में, जहाँ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पचास प्रतिशत या कम स्थान आरक्षित रखे गए हैं, वार्डों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम पच्चीस प्रतिशत स्थान अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे और ऐसे स्थान भिन्न-भिन्न वार्डों के लिए ऐसी रीति में, जो कि विहित की जाए, चक्रानुक्रम से आवंटित किए जाएंगे :

परन्तु यदि इस प्रकार आरक्षित रखे गए किसी वार्ड से पार्षद के रूप में निर्वाचन के लिए पिछड़े वर्गों के किसी भी सदस्य द्वारा कोई नामांकन-पत्र फाइल नहीं किया जाता, है तो कलेक्टर उस वार्ड को अनारक्षित वार्ड के रूप में घोषित करने के लिए सक्षम होगा।

(3) उक्त बिंदु (1) तथा (2) के अधीन आरक्षित किये गये स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।

(4) प्रत्येक नगरपालिक निगम में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे और ऐसे स्थान किसी नगरपालिक निगम में, के उन भिन्न-भिन्न वार्डों के लिए ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, चक्रानुक्रम में आवंटित किए जाएंगे।

आरक्षण के उक्त प्रावधानों के तहत प्रदेश के नगरपालिकाओं में विभिन्न वर्गों तथा महिलाओं के लिये आरक्षण की स्थिति की जानकारी परिशिष्ट-एक पर अंकित है।

6. आरक्षण प्रावधानों की वैधता को चुनौती देते हुए माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर याचिकायें :—

1. याचिका क्र. 4881/99-श्री तुलसीराम जाटव विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं अन्य में, नगरपालिक निगम, सागर के आम निर्वाचन के लिये किये गये आरक्षण को चुनौती दी गई थी।

2. याचिका क्र. 4882/99-श्री एम. पी. सिंह विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं अन्य में, नगरपालिक निगम, कोरबा के आम निर्वाचन के लिये किये गये आरक्षण को चुनौती दी गई थी।

3. याचिका क्र. 4883/99-श्री सुधीर कुमार शर्मा विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं अन्य में, नगरपालिक निगम, भोपाल के आम निर्वाचन के लिये किये गये आरक्षण को चुनौती दी गई थी।

#### माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर में दायर याचिकायें

1. याचिका क्र. 1730/99-श्री यदुनाथ सिंह विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य, नगरपालिक निगम, ग्वालियर के आम निर्वाचन हेतु किये गये आरक्षण के विरुद्ध दायर हुई थी।

2. याचिका क्र. 1744/99-श्री रमन पोपली विरुद्ध राज्य शासन एवं अन्य, नगरपालिक निगम, ग्वालियर के आम निर्वाचन हेतु किये गये आरक्षण के विरुद्ध दायर हुई थी।

3. याचिका क्र. 1751/99-श्री बृजलाल शर्मा विरुद्ध राज्य शासन एवं अन्य, नगरपालिकाओं में अध्यक्ष पद हेतु किये गये आरक्षण के विरुद्ध दायर हुई थी।

#### माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर में दायर याचिकायें

1. याचिका क्र. 1598/99-श्री रतन पाटोदी विरुद्ध राज्य शासन एवं अन्य, नगरपालिक निगम, इन्दौर

के लिये कलेक्टर, इन्डौर द्वारा किये गये आरक्षण के विरुद्ध दायर हुई थी। इसके साथ ही इस याचिका में मतदाता सूची की अनियमितताओं को भी आधार बनाया गया था।

माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर तथा इन्डौर में प्रस्तुत याचिकायें माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के आदेश दिनांक 24-11-99 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर को हस्तांतरित हो गई। दिनांक 17-12-99 को माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर ने आदेश पारित कर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया।

#### 7. नगरीय निकायों के निर्वाचन की संक्षिप्त जानकारी :

राज्य में कुल 334 नगरीय निकायों में से 316 नगरीय निकाय पुराने हैं जिनमें वर्ष 1994 में अथवा उसके पश्चात् के वर्षों में आम चुनाव सम्पन्न कराए जा चुके हैं। इन 334 नगरीय निकायों में से 303 का आम चुनाव नवम्बर-दिसम्बर 1994 में कराया गया था जिनका कार्य-काल पूर्ण हो चुका था। अतः इनका चुनाव वर्ष 1999 में कराया गया तथा 18 नगरीय निकायों के आम चुनाव वर्ष 1994 के बाद कराए गए थे जिनका कार्यकाल अभी शेष है। शेष 05 नगरीय निकाय ऐसे हैं जिनमें प्रथम बार आम निर्वाचन हुआ है। इनमें से अधिकांश नवगठित नगरीय निकायों का गठन विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के विघटन के फलस्वरूप हुआ है। इन नवगठित नगरीय निकायों के अलावा 04 नगरीय निकायों में वार्ड विभाजन/आरक्षण की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से यहां चुनाव कराना संभव नहीं हुआ। इन (18 + 04) नगरीय निकायों के नाम परिशिष्ट-दो में दिए गए हैं। इसी प्रकार पूर्व से गठित नगरीय निकायों में से तीन नगरीय निकायों-नगरपालिक निगम, उज्जैन, नगरपालिका परिषद-मंदसौर तथा नगर पंचायत धुवारा, जिला छतरपुर के चुनाव क्षेत्रपालिक कारणों (वार्ड परिसीमन, आरक्षण आदि की कार्यवाही नहीं होने के कारण) से कराया, जाना संभव नहीं हो सका।

इस प्रकार माह दिसम्बर 1999 में कुल मिलाकर 308 नगरीय निकायों के चुनाव सम्पन्न कराए गए, उनका विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	नगरीय निकायों का विवरण	स्थानों की संख्या जिनके लिए चुनाव कराए गए			
		स्वरूप	महापौर/पार्षद		
			पुराने	नए	कुल
1	नगरपालिक निगम	12	1	13	13
2	नगरपालिका परिषद्	75	2	77	77
3	नगर पंचायत	216	2	218	218
योग . .		303	5	308	308
					5757

आयोग द्वारा प्रदेश की जिन ३०८ नगरपालिकाओं में निर्वाचन कराए उनकी सूची तथा उनके वार्डों की संख्या का विवरण परिशिष्ट-तीन में दिया गया है।

(टीप :—नगर पंचायत अमानगंज, जिला पन्ना में वार्ड क्र. ३ में एक अभ्यर्थी का नाम निर्देशन-पत्र उपरिलेखन करके निरस्त कर दिये जाने के कारण आयोग द्वारा इस वार्ड का निर्वाचन स्थगित कर दिये जाने के कारण यहां चुनाव नहीं हो सका)।

#### 8. निर्वाचन व्यय सीमा :

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-क (2) और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क (2) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्र. 77 अठारह-३-९७, दिनांक २ सितम्बर, 1997 द्वारा नगरपालिकाओं के महापौर/अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिये व्यय की अधिकतम सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई है :—

निकाय का विवरण (1)	1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या (2)	निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा (3)
नगरपालिक निगम	5 लाख से अधिक	रुपये 4 लाख
	3 लाख से 5 लाख	रुपये 3 लाख
	3 लाख से कम	रुपये 2 लाख
नगरपालिका परिषद् (i)	1.00 लाख से अधिक	रुपये 1.50 लाख
(ii)	50 हजार से एक लाख तक	रुपये 1.00 लाख
(iii)	50 हजार तक	रुपये 50 हजार
नगर पंचायत		रुपये 25 हजार

#### 9. निर्वाचन व्यय लेखा :

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14-क और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अन्तर्गत यह प्रावधान भी किया गया है कि नगरपालिका निगम के महापौर या यथास्थिति, नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत के अध्यक्ष के निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी पर यह दायित्व है कि ऐसे निर्वाचन के सिलसिले में उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत समस्त व्यय का पृथक् और सही लेखा ऐसी विशिष्टियों के साथ रखा जाए जो निर्वाचन आयोग द्वारा विहित की जाए।

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अंतर्गत नगरपालिक निगम के महापौर या यथास्थिति, नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत के अध्यक्ष के निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी पर यह दायित्व सौंपा गया है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अंदर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करें।

चूंकि, राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन में धन-बल की अनिष्टकारी भूमिका से अच्छी तरह अवगत है और उसे रोकने के लिये अन्य उपायों के साथ-साथ यह आवश्यक और बांछनीय मानता है कि अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किये जाने वाले निर्वाचन व्ययों के लेखा यथाशक्य व्यापक और वास्तविक व्यय को प्रतिबिम्बित करने वाला हो, अतः राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-जेड-ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-क और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसरण में और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन व्यय (लेखा-संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997 प्रख्यापित किया गया है। इस आदेश के अंतर्गत महापौर/अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी से यह अपेक्षित है कि वह नामनिर्देशित करने की तारीख से लेकर निर्वाचन परिणाम की घोषणा के बीच (इन दोनों तारीखों को सम्मिलित करते हुए) निर्वाचन सम्बन्धी समस्त व्ययों का सही लेखा या तो स्वयं रखे या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएं तथा आयोग की अधिसूचना के अनुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) अर्थात् कलेक्टर के पास दाखिल किया जाए।

### अध्याय 3

## निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन तंत्र

### 1. निर्वाचन आयोग का गठन :

संविधान के अनुच्छेद 243-य के में यह उपबन्ध है कि नगरपालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण संविधान के अनुच्छेद 243 ट में निर्दिष्ट पंचायतों के निर्वाचन के लिए गठित राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। अनुच्छेद 243-ट के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग में राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा; राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकेगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के मामले में निर्धारित है, अन्यथा नहीं और राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। यह भी उपबन्ध है कि जब राज्य निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तब उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए राज्यपाल द्वारा आवश्यक कर्मचारी वृन्द उपलब्ध कराये जाएंगे।

उक्त प्रावधानों के तहत मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 1 फरवरी, 1994 द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया तथा दिनांक 15-2-94 को श्री न. ब. लोहनी द्वारा प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया गया।

राज्य निर्वाचन आयोग की अनुशंसा के अनुसार आयोग के लिए राज्य सरकार द्वारा जो पद स्वीकृत किए गये, उनका उल्लेख परिशिष्ट-चार में है।

भोपाल में आयोग का अपना कार्यालय भवन “निर्वाचन भवन” 58-अरेरा हिल्स पर निर्मित हो चुका है तथा दिनांक 1 नवम्बर 1997 से आयोग ने अपने नवनिर्मित कार्यालय में कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। इस भवन में आयोग की आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त स्थान उपलब्ध है।

### 2. निलंबन आयोग के जिला स्तरीय कार्यालय तथा उनके कार्य :

जिला कार्यालयों को आवश्यकता के अनुरूप अविभाजित 45 जिलों में कार्यालय-सह-भण्डारण कराए जा चुके हैं। इनमें आयोग के अधिकारी/कर्मचारियों के बैठने तथा मतपेटियाँ/निर्वाचन विधियाँ रखने हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध है।

गठित 16 नए जिलों में आयोग के कार्यालय-सह-भण्डारण कक्ष के संबंध में इन 16 जिलों में निर्मित होने वाले जिला कार्यालय भवन में भी प्रावधान रखा जाए।

जिला स्तर पर नगरपालिकाओं के साधारण निर्वाचन सम्बन्धी कार्य के संचालन का दायित्व जिला कलेक्टर को, पदेन जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर के सौंपा गया। उसकी सहायता के लिए एक डिप्टी/संयुक्त कलेक्टर स्तर के अधिकारी को उप-जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। रिटर्निंग ऑफीसर तथा सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में अधिकारियों को पदाभिहित किया गया उनका विवरण परिशिष्ट-पांच में है।

स्थानीय संस्थाओं (पंचायतों तथा नगरपालिकाओं) के निर्वाचन निरंतरता से सम्पन्न कराया जाना एक संवैधानिक अनिवार्यता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन से भेरे जानेवाले स्थानों की संख्या लाखों में होने के कारण, मृत्यु, त्यागपत्र आदि के कारण आकस्मिक रिक्तियों की संख्या भी बहुत अधिक रहती है। उप निर्वाचनों के लिए मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण उस वर्ष की पहली जनवरी को आधार मान कर किया जाना होता है। अतएव कार्य की इस व्यापकता और निरन्तरता को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक था कि जिला स्तर पर भी स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचन संबंधी कार्यों के सुचारू सम्पादन के लिए, अलग से कार्यालय स्थापित किया जाय। जिसमें कलेक्टर के अधीन, कुछ स्थायी अमला हो। तदनुसार राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में प्रस्ताव भेजा गया। राज्य सरकार ने आयोग के प्रस्ताव के आधार पर, प्रत्येक जिले में स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचन-कार्य के लिए निम्नानुसार पद सृजित किए हैं:—

- |       |                                                                                            |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| (i)   | उप जिला निर्वाचन अधिकारी (जो कि डिप्टी/ संयुक्त कलेक्टर/अपर कलेक्टर स्तर का अधिकारी होगा). | एक |
| (ii)  | सहायक अधीक्षक (केवल ऐसे जिलों के लिए जिनमें विकास खण्डों की संख्या 8 या उससे अधिक है).     | एक |
| (iii) | लेखापाल                                                                                    | एक |
| (iv)  | कनिष्ठ श्रेणी लिंपिक                                                                       | एक |

इस जिला स्तरीय कार्यालय द्वारा किए जाने वाले कार्यों में निम्नांकित प्रमुख हैं:—

- (क) मतदाता सूचियों की तैयारी तथा पुनरीक्षण और उनका प्रकाशन।
- (ख) पंचायतों तथा नगरपालिकाओं में आकस्मिक रिक्तियों के लिए उप-निर्वाचन सम्बन्धी कार्य।
- (ग) उच्च न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों तथा निर्वाचन याचिकाओं के संबंध में आवश्यक जानकारी और अभिलेख प्रस्तुत करना।

- (घ) मतपत्रों के पैकेटों आदि निर्वाचन सम्बन्धी कागजपत्रों को नियमों में निर्धारित अवधि तक सुरक्षित अभिरक्षा में रखना और तत्पश्चात् उन्हें विनष्ट करना।
  - (ङ) मतपेटियों तथा निर्वाचन सम्बन्धी अन्य सामग्री और प्रकाशनों की साज-संभाल।
  - (च) निर्वाचन व्यय का लेखा-जोखा रखना, निर्वाचन कार्य में कर्तव्य विमुखता या अनियमितताओं से संबंधित प्रकरणों में कार्यवाही, सांख्यिकी जानकारी का संधारण, आयोग के प्रकाशनों का विक्रय आदि।
  - (छ) महापौर/अध्यक्ष के पद का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन व्यय लेखा का परीक्षण कर जानकारी आयोग को भेजना।
-

## अध्याय 4

### मतदाता सूची

#### 1. मतदाता सूची तैयार करने संबंधी विधिक प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण :

मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (1) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (1) के प्रावधानों के अंतर्गत मतदाता सूची तैयार कराने का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का है।

मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 12 और 13 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 30 और 31 के उपबन्धों के अनुसार (जो कि एक समान हैं) नगरपालिका के प्रत्येक वार्ड के लिए एक निर्वाचक नामावली (अर्थात् मतदाता सूची) तैयार की जाएगी जिसमें प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो उस वार्ड से संबंधित विधान सभा निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अहित हैं और जो उस वार्ड का मामूली तौर से निवासी है तथा जिसकी उस वर्ष की, जिसमें निर्वाचक नामावली तैयार की गई हो या पुनरीक्षित की गई हो, जनवरी के प्रथम दिन 18 वर्ष से कम आयु न हो, उस वार्ड की मतदाता सूची में नाम दर्ज किए जाने का हकदार होगा। परन्तु कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वार्डों की मतदाता सूची में नाम दर्ज किए जाने का हकदार नहीं होगा।

#### 2. मतदाता सूची ( वार्डवार ) तैयार की जाना :

मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 30 एवं सहपठित धारा 32 के अन्तर्गत किसी वार्ड की निर्वाचक नामावली विहित रीति में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार करवाई जाएगी। विहित रीति “मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994” के नियम 3 से 9 में वर्णित है।

अतः आयोग द्वारा पत्र दिनांक 29 मई 1999 द्वारा कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके जिले की प्रत्येक ऐसी नगरपालिका (अर्थात् नगरपालिका निगम/नगरपालिका परिषद या नगर पंचायत) जिसका कि आम चुनाव वर्ष 1994 में हुआ था, के वार्डों की वर्तमान सीमाओं में यदि कोई परिवर्तन किया जाना है तो वह दिनांक 31-7-99 तक आवश्यक रूप से पूर्ण कर लिया जाए। इसी प्रकार यदि जिले में कोई नवगठित नगरपालिका निगम/नगरपालिका परिषद या नगर पंचायत ऐसी हो जिनके परिसीमन (वार्ड विभाजन) की कार्यवाही की जाना शेष हो तो वह कार्यवाही भी दिनांक 31-7-99 तक पूर्ण कर ली जाए। दिनांक 31-7-99 तक वार्ड विभाजन की कार्यवाही पूर्ण न हो पाने की स्थिति में आयोग द्वारा संबंधित नगरपालिकाओं के लिए आम निर्वाचन वर्ष 1999 में कराया जाना संभव नहीं हो पाएगा।

### 3. रजिस्ट्रीकरण, सहायक रजिस्ट्रीकरण तथा अपील अधिकारी :

मतदाता सूची तैयार करने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा अपील अधिकारी वे ही रहेंगे जिन्हें आयोग के आदेश क्रमांक एफ-107/तीन/96/न. पा., दिनांक 28-12-96 द्वारा पदाधिकारि किया गया है। इन पदाधिकारियों की सूची आयोग द्वारा प्रकाशित “नगरपालिका निर्वाचन के लिए मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में निर्देश पुस्तिका (जून, 1999-संस्करण)” के परिशिष्ट-तीन (पृष्ठ 41-42 पर मुद्रित है) जो कि इस प्रतिवेदन में परिशिष्ट-छः पर अवलोकनीय है।

### 4. मतदाता सूची कार्यक्रम एवं जारी किये गये निर्देश :

माह सितम्बर/अक्टूबर, 1999 में लोक सभा के संभावित चुनाव को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा नगरपालिकाओं के आम निर्वाचन, 1999 हेतु मतदाता सूची तैयार करने की कार्यवाही निम्नानुसार दो चरणों में सम्पादित करना प्रस्तावित किया गया :—

क्र.	चरण	कार्यवाही का विवरण	समयावधि
1	प्रथम चरण	(i) प्रारंभिक (प्रारूप) मतदाता सूची तैयार करना (ii) प्रारंभिक (प्रारूप) मतदाता सूची का मुद्रण	31-7-99 तक 15-9-99 तक
2	द्वितीय चरण	प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन कर उसके संबंध में दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करना तथा मतदाता सूची को अंतिम रूप देना	अक्टूबर, 1999

तदनुसार आयोग द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 8 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा नियम 4, 5 एवं 6 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका निर्वाचन, 1999 हेतु उन नगरपालिकाओं (नगरपालिका निगम/नगरपालिका परिषदों/नगर पंचायतों) की मतदाता सूचियों जिनके पिछले आम चुनाव वर्ष 1994 में हुए थे, 1 जनवरी, 1999 की संदर्भ तारीख के आधार पर तैयार करने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम विहित किया गया :—

क्र.	कार्यवाही	निर्धारित तारीख/दिन
(1)	(2)	(3)
1.	नगरपालिकावार रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति.	15-6-1999 (मंगलवार)
2.	प्रारंभिक (प्रारूप) मतदाता सूची तैयार करने हेतु कर्मचारियों का चयन.	21-6-1999 (सोमवार)

(1)	(2)	(3)
3.	प्रारंभिक (प्रारूप) मतदाता सूची तैयार करना	30-6-99 (बुधवार) से
4.	प्रारंभिक (प्रारूप) मतदाता सूची को अंतिम रूप देना (वार्डों के पुनः परिसीमन की कार्यवाही यदि चल रही हो, तो पूर्ण हो जाने के पश्चात्).	31-7-99 (शनिवार) तक 7-8-99 (शनिवार) तक
5.	प्रारंभिक (प्रारूप) मतदाता सूची का एक सेट जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) के कार्यालय में जमा कराया जाना.	10-8-99 (मंगलवार)

उपर्युक्तानुसार प्रारंभिक (प्रारूप) मतदाता सूची तैयार करने के कार्यक्रम को आयोग द्वारा जारी करते ए समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों (नगरपालिका) को निर्देश जारी किये गये :—

- (1) यदि किसी नगरपालिका (नगरपालिका निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत) के किसी वार्ड की वर्तमान सीमाओं में परिवर्तन की कार्यवाही की जा रही हो तो उस नगरपालिका की प्रारूप मतदाता सूची को अंतिम रूप ऐसी कार्यवाही पूर्ण हो जाने के पश्चात् अर्थात् 31 जुलाई 1999 के पश्चात् दिया जाए।
- (2) आयोग द्वारा मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में प्रकाशित “निर्देश पुस्तिका” (जून, 1999-संस्करण) में निहित निर्देशों के अनुसार ही नगरपालिका निर्वाचन के लिए मतदाता सूचियां तैयार की जाएं।
- (3) प्रारंभिक (प्रारूप) मतदाता सूची विधान सभा की प्रचलित निर्वाचक नामावली (अर्थात् दिनांक 1 जनवरी, 1999) की स्थिति में प्रभावशील निर्वाचक नामावली के आधार पर तैयार की जाए। इस हेतु उप जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) द्वारा विधान सभा की प्रचलित निर्वाचक नामावली की दो प्रतियां (अद्यतन अनुपूरक सूचियों सहित) प्रत्येक नगरपालिका के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को डूपलब्ध कराई जाए।
- (4) प्रारंभिक (प्रारूप) मतदाता सूची नगरपालिका निगम के आयुक्त या नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत के मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा जैसी भी स्थिति हो, अपने कार्यालय में तैयार कराई जाए तथा साथ ही साथ उसकी जांच संबंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वयं तथा अपने सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की सहायता से की जाए। विधान सभा की प्रचलित निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नगरपालिका के किसी वार्ड का कोई मतदाता संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में शामिल होने से न रह जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए “निर्देश पुस्तिका” के परिशिष्ट-चार में दिए गए आधार पत्रक भाग-एक एवं भाग-दो तैयार किए जाएं प्रारूप

मतदाता सूचियां (निर्देश पुस्तिका के परिशिष्ट-पांच में बताए गए नमूने के अनुसार) वार्डवार तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया। वार्डवार प्रारंभिक (प्रारूप) मतदाता सूची तैयार हो जाने पर उस सूची की प्रामाणिकता की पुष्टि में उसके प्रत्येक पृष्ठ पर नगरपालिक निगम के आयुक्त या नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत के मुख्य नगरपालिका अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो तथा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी दोनों के द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं।

प्रारंभिक (प्रारूप) मतदाता सूचियों पर दावे और आपत्तियां आमन्त्रित करने के बाद उन्हें अंतिम रूप से तैयार करने के संबंध में आयोग द्वारा निम्नानुसार मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम विहित किया गया :—

क्र.	कार्यवाही	निर्धारित तारीख
1	मतदाता सूची के प्रकाशन के संबंध में प्रचार-प्रसार “प्राधिकृत कर्मचारियों” की नियुक्ति और उनका प्रशिक्षण, सांसदों/विधान सभा सदस्यों/पार्षदों को सूचना तथा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को प्रारूप सूची उपलब्ध कराना.	8-10-99 तक
2	प्रारूप मतदाता सूची के संबंध में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन और दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने की शुरूआत.	11-10-99
3	दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख	20-10-99
4	प्राप्त दावों तथा आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तारीख	23-10-99
5	वार्डवार अनुपूरक सूचियां तैयार करना	24-10-99
6	अनुपूरक सूचियों का मुद्रण	25-10-99 से 6-11-99 तक.
7	अनुपूरक सूचियां मूल (प्रारंभिक) सूचियों के साथ जोड़ा जाना.	10-11-99 तक
8	मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन	12-11-99

मतदाता सूचियों में नाम सम्मिलित कराने तथा त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों को सुधारे जाने के लिए दावे तथा आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए प्रचार-प्रसार करने हेतु समाचार-पत्रों में विज्ञप्ति प्रसारित करने तथा क्षेत्रीय आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केन्द्र के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये गये। साथ ही आयोग

रा “मतदाताओं से अपील” (परिशिष्ट-सात) नामक पेम्पलेट प्रसारित कराकर निम्नलिखित स्थानों पर स्पा कराने के निर्देश दिये गये :—

1. जिला निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय,
2. रजिस्ट्रकरण अधिकारी का कार्यालय,
3. प्रत्येक सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का कार्यालय,
4. संबंधित नगरपालिका कार्यालय और यदि नगर में उसका कोई उप कार्यालय हो तो संबंधित उप कार्यालय,
5. वार्डों में सहजदृश्य सार्वजनिक स्थानों पर, जहां मतदाता आसानी से उसका अवलोकन कर सकें,
6. तहसील कार्यालय/चिकित्सालय/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि,
7. अन्य ऐसे सार्वजनिक स्थान, जहां पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी इन पेम्पलेटों को चर्चा कराया जाना व्यापक प्रचार-प्रसार की दृष्टि से आवश्यक समझें।

मतदाता सूची की वैधता को चुनौती देते हुए माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिकायें

1. याचिका क्र. 1596/99- श्री हरीश तोलानी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य, नगरपालिका निगम, इन्दौर की निर्वाचक नामावलियों में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध मा. उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर में दायर हुई थी।
2. याचिका क्र. 1597/99- श्रीमती मधुबाला विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य, नगर पंचायत, सांवेर की मतदाता सूची से संबंधित कथित अनियमितताओं के विरुद्ध मा. उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर में दायर हुई थी।
3. याचिका क्र. 1598/99- श्री रतन पाटोदी विरुद्ध राज्य शासन एवं अन्य, नगरपालिका निगम, इन्दौर के लिये कलेक्टर, इन्दौर द्वारा किये गये आरक्षण के विरुद्ध मा. उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर में दायर हुई थी। इसके साथ ही इस याचिका में मतदाता सूची की अनियमितता को भी आधार बनाया गया था।

माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर तथा इन्दौर में प्रस्तुत याचिकायें माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के आदेश दिनांक 24-11-99 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर को हस्तांतरित हो गई। नांक 17-12-99 को माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर ने आदेश पारित कर सभी याचिकाओं को खारिज र दिया।

## अध्याय 5

### मतदान केन्द्र एवं निर्वाचन सामग्री

#### 1. मतदान केन्द्रों की स्थापना एवं उनके सम्बन्ध में अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ :

मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 16 में यह प्रावधान है कि रिटर्निंग आफिसर पर्यास संख्या में मतदान केन्द्रों की व्यवस्था करेगा और मतदान की तारीख से 20 दिन पूर्व एक ऐसी सूची प्रकाशित करेगा जिसमें मतदान केन्द्र तथा उससे सम्बद्ध क्षेत्र का विवरण दर्शाया गया हो।

मतदान केन्द्रों की स्थापना के सम्बन्ध में आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निम्नानुसार मार्गदर्शी निर्देश प्रसारित किये:—

- (1) विधान सभा के विगत निर्वाचन के समय जिन भवनों में मतदान केन्द्र स्थापित किये गये थे उन्ही में यथासम्भव मतदान केन्द्र स्थापित किए जाएं। जिन वार्डों में 2 मतदान केन्द्र स्थापित किये जाने हों उनमें दोनों मतदान केन्द्र एक ही भवन में रखने में आपत्ति नहीं है बशर्ते कि भवन में पर्यास स्थान हो और प्रतीक्षारत मतदाताओं के खड़े होने के लिए भवन के बाहर पर्यास खुला-फैला स्थान हो। यदि कदाचित् भवन बहुत छोटा हो और उसमें दूसरा मतदान केन्द्र बनाये जाने की गुंजाईश न हो तो सम्बन्धित वार्ड में ही उपलब्ध अन्य उपयुक्त भवन में, जिसकी अवस्थिति यथासम्भव केन्द्रीय हो, नया मतदान केन्द्र स्थापित केन्द्र स्थापित किया जाए।
- (2) मतदान केन्द्र यथासंभव किसी शासकीय कार्यालय या सरकारी उपक्रम अथवा स्थानीय निकायों के स्वामित्व या आधिपत्य वाले भवन या शासन से सहायता प्राप्त संस्था के भवन में स्थापित किया जाए।
- (3) कोई भी मतदान केन्द्र पुलिस थाना, चिकित्सालय, मंदिर या पूजा स्थल में या उसके परिसर में स्थापित न किया जाए।
- (4) यदि मतदान केन्द्र स्थापित करने के लिए उपयुक्त भवन उपलब्ध न हो तो किसी खाली स्थान पर अस्थायी निर्माण करके (यथा-टेन्ट लगाकर) मतदान केन्द्र स्थापित किया जाए।
- (5) यदि कदाचित् किसी वार्ड में मतदान केन्द्र स्थापित करने के लिये न तो कोई उपयुक्त भवन उपलब्ध हो और न ही कोई ऐसा खुला हुआ स्थान उपलब्ध हो जहां बनाए गए अस्थायी मतदान केन्द्र में मतदाता सुविधापूर्वक जाकर मतदान कर सकें तो ऐसे वार्ड का मतदान केन्द्र उसके बगल के (अर्थात् उससे लगे हुए) किसी वार्ड में उपयुक्त भवन में स्थापित किया जाए और इस सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

(6) मतदान केन्द्रों की सूची की एक प्रति, उसके प्रकाशन के तुरन्त बाद, मान्यता प्राप्त प्रत्येक राजनैतिक दल के जिला कार्यालय को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए।

सामान्यतया किसी भी मतदान केन्द्र में मतदाताओं की संख्या 1000 से अधिक नहीं थी। कुल मिलाकर सभी ३०९ नगरपालिकाओं में, जिनमें निर्वाचन कराए गए, मतदान केन्द्रों की संख्या ११५४ थी। इनमें से १५ नगर पंचायतें तथा २ नगरपालिका परिषदें ऐसी थीं जिनमें प्रति वार्ड मतदाताओं की संख्या 1000 से कम होने के कारण, कुछ अपवादों को छोड़कर, प्रत्येक वार्ड में केवल एक ही मतदान केन्द्र स्थापित किया गया। शेष २३ नगर पंचायतों, १५ नगरपालिका परिषदों तथा १३ नगर निगमों के प्रत्येक वार्ड में एक से अधिक मतदान केन्द्र स्थापित किए गए।

नगर निगमों में सर्वाधिक मतदान केन्द्र अर्थात् ११६७ नगर निगम, इन्दौर में तथा सबसे कम अर्थात् १०३ मतदान केन्द्र, नगर निगम सिंगरोली में थे। नगरपालिका परिषदों में सर्वाधिक १३७ मतदान केन्द्र नगरपालिका परिषद् मुरैना में थे जबकि सबसे कम १५ मतदान केन्द्र नगरपालिका परिषद् रहली तथा नगरपालिका परिषद् वारासिवनी में थे। परिशिष्ट-आठ में मतदान केन्द्रों की जानकारी दर्शाई गई है।

प्रत्येक नगरपालिका में स्थापित मतदान केन्द्रों को एक से लेकर अंत तक सिलसिलेवार क्रमांक दिये गये थे, अर्थात् मतदान केन्द्रों के क्रमांक वार्डवार न होकर सम्पूर्ण नगरपालिका के लिए एक से अंत तक सिलसिलेवार रखे गए थे।

कुछ जिला निर्वाचन अधिकारियों ने मतदान केन्द्रों की सूची के प्रकाशन के बाद, कठिपय मतदान केन्द्र बदल जाने के सम्बन्ध में आयोग को मतदान की तारीख से ३ दिन पूर्व तक प्रस्ताव भेजे। परिवर्तन के औचित्य में यह बताया गया कि पूर्व में प्रस्तावित भवन की स्थिति उपयुक्त नहीं है या उसे बदले जाने के लिए अभ्यर्थियों अश्वामतदाताओं द्वारा मांग की गई है अथवा बेहतर स्थिति वाला कोई अन्य भवन उपलब्ध है आदि-आदि। आयोग ने आमतौर पर इस प्रकार के प्रस्तावों को बगैर पर्याप्त और समाधानकारक कारणों के स्वीकृत न करने की नीति अपनाई। १७ जिलों से प्राप्त १०३ प्रस्तावों में से केवल ७६ के लिए स्वीकृति दी गई जिनकी जिलावार जानकारी परिशिष्ट-नौ में दर्शाई गई है।

## 2. निर्वाचन सामग्री व उसकी व्यवस्था :

निर्वाचन से संबंधित निम्नांकित सामग्री के प्रदाय की व्यवस्था आयोग के स्तर पर की गई, अर्थात्:—

(i). मतपेटियां.—वर्ष १९९४ में आयोग द्वारा भारत निर्वाचन आयोग से मतपेटियां किराये पर लेकर नगरपालिकाओं के आम निर्वाचन सम्पन्न कराए गए थे। बाद में आयोग द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार ३५,००० मतपेटियां क्रय कर ली गई। अतः इस आम निर्वाचन में इन्हीं मतपेटियों का उपयोग किया गया। चूंकि नगरपालिका निर्वाचन में केवल ११५४ मतदान केन्द्र थे। अतएव मतपेटियों की व्यवस्था करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई।

(ii) पीतल एवं घूमते तीरों वाली रबर की सीलें.—सन् 1994 में पंचायत आम चुनाव के समय एक लाख पीतल की सीलें खरीदी जा चुकी थीं, उन्हीं सीलों का उपयोग नगरपालिका आम निर्वाचन 1999 में भी किया गया। इसी प्रकार मतांकन में उपयोग की जाने वाली घूमते हुए तीरों के निशान वाली रबर की मोहरें भी पर्याप्त संख्या में बनाकर जिलों को प्रदाय की जा चुकी थीं जिनका उपयोग इस आम निर्वाचन में किया गया।

(iii) अमिट स्याही.—पंचायत आम निर्वाचन 1999 के द्वितीय आम चुनाव के लिए अमिट स्याही क्रय की गई थी किन्तु मान, उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में पंचायत निर्वाचन स्थगित हो जाने से अमिट स्याही का पर्याप्त संधर्थ आयोग में उपलब्ध था, अतः नगरपालिका आम निर्वाचन के लिये इसी स्याही का उपयोग किया गया इसकी पृथक् से व्यवस्था नहीं करना पड़ी।

### 3. मतपत्रों के मुद्रण के लिए कागज एवं अन्य सामग्री की व्यवस्था :

इस आम चुनाव में पार्षदों के साथ-साथ महापौर / अध्यक्ष का निर्वाचन भी प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होना था। अतः आयोग द्वारा नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायतों के पार्षद एवं महापौर/अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए मतदान में प्रयुक्त होने वाले साधारण मतपत्रों के रंग निम्नानुसार निर्धारित किये गये :—

#### (क) पार्षद के लिए —

1. नगर पंचायत के मामले में - नीला,
2. नगरपालिका परिषद् के मामले में - पीला, तथा
3. नगरपालिक निगम के मामले में - गुलाबी

#### (ख) महापौर/अध्यक्ष के लिए - सफेद

("निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र" का रंग, सभी के लिये, सफेद रखा गया)

अतः मतपत्रों के मुद्रण हेतु निम्नलिखित मात्रा में कागज शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल के माध्यम से क्रय किया गया :—

- |                      |            |
|----------------------|------------|
| 1. नीला (ब्लू वोव)   | 62 मि. टन  |
| 2. पीला (यलो वोव)    | 91 मि. टन  |
| 3. गुलाबी (पिंक वोव) | 92 मि. टन  |
| 4. सफेद (व्हाइट वोव) | 250 मि. टन |

(iv) निर्वाचन हेतु प्ररूप एवं परिनियत लिफाफों की व्यवस्था.—नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के अंतर्गत निर्धारित प्ररूप क्रमांक 2 से लेकर 24 तक शासकीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित कराकर जिलों

को प्रदाय करने की व्यवस्था की गई। इसी प्रकार निर्वाचन प्रक्रिया में उपयोग में आने वाले परिनियत लिफाफे भी केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल में तैयार कराकर जिलों को प्रदाय किए गए।

(v) अन्य सामग्री.—मतदान के समय मतदान केन्द्रों में उपयोग में आने वाली सामग्री तथा मतगणना और जिला निर्वाचन कार्यालय एवं रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में उपयोग होने वाली लेखन सामग्री आदि की मात्रा (प्रति मतदान केन्द्र के मान से) निर्धारित की गई जिसका विवरण परिशिष्ट-दस में दर्शाया गया है।

इस सामग्री में से अधिकांश, नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री म. प्र. के माध्यम से क्रय कराकर जिलों को वितरित की गई जबकि परिशिष्ट-दस में अंकित सामग्री में से क्रमांक 4 से 13 तथा 15 से 31 तक की सामग्री जिला स्तर पर क्रय कर व्यवस्था करने के निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए गए।

---

## अध्याय 6

**नगरपालिका आम निर्वाचन 1999 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम**

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10-11-99 को प्रदेश में नगरीय निकायों (नगरपालिक निगमों, नगरपालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों) के द्वितीय आम निर्वाचन तथा नवगठित नगरीय निकायों, जिनमें निर्वाचन की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण हो गई थीं, के निर्वाचन दो चरणों में सम्पन्न कराने हेतु निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया गया। जारी कार्यक्रम के अनुसार प्रथम चरण का निर्वाचन दिनांक 19-11-99 से प्रारंभ होकर 23-12-99 को पूर्ण होना था तथा द्वितीय चरण का निर्वाचन 25-11-99 को, प्रारंभ होकर दिनांक 26-12-99 को पूर्ण होना था।

नगरीय निकायों में किये गये आरक्षण को लेकर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कुछ याचिकाएं दायर हुई थीं जिनका विस्तृत विवरण अध्याय-9 में दिया गया है। इन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिनांक 18-11-99 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह वांछा की गई कि आयोग दिनांक 19-11-99 को प्रकाशित की जाने वाली निर्वाचन की सूचना को थोड़ा आगे बढ़ा दे। माननीय उच्च न्यायालय की इस वांछा की जानकारी महाधिवक्ता म. प्र. के माध्यम से आयोग को प्राप्त होने पर आयोग ने नगरीय निकायों के प्रथम चरण के निर्वाचन की सूचना को दिनांक 19-11-99 के स्थान पर दिनांक 29-11-99 को प्रकाशित करने के निर्देश दिये।

उक्त संशोधन के फलस्वरूप नगरपालिकाओं के आम निर्वाचन निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार सम्पन्न कराए गए :—

**नगरपालिका निर्वाचन कार्यक्रम**

क्र.	कार्यवाही	निर्धारित तारीख, दिन और समय	
(1)	(2)	(3)	(4)
1	(i) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना. (ii) स्थानों (सीटों के आरक्षण) के संबंध में सूचना का प्रकाशन. (iii) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	25-11-99 गुरुवार प्रातः 10.30 बजे तदैव तदैव	29-11-99 सोमवार प्रातः 10.30 बजे तदैव तदैव

(1)	(2)	(3)	(4)
2	नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख.	2-11-99 गुरुवार अपराह्न 3.00 बजे तक	6-12-99 सोमवार अपराह्न 3.00 बजे तक
3	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच)	3-12-99 शुक्रवार प्रातः 10.00 बजे से	7-12-99 मंगलवार प्रातः 10.00 बजे से
4	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख.	6-12-99 सोमवार अपराह्न 3.00 बजे तक	9-12-99 गुरुवार अपराह्न 3.00 बजे तक
5	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन.	6-12-99 सोमवार अभ्यर्थिता वापसी के बाद	9-12-99 गुरुवार अभ्यर्थिता वापसी के बाद
6	मतदान	22-12-99 बुधवार प्रातः 7.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक	26-12-99 रविवार प्रातः 7.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक
7	मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा.	26-12-99 रविवार प्रातः 9.00 बजे से	28-12-99 मंगलवार प्रातः 9.00 बजे से

नगरपालिक निगम, ग्वालियर के महापौर के आरक्षण को लेकर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर में प्रस्तुत याचिका क्रमांक 1730/99 एवं 1744/99 के परिप्रेक्ष्य में नगरपालिक निगम, ग्वालियर निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन दिनांक 29-11-99 के बजाय दिनांक 2-12-99 को किया गया परन्तु प्रथम क्रमशः दिनांक 26-12-99 तथा 28-12-99 को सम्पन्न करा ली गई। प्रथम एवं द्वितीय चरण के मिलित नगरपालिकाओं का विवरण परिशिष्ट-ग्यारह में अंकित है।

## अध्याय 7

## नाम-निर्देशन प्रस्तुत किया जाना, उनकी संवीक्षा, अभ्यर्थिता वापसी तथा निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन

### 1. नाम-निर्देशन प्रस्तुत किया जाना :

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कलेक्टर को जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) घोषित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में कलेक्टर की सहायता हेतु उसके द्वारा नामांकित एक डिप्टी कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर को उप जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रत्येक राजस्व अनुभाग में, अनुभाग के अन्तर्गत आने वाली नगरपालिकाओं में निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था की देखरेख के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अतिरिक्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला मुख्यालय की नगरपालिका के कलेक्टर को ही पदेन रिटर्निंग ऑफिसर पदाभिहित किया गया है। जिला मुख्यालय के बाहर की किसी नगरपालिका में सामान्यतया उस राजस्व अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है जो सम्बन्धित राजस्व प्रशासन की इकाई का प्रमुख अधिकारी हो, यथा अपर कलेक्टर या अनुविभागीय अधिकारी या तहसीलदार, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के पदों पर नियुक्तियां मुख्यतः राजस्व प्रशासन के अधिकारियों की ही की गई, जिन्हें निर्वाचन कार्यों का विशेष अनुभव रहता है।

आयोग द्वारा रिटर्निंग ऑफिसरों के मार्गदर्शन हेतु “निर्वाचन संदर्शिका” नामक एक हस्त-पुस्तिका प्रकाशित की गई। जिसमें उनके कर्तव्यों तथा आवश्यक विधिक प्रावधानों, नियमों, प्रक्रिया तथा आयोग के निर्देशों का सार समाविष्ट है। नाम-निर्देशन पत्रों के प्रस्तुतीकरण और उनकी संवीक्षा कार्य के महत्व को देखते हुए आयोग ने पृथकशः “नाम-निर्देशन-पत्रों की प्रस्तुति और संवीक्षा तथा प्रतीक आवंटन निर्देश” शीर्षक के अन्तर्गत रिटर्निंग ऑफिसरों के मार्गदर्शन के लिए एक निर्देशिका प्रकाशित की। नाम निर्देशन-पत्रों की प्रस्तुति, संवीक्षा और अभ्यर्थिता वापसी के सम्बन्ध में रिटर्निंग ऑफिसरों को जो निर्देश दिये गये उनके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नानुसार हैः—

(1) नाम-निर्देशन प्राप्त करने हेतु विभिन्न प्रकार की नगरपालिकाओं में निम्नानुसार सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए जाएं —

- (क) नगर पंचायत में - एक या दो।
- (ख) नगरपालिका परिषद् में - कम से कम दो, परन्तु यदि वार्डों की संख्या 20 से 30 हो तो 3 तथा 30 से 40 हो तो - चार।
- (ग) नगरपालिका निगम में प्रत्येक 7 या 8 वार्डों के समूह के लिए - एक।

## 2. नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा :

नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा का कार्य रिटर्निंग आफिसर द्वारा स्वयं किया जाए। संवीक्षा क्रम से, एक के बाद एक, वार्डवार की जाए, ताकि रिटर्निंग आफिसर के कक्ष में भीड़ न होने पाए। संवीक्षा में निम्नांकित बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखने के निर्देश दिए गये:—

किसी नाम-निर्देशन पत्र को लिपिकीय या मुद्रण संबंधी भूल या किसी ऐसी त्रुटि के आधार पर जो सारभूत प्रकार की न हो, अस्वीकृत न किया जाए; यदि नाम-निर्देशन पत्र में कोई लिपिकीय त्रुटि दिखे तो उसे उसी समय अभ्यर्थी को बता कर ठीक करा लिया जाए। सामान्य दृष्टिकोण यह रहे कि अभ्यर्थी को मतदाताओं के समक्ष जाने और अपनी लोकप्रियता सिद्ध करने के अवसर से वंचित नहीं किया जाए, जब तक कि वह किसी अन्य निरहता से ग्रस्त न हो और नाम-निर्देशन पत्र में सारभूत प्रकार की खामी न हो, नाम-निर्देशन पत्र अस्वीकृत किये जाने के कारणों का संक्षिप्त विवरण अवश्य अभिलेखित किया जाए।

## 3. अभ्यर्थिता वापसी :

अभ्यर्थिता वापसी के आवेदन-पत्र की प्रमाणिकता और उसे प्रदत्त करने वाले व्यक्ति की पहचान के बारे में रिटर्निंग आफिसर को अपना पूर्ण समाधान कर लेना चाहिए तथा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नामों की सूची वर्णक्रमानुसार सावधानी से तैयार की जानी चाहिए।

## 4. महापौर/अध्यक्ष तथा पार्षद पदों हेतु चुनाव मैदान में शेष उम्मीदवारों की जानकारी :

अभ्यर्थिता वापसी के बाद नगरपालिका निगमों में 13 महापौर के पदों के लिए 135 अभ्यर्थी नगरपालिका परिषदों में 77 अध्यक्ष पदों के लिए 285 अभ्यर्थी तथा नगर पंचायतों में 218 अध्यक्ष के पदों के लिये 2064 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में बने रहे। इस प्रकार इस आम चुनाव में सम्मिलित कुल 308 निकायों के पार्षद के पदों के लिए कुल मिलाकर 27,607 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में शेष रहे।

उल्लेखनीय है कि 13 महापौर के पदों के लिए मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा 63 अभ्यर्थी खड़े किए गए थे जबकि 71 अभ्यर्थी निर्दलीय थे। इसी प्रकार नगरपालिका परिषदों में 77 अध्यक्ष पदों के लिए मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा 212 अभ्यर्थी खड़े किए गए थे जबकि 202 अभ्यर्थी निर्दलीय रूप चुनाव मैदान में थे।

यहां विशेष उल्लेखनीय है कि इस आम चुनाव में सम्मिलित 218 नगर पंचायतों में अध्यक्ष/पार्षद के दों के लिए चुनाव दलीय आधार पर नहीं हुए। इन नगर पंचायतों में अध्यक्ष के पदों हेतु 2064 अभ्यर्थी था 3270 पार्षद के पदों हेतु 13528 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे।

## 5. निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन :

अभ्यर्थिता वापसी के पश्चात् निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रतीक आवंटन किया गया।

निर्वाचन प्रतीकों के आवंटन के संबंध में मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 31 के उप-नियम (1) में यह उपबन्ध है कि किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किये गये अभ्यर्थी को केवल वही प्रतीक आवंटन किया जाएगा जो उस दल के लिए आरक्षित है, और कोई अन्य प्रतीक नहीं। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल से आशय केवल ऐसे दल से है जिसे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन राष्ट्रीय दल के रूप में या मध्यप्रदेश में राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए वे ही निर्वाचन प्रतीक आरक्षित किए गए हैं जो उक्त प्रतीक आदेश के अन्तर्गत आरक्षित हैं।

आयोग द्वारा निर्दलीय उम्मीदवारों के लिये मुक्त निर्वाचन प्रतीक निश्चित किये हैं। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के लिए आरक्षित तथा निर्दलीय उम्मीदवारों के लिये निश्चित मुक्त निर्वाचन प्रतीक परिशिष्ट-बारह-अ एवं ब में उल्लिखित है।

नियम 31 के उप-नियम (2) में यह भी उपबन्ध है कि,—

कोई अभ्यर्थी, किसी मान्यता-प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा तभी और केवल तभी खड़ा समझा जाएगा यदि—

- (i) अभ्यर्थी ने अपने नाम-निर्देशन-पत्र में इस प्रकार की घोषणा कर दी है, और
- (ii) अभ्यर्थिताएं वापस लिए जाने के अंतिम दिन के अपराह्न 3.00 बजे के पूर्व तक इस प्रकार की सूचना प्ररूप-8 में रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित में दी गई है तथा उसकी प्रज्ञापना जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी दी गई है, और
- (iii) उक्त सूचना, दल की जिला इकाई के किसी ऐसे पदधारी द्वारा हस्ताक्षरित की गई है जो दल की राज्य इकाई द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, और
- (iv) ऐसे प्राधिकृत अधिकारी का नाम तथा नमूना हस्ताक्षर रिटर्निंग ऑफिसर को प्ररूप-9 में संसूचित कर दिये गये हैं तथा जिसकी प्रज्ञापना जिला निर्वाचन अधिकारी को भी दी गई है।

स्पष्टतया इस उपबन्ध के अन्तर्गत प्रत्येक मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल से निम्नांकित कार्यवाही अपेक्षित हैः—

- (i) दल द्वारा प्रत्येक जिले की नगरपालिका/नगरपालिकाओं के लिए खड़े किये गए अभ्यर्थियों की सूची सम्बन्धित नगरपालिका के रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत करने हेतु दल की जिला इकाई के किसी पदधारी को प्राधिकृत किया जाना, तथा
- (ii) दल की जिला इकाई के प्राधिकृत पदधारी के नाम और नमूना हस्ताक्षर दल की राज्य इकाई के किसी पदधारी (अध्यक्ष/सचिव) द्वारा प्रमाणित किया जाना और (निर्धारित प्ररूप में) सम्बन्धित रिटर्निंग ऑफिसर को (निर्धारित समय के भीतर) उपलब्ध कराया जाना।

राज्य सरकार द्वारा निर्वाचन नियम, 31(6) के अन्तर्गत इस आशय की अधिसूचना जारी किये जाने के बाद कि नगर पंचायतों के निर्वाचन में राजनैतिक दलों के लिए आरक्षित निर्वाचन प्रतीक किसी अभ्यर्थी को आवंटित नहीं किया जाएगा, नगर पंचायतों के निर्वाचन दलीय आधार पर नहीं हुए। अतः उनमें सभी अभ्यर्थियों ने निर्दलीय अभ्यर्थियों की हैसियत से चुनाव लड़ा। आयोग द्वारा नगर पंचायत के अध्यक्ष एवं पार्षद के निर्वाचन के लिये मुक्त निर्वाचन प्रतीक निश्चित किये गये। मुक्त निर्वाचन प्रतीक परिशिष्ट तेरह-अ एवं ब पर प्रस्तुत है। परन्तु नगरपालिक निगमों तथा नगरपालिका परिषदों के निर्वाचन दलीय आधार पर हुए और उनमें मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए आरक्षित निर्वाचन प्रतीक ऐसे दलों द्वारा विधिवत खड़े किये गये। अभ्यर्थियों को आवंटित किये गये।

इंडियन नेशनल कांग्रेस की राज्य इकाई द्वारा अभ्यर्थिता वापस लेने की अन्तिम तारीख तक नगरपालिक निगम इन्दौर के लिए अपने अभ्यर्थियों की सूची को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। अतएव नगरपालिक निगम इन्दौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए आरक्षित निर्वाचन प्रतीक का किसी अंभ्यर्थी को आवंटन नहीं किया गया।

नगरपालिका निर्वाचन में राजनैतिक दलों तथा मतदाताओं के भारी उत्साह को देखते हुए इस बात की पूरी संभावना थी कि अनेक वार्डों में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या काफी अधिक रहेगी। अतएव, आयोग ने, इस संभावना को ध्यान में रखते हुए अपने आदेश के द्वारा अतिरिक्त निर्वाचन प्रतीकों को मुक्त निर्वाचन प्रतीक निर्धारित किया जिनकी सूची परिशिष्ट-चौदह में दी गई है।

## 6. विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार :

भारतीय जनता पार्टी द्वारा महापौर/अध्यक्ष पद के लिए ४० अभ्यर्थी खड़े किए गए जबकि ४७ अभ्यर्थियों द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस के निर्वाचन प्रतीक पर चुनाव लड़ा गया। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा

खड़े किए गए उम्मीदवारों की संख्या निम्नानुसार है :—

क्र.	राजनैतिक दल का नाम	निर्वा. में खड़े होने वाले अध्यर्थियों की संख्या	
		पद	महापौर/अध्यक्ष
		पार्षद	
1	भारतीय जनता पार्टी	90	2,427
2	इंडियन नेशनल कांग्रेस	87	2,322
3	भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी	06	142
4	भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)	05	66
5	जनता दल	10	138
6	जनता दल सेक्यूलर	04	42
7	जनता दल युनाइटेड	15	190
8	बहुजन समाज पार्टी	67	794
9	जनता पार्टी	01	01

## अध्याय 8

**निर्विरोध निर्वाचन**

अभ्यर्थिता वापसी के बाद नगरपालिका परिषदों में । तथा नगर पंचायतों के ८४ वार्डों में केवल एक-एक अभ्यर्थी चुनाव मैदान में शेष रह जाने से इन वार्डों में पार्षद पदों के लिए उन्हें निर्विरोध रूप से निर्वाचित घोषित किया गया । नगर पंचायत, दबोह, जिला भिण्ड के अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए केवल एक ही अभ्यर्थी चुनाव मैदान में शेष रह जाने के कारण अध्यक्ष के पद का निर्विरोध निर्वाचन सम्पन्न हो गया । निर्विरोध निर्वाचन का विवरण परिशिष्ट-पंद्रह पर है ।

---

## अध्याय 9

## मतदान हेतु की गई विभिन्न प्रशासनिक व्यवस्थाएं

### 1. मतदान दलों का गठन एवं प्रशिक्षण :

(1) नगरपालिका निर्वाचन में स्थापित किये जाने वाले मतदान केन्द्रों की संख्या सीमित होने के कारण मतदान दलों के लिए वरिष्ठ और अनुभवी शासकीय अधिकारियों की उपलब्धता में कोई कठिनाई नहीं थी। अतएव जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि वे केवल ऐसे व्यक्ति को ही पीठासीन अधिकारी नियुक्त करें जो राज्य सरकार या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी या राज्य सरकार के किसी सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत् हो और यदि कदाचित् नगरपालिका मुख्यालय में इस प्रकार के कर्मचारियों की कमी हो, यद्यपि ऐसा नहीं होना चाहिये, तो विकासखण्ड स्तर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थ वरिष्ठ सरकारी कर्मचारियों को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाए। मतदान दलों के गठन के सम्बन्ध में जिला निर्वाचन अधिकारियों को जो निर्देश दिये गये थे वे निम्नांकित थे :—

- (1) नगरपालिका में विभिन्न वार्डों के लिए जितने मतदान केन्द्र स्थापित किए गए हों उस संख्या से न्यूनतम 5 प्रतिशत अधिक मतदान दलों का गठन किया जाए। अतिरिक्त दल “आरक्षित दलों” के तौर पर किसी आकस्मिक या अप्रत्याशित स्वरूप की स्थिति में उपयोग में लाये जाने के लिए हैं। आरक्षित दलों के सदस्यों को मतदान के दिन मतदान संचालन केन्द्र में बराबर उपलब्ध रहने के लिए निर्देशित किया जाए।
- (2) प्रत्येक मतदान दल में एक पीठासीन अधिकारी एवं तीन मतदान अधिकारी नियुक्त किए जाएं। पीठासीन अधिकारियों का चयन करते समय मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 17 (1) के परन्तुक को ध्यान में रखा जाए। इसके अनुसार ऐसा कोई व्यक्ति जो राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या राज्य सरकार के किसी सार्वजनिक उपक्रम के नियोजन में न हो, पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित मतदान संचालन के लिए पीठासीन अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः पीठासीन अधिकारियों का चयन सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए ताकि वे अपने मतदान दल का उचित मार्ग दर्शन कर सकें तथा मतदान की निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता बनाए रख सकें। विषम परिस्थितियों में पीठासीन अधिकारी की सूझबूझ पर ही मतदान का सुचारू संचालन निर्भर करता है। यथासंभव इस कार्य के लिए पर्याप्त वरिष्ठ एवं अनुभवी अधिकारियों का ही चयन किया जाना चाहिए। यदि नगरपालिका मुख्यालय में इस प्रकार के कर्मचारियों की कमी हो (यद्यपि सामान्यतया ऐसा नहीं होना चाहिए), तो विकासखण्ड मुख्यालय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थ वरिष्ठ शासकीय कर्मचारियों की सेवाएं इस प्रयोजन के लिए ली जाएं।

- (3) मतदान अधिकारी क्रमांक 1, जिसे आवश्यकता पड़ने पर पीठासीन अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन भी करना होता है, के चयन में पर्याप्त सावधानी बरती जाना चाहिए।
- (4) किसी अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के पक्ष में मतदान कार्मिकों में परस्पर कोई सांठगांठ करने का आरोप न लगे और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन के बारे में राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मन में किसी प्रकार की शंका न हो इस उद्देश्य से मतदान दलों का गठन भिन्न-भिन्न कार्यालयों और विभागों के कर्मचारियों को मिलाकर किया जाए।
- (5) यथासम्भव प्रत्येक मतदान दल में एक महिला कर्मचारी रखी जाए। ऐसी महिला कर्मचारी उसी वार्ड की निवासी हो सकती है, जिससे मतदान केन्द्र स्थित है। महिला मतदान अधिकारियों को, मतदान की पूर्व संध्या से ही मतदान केन्द्र में उपस्थित रहने की अनिवार्यता से छूट देते हुए मतदान के दिन, मतदान प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व, मतदान केन्द्र में उपस्थित होने की सुविधा दी जाए। यदि इस सुविधा का दुरुपयोग करते हुए कोई महिला मतदान अधिकारी समय पर मतदान केन्द्र में उपस्थित न हो तो उसके विरुद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए।
- (6) सामान्यतया अत्यावश्यक सेवाओं जैसे कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जनसम्पर्क, जल प्रदाय, दुग्ध प्रदाय, परिवहन एवं विद्युत् प्रदाय में संलग्न, फील्ड स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों को मतदान दलों में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। परन्तु इन अत्यावश्यक सेवाओं के ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्वाचन में ड्यूटी लगाई जा सकती है जो कार्यालयों में काम करते हैं। न्यायिक सेवा के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखा गया है, अतएव उनकी ड्यूटी न लगाई जाए।
- (7) (i) ऐसे अधिकारी/कर्मचारी को जो कि चुनाव लड़ रहे किसी अभ्यर्थी का नजदीकी रिश्तेदार हो, उस वार्ड के मतदान केन्द्र में पदस्थ नहीं किया जाए जहां से संबंधित अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहा हो, तथा
- (ii) महिला मतदान अधिकारियों को छोड़कर, अन्य किसी भी कर्मचारी को उस वार्ड के मतदान केन्द्र पर तैनात न किया जाए जिस वार्ड में उसका निवास-स्थान है।

विभिन्न मतदान केन्द्रों के लिए गठित किए जाने वाले मतदान दलों की नियुक्ति के प्रस्ताव उपरोक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा तैयार कर जिला निर्वाचन अधिकारी को अनुमोदनार्थ भेजे जाएं। जिला निर्वाचन अधिकारी को यह अधिकार है कि वह सूची में आवश्यक संशोधन करें। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुमोदित सूची के आधार पर, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों की नियुक्ति आदेश अपने हस्ताक्षर से जारी किया जाए।

(8) मतदान दलों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रसारित निर्देशों की मुख्य बातें निम्नांकित थीं :—

- (i) प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र से एक या दो वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारियों का प्रशिक्षकों के रूप में चयन कर के सर्वप्रथम उन्हें जिला मुख्यालय पर प्रशिक्षण दिया जाए। प्रशिक्षकों के इस प्रशिक्षण सत्र में जिला निर्वाचन अधिकारी तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी उपस्थित रहें। प्रशिक्षण में, प्रशिक्षणार्थियों की जिज्ञासा का पूर्ण समाधान करने के लिए प्रश्न-उत्तर प्रणाली को प्रोत्साहित किया जाए; मतपेटियों को खोलने और बन्द करने का पूर्वाभ्यास किया जाए; मतदाता की पहचान बाबत आपत्ति प्रस्तुत होने पर तथा निविदत्त मत की स्थिति निर्मित होने पर आगे की जानेवाली कार्यवाही हो भलीभांति समझाया जाए तथा मतपत्र लेखा तैयार करने की प्रक्रिया, उदाहरण के साथ, विस्तार से समझाई जाए।
- (ii) मतदान दलों का प्रशिक्षण संबंधित नगरपालिका के मुख्यालय पर आयोजित किया जाए। एक समूह में 100 से अधिक अधिकारी/कर्मचारी न रखे जाएं ताकि प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी की ओर समुचित ध्यान दिया जा सके।
- (iii) प्रशिक्षण का पहला दौर निर्वाचन की सूचना जारी होने के तुरंत बाद आयोजित किया जाए और इस दौर में केवल पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अधिकारी क्रमांक-एक को ही बुलाया जाए। प्रशिक्षण का दूसरा दौर मतदान के लिए निर्धारित तारीख से एक सप्ताह पूर्व आयोजित किया जाए और उसमें पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अधिकारी क्रमांक एक के अतिरिक्त मतदान अधिकारी क्रमांक-दो को भी बुलाया जाए। मतदान अधिकारी क्रमांक-तीन को प्रशिक्षण में बुलाने की आवश्यकता नहीं है; उसके कर्तव्य बहुत सीमित स्वरूप के होने के कारण उसे पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं मतदान की तारीख के पूर्व की संध्या को, मतदान केन्द्र पर आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

सितम्बर 1999 में सम्पन्न लोकसभा निर्वाचन के समय मतदाताओं के बाएं हाथ की तर्जनी पर लगी अमिट स्याही का निशान होने से नगरपालिका निर्वाचन में विवाद/भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो इस कारण आयोग द्वारा नगरपालिका निर्वाचन, 1999 में मतदाताओं के बाये हाथ की तर्जनी की बजाए दायें हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही का निशान लगाने के निर्देश दिये गये।

**मतदान हेतु जोनल ऑफिसर्स की नियुक्ति।**—(1) मतदान का कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न कराने की दृष्टि से प्रत्येक नगरपालिका में आवश्यक संख्या में जोनल ऑफिसर्स नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। इस हेतु जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि नगर पंचायतों तथा छोटी नगरपालिका परिषदों में, जिनमें 20 से कम वार्ड हो, केवल एक जोनल ऑफिसर नियुक्त किया जाए। बड़ी नगरपालिका

परिषदों तथा नगरनिगमों में 25 से 30 मतदान केन्द्रों के समूह के लिए एक जोनल ऑफिसर नियुक्त किया जाए; नगरनिगमों तथा नगरपालिका परिषदों में जोनल ऑफिसर राजपत्रित अधिकारी रहें परन्तु नगर पंचायतों के मामले में तृतीय श्रेणी के वरिष्ठ कार्यपालिक अधिकारी भी जोनल ऑफिसर नियुक्त किये जा सकते हैं। जोनल अधिकारियों की नियुक्ति मतदान की तारीख से कम से कम दो सप्ताह पूर्व कर दी जाए ताकि वे अपने क्षेत्र के अन्तर्गत सभी मतदान केन्द्रों का, ठीक से पूर्वावलोकन कर लें और मतदान की तारीख से पर्याप्त पहले जिला निर्वाचन अधिकारी को यह अवगत करा सकें कि चयनित मतदान केन्द्रों के भवनों तथा उन तक पहुंचने के मार्गों की हालत कैसी है और उनमें क्या-क्या सुधार आवश्यक हैं।

जोनल ऑफिसरों के साथ संबंधित नगरपालिका का एक अधिकारी/कर्मचारी भी सम्बद्ध किए जाने के निर्देश दिए गए ताकि मतदान केन्द्रों पर की जाने वाली आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था (जैसे कि प्रकाश, पेयजल, सफाई, फर्नीचर आदि) के सम्बन्ध में उस नगरपालिका का सहयोग लिया जा सके।

(2) जोनल ऑफिसरों से अपेक्षित कर्तव्य निम्नानुसार थे :—

(क) मतदान से पूर्व —

- (i) मतदान दलों के प्रशिक्षण के दौरान स्वयं उपस्थित रहना और दलों के पीठासीन अधिकारियों से परिचय प्राप्त करना।
- (ii) मतदान सामग्री के वितरण के दिन वितरण केन्द्र पर स्वयं उपस्थित रहना और यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक दल ने आवश्यक सामग्री प्राप्त कर ली है और उसकी ठीक से जांच भी कर ली है।
- (iii) मतदान दलों को निर्धारित व्यवस्था के अनुसार अपने गन्तव्य स्थान के लिए रवाना कराना और यदि किसी दल में कोई पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी अनुपस्थित हो तो उसके स्थान पर आरक्षित दलों में से एवजीदार भेजने की व्यवस्था करना।
- (iv) प्रत्येक मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी से दल के मतदान केन्द्र पर पहुंच जाने पर प्रमाण-पत्र प्राप्त करना और ऐसे समस्त प्रमाण-पत्र संकलित कर उसे रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपना।
- (v) यदि किसी मतदान केन्द्र में व्यवस्था सम्बन्धी कोई कमी रह गई हो तो उसे स्थानीय तौर पर दूर करना।

## (ख) मतदान के दिन —

- (i) मतदान के दिन प्रातः काल से ही अपने साथ कुछ अतिरिक्त मतपेटियां तथा अमिट स्याही की शीशियां आदि आवश्यक सामग्री लेकर मतदान केन्द्रों का सिलसिलेवार भ्रमण करना।
- (ii) सेक्टर मजिस्ट्रेटों तथा पुलिस अधिकारियों से सम्पर्क बनाये रखना तथा उन्हें ऐसे मतदान केन्द्रों की जानकारी देना जहां गड़बड़ी की आशंका हो। अपने क्षेत्र के सम्बन्धित प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना की जानकारी तुरंत निकटस्थ पुलिस थाने या पुलिस नियंत्रण कक्ष या रिटर्निंग ऑफिसर को देना।
- (iii) यदि किसी मतदान केन्द्र पर कोई समस्या दिखे उसके निदान के लिए समुचित कार्यवाही या पहल करना।
- (iv) मतदान की समाप्ति के पश्चात् निर्धारित परिवहन व्यवस्था से मतदान दलों की वितरण केन्द्र पर वापसी सुनिश्चित करना और मतपेटियों सहित मतदान सामग्री जमा कराना।

## 3. प्रेक्षकों की नियुक्ति :

आयोग द्वारा चुनावों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के संबंध में राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों तथा आम लोगों के मन में विश्वास पैदा करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को आयोग के प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। प्रेक्षकों से अपेक्षा की गई कि वे मतदान की तारीख से शुक्रम से कम दो दिन पूर्व आवंटित जिले में पहुंचे और वहां निर्वाचन परिणाम की घोषणा तक रुके रहें। उन्हें निर्देशित किया गया कि वे अपने प्रवास के दौरान अभ्यर्थियों और राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से मिलते रहें और उनकी शिकायतों और सुझावों पर विचार कर तत्परता से जांच और समुचित कार्यवाही करें। उन्हें विशेष तौर पर यह देखने के लिए कहा गया कि क्या संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की गई है; मतदाता सूचियां ठीक से बनी हैं; अभ्यर्थियों को प्रक्रिया और व्यवस्था के संबंध में कोई शिकायतें तो नहीं हैं; मतदाताओं को डराने धमकाने अथवा प्रलोभन देकर मतदान कराने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है; आदि। कलेक्टरों को यह भी निर्देश दिये गये कि संवेदनशील क्षेत्रों में मतदान केन्द्रों पर बूथ केचरिंग इत्यादि की घटनाओं के घटित होने की आशंका के मद्देनजर प्रेक्षक द्वारा मांग करने पर एक वीडियो ग्राफर की सेवाएं उपलब्ध कराई जाए। विभिन्न जिलों में नियुक्त किये गये प्रेक्षकों का विवरण परिशिष्ट-सोलह में है।

## अध्याय 10

### मतपत्रों की व्यवस्था

#### निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र :

(1) निर्वाचन नियम 63 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो एक मतदाता के रूप में किसी नगरपालिका रजिस्ट्रीकृत है और निर्वाचन की तारीख को निर्वाचन कर्तव्यारूढ़ होने के कारण उस मतदान केन्द्र पर हाँ वह मतदाता के रूप में मतदान का हकदार है, मतदान करने में असमर्थ है, निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र माध्यम से मतदान कर सकता है। इस श्रेणी में निर्वाचन कर्तव्य पर नियुक्त लोक सेवकों जैसे कि पीठासीन वं मतदान अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, सुरक्षा कर्मी, अधिगृहीत वाहनों के वाहन चालक आदि के अतिरिक्त अध्यर्थियों द्वारा नियुक्त मतदान अभिकर्तागण भी आते हैं।

(2) आयोग द्वारा कोरे निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र पहले से ही मुद्रित करा कर जिला निर्वाचन अधिकारियों ने उपलब्ध कराये गये थे। किसी जिले को उपलब्ध कराये जाने वाले कोरे निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की संख्या उस जिले की समस्त नगरपालिकाओं के लिए स्थापित मतदान केन्द्रों की संख्या की दस गुना रखी ई। इसके पीछे अवधारणा यह थी कि औसतन प्रति मतदान केन्द्र 10 से अधिक कर्मी तथा अभिकर्तागण निर्वाचन कर्तव्यारूढ़ नहीं होंगे। निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र निम्नानुसार तीन आकारों में प्रदाय किये गये :—

- (क) एक कालम में 9 खाने वाले — (कुल संख्या के 95 प्रतिशत)।
- (ख) दो कालमों में 7+7, (14) खाने वाले — (कुल संख्या के 3 प्रतिशत)।
- (ग) दो कालमों में 9+9, (18) खाने वाले — (कुल संख्या के 2 प्रतिशत)।

जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे विभिन्न नगरपालिकाओं में मतदान केन्द्रों की संख्या तथा विभिन्न वार्डों में निर्वाचन लड़ने वाले अध्यर्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए जिले को दाय किये गये निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों का समुचित वितरण करें। मतपत्रों के आकार की, निर्वाचन लड़ने वाले अध्यर्थियों की संख्या के अनुसार कटिंग मशीन से अथवा अन्यथा काटकर आवश्यकतानुसार छोटा गर लिया जाए।

(3) निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र तैयार करने और उन्हें प्रदाय करने के बारे में “निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र गारी करने के सम्बन्ध में निर्देश” शीर्षक के अन्तर्गत विस्तृत निर्देश, पुस्तकाकार में प्रसारित किये गये। न निर्देशों की कतिपय उल्लेखनीय बातें निम्नानुसार थी :—

- (i) जिन मतदाताओं को निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र जारी किये जाएं उनसे सम्बन्धित मतदाता सूचियों की चिन्हित प्रतियों में, उन मतदाताओं के नामों के समक्ष नि. क. म. (निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र) अंकित किया जाए ताकि ऐसे मतदान केन्द्रों पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से मतदान करने से रोका जा सके।

- (ii) निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र जारी करने का कार्य रिटर्निंग ऑफिसर स्वयं करें अथवा एक नामनिर्दिष्ट सहायक रिटर्निंग ऑफिसर से कराएं।
- (iii) कोरे निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों में अभ्यर्थियों के नाम, (दल के नाम सहित, यदि कोई हो) उसी क्रम में अंकित किये जाएं जिस क्रम में उन्हें निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में रखा गया हो। मतपत्रों में अभ्यर्थियों के नाम कार्यालय में ही टंकित कराए जाएं।
- (iv) सुविधा की दृष्टि से निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र सम्बन्धी आवेदन-पत्र वितरित करने तथा भरे हुए आवेदन-पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण स्थल पर भी की जाए। जो कर्मचारी अपने निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र भरकर हाथोहाथ सौंपना चाहें उनसे मौके पर ही ऐसे मतपत्र प्राप्त करने की व्यवस्था भी की जाए। मतदान सामग्री के वितरण के दिन भी निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र प्राप्त करने की व्यवस्था निर्वाचन संचालन केन्द्र पर की जाए।
- (v) अंतिम तिथि तक जारी किये गये निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों के प्रतिपर्ण एक पैकेट में सीलबन्द कर सुरक्षित रखे जाएं।
- (vi) रिटर्निंग ऑफिसर या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट सहायक रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा हाथोहाथ या डाक से या संदेश वाहक के माध्यम से प्राप्त निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र लिफाफों को मतगणना प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व तक सुरक्षित अभिरक्षा में रखने की व्यवस्था की जाए।

## 2. सामान्य मतपत्र एवं उनका मुद्रण :

राज्य की 30% नगरपालिकाओं के महापौर/अध्यक्ष के पदों तथा पार्षद के 5757 पदों के निर्वाचन के लिये सामान्य मतपत्रों का एक साथ मुद्रण एक व्यापक कार्य था, अभ्यर्थिता वापसी तथा मतदान की तारीख के बीच लगभग दो सप्ताह की अल्प अवधि में इतने अधिक बार्डों के लिये (अभ्यर्थियों के नाम और निर्वाचन प्रीतक सहित) मतपत्र छापना एक कठिन चुनौती थी जिसे स्वीकारना केवल शासकीय मुद्रणालयों के लिये संभव नहीं था। अतः आयोग द्वारा नगर पंचायतों के पार्षदों के मतपत्र निजी मुद्रणालयों से छपवाने का निर्णय लिया गया। इस कार्य हेतु जिन निजी मुद्रणालयों को अनुबंधित किया गया उसका विवरण परिशिष्ट-सब्रह पर है। शेष मतपत्र अर्थात् नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद के महापौर/अध्यक्ष तथा पार्षदों के मतपत्र एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष के पदों के मतपत्र शासकीय मुद्रणालयों से मुद्रित कराए गए। इस कार्य हेतु राज्य के विभिन्न जिलों को जिन शासकीय मुद्रणालयों से सम्बद्ध किया गया उनका विवरण परिशिष्ट-अठारह पर है।

## मतदान सामग्री का परिवहन एवं वितरण व्यवस्था

(1) प्रत्येक नगरपालिका के लिए मतदान सामग्री के वितरण की व्यवस्था संबंधित नगरपालिका के ख्यालय से ही की गई। मतदान के पश्चात् मतपेटियां तथा अन्य सामग्री प्राप्त करने की व्यवस्था सामान्यतया स भवन में की गई जिसे मतगणना के लिए चुना गया था। ऐसा इसलिये किया गया ताकि सीलबंद तपेटियों को मत-गणना के लिए, फिर से किसी अलग भवन में ले जाने की आवश्यकता न रहे। ऐसे यन्ति भवन के एक कमरे को दृढ़ कक्ष (स्ट्रांग रूम) में बदलकर वहां मतपेटियां रखवाने की व्यवस्था भी गई।

मतदान दलों की वापसी पर मतदान सामग्री प्राप्त करने के लिए भवन में निम्नानुसार चार काउन्टर नाये गए और प्रत्येक काउन्टर का प्रभार किसी पदाधिकारी (सामान्यतया सहायक रिटर्निंग ऑफिसर) को सौंपा गया :—

काउन्टर क्रमांक 1—सीलबन्द मतपेटियां, मतपत्र लेखा तथा पीठासीन अधिकारी की डायरी का लिफाफा।

काउन्टर क्रमांक 2—परिनियत लिफाफों के बंडल, अपरिनियत कागज पत्रों का लिफाफा प्राप्त करने के लिए अभ्याक्षेपित (चेलेंज्ड) मतों की जसशुदा राशि और उनसे संबंधित रसीदों की प्रतियां।

काउन्टर क्रमांक 3—बची हुई सामग्री, वस्तुएं तथा खाली मत पेटियां प्राप्त करने के लिए।

काउन्टर क्रमांक 4—मतदान दलों की मानदेय राशि का भुगतान करने के लिए।

(2) मतदान दलों को उनके निर्दिष्ट मतदान केन्द्रों तक पहुंचाने और वहां से लाने के लिए प्रत्येक नगरपालिका के लिए पृथक् परिवहन कार्यक्रम बनाया गया। जिले की सभी नगरपालिकाओं के लिए वाहनों ने आवश्यकता के आंकलन और अधिग्रहण हेतु एक उप जिलाध्यक्ष को परिवहन व्यवस्था का प्रभार सौंपा गया। चूंकि वाहनों की आवश्यकता सीमित थी, अतः शासकीय विभागों तथा शासकीय उपक्रमों के हनों को छोड़कर अन्य स्त्रोतों से वाहन अधिग्रहीत करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अलबत्ता कुछ जिलों निजी वाहन मालिकों से मिनी बसें अधिग्रहीत की गईं।

## स्वच्छ एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने की दृष्टि से उठाये गये महत्वपूर्ण कदम

### ( 1 ) आदर्श आचरण संहिता लागू किया जाना :

आयोग ने निर्वाचन की शुचिता बनाये रखने तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के बातावरण में निर्वाचन सम्पन्न कराने के उद्देश्य से सभी राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के लिए आदर्श आचरण संहिता का एक प्रारूप तैयार किया। इस प्रारूप को टिप्पणी और सुझावों के लिए राज्य सरकार तथा विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को भेजा गया। राज्य सरकार ने प्रारूप आचरण संहिता के प्रति अपनी सहमति व्यक्त की जबकि राजनैतिक दलों में से किसी भी दल ने उसके संबंध में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। आयोग ने अपने आदेश दिनांक 10 नवम्बर 1999 द्वारा आदर्श आचरण संहिता को अंतिम रूप देकर प्रभावशील किया। आचरण संहिता परिशिष्ट-उनीस में उद्धृत है।

विभिन्न प्रचार माध्यमों से आचरण संहिता का व्यापक प्रचार कराया गया। उसकी एक-एक प्रति निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को भी निशुल्क प्रदाय की गई। जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा रिटर्निंग ऑफिसरों को निर्देशित किया गया कि वे राजनैतिक दलों तथा अभ्यर्थियों के साथ अपनी बैठकों और चर्चाओं में आदर्श आचरण संहिता के अनुपालन पर जोर दें और इसके किसी भी उपबन्ध के उल्लंघन की शिकायत पर तत्परता से जांच और उपयुक्त कार्यवाही करें।

### ( 2 ) स्थानांतरणों पर प्रतिबन्ध :

(i) नगर पालिका निर्वाचन के संबंध में आयोग ने निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की तिथि अर्थात् 10-11-1999 से ऐसे शासकीय विभागों तथा उपक्रमों के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरणों पर निम्नानुसार प्रतिबन्ध लागू किये :—

(क) जिनका मुख्यालय, नगरीय क्षेत्र में है, या

(ख) जिनका मुख्यालय भले ही नगरीय क्षेत्र के बाहर है, परन्तु जिन्हें नगरपालिका चुनाव के सिलसिले में कोई दायित्व सौंपा गया है।

(ii) जिन नगरीय निकायों के लिये चुनाव कराया जा रहा है उनके सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरणों पर भी पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा।

(iii) स्थानांतरणों पर उपरोक्त प्रतिबन्ध दिनांक 31-12-1999 तक प्रभावशील रहेगा।

(iv) यदि प्रतिबन्ध की अवधि के दौरान किसी विशेष परिस्थिति या प्रशासकीय आवश्यकता के कारण नई अधिकारी या कर्मचारी का स्थानान्तरण करना आवश्यक हो तो उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने पूर्वानुमति प्राप्त की जानी होगी।

(v) ऐसे अधिकारियों तथा कर्मचारियों को, जिन्हें चुनाव से संबंधित कोई ड्यूटी सौंपी गई हो, उनके भागीय अधिकारियों द्वारा आकस्मिक अवकाश को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार का अवकाश, जिला वाचन अधिकारी अर्थात् कलेक्टर की सहमति के बांगे स्वीकृत नहीं किया जाएगा। आकस्मिक अवकाश केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही स्वीकृत किया जाएगा और ऐसा करने के पूर्व सक्षम विभागीय धिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को, आवेदित छुट्टी के रान, चुनाव से संबंधित कोई ड्यूटी नहीं सौंपी गई है या उसे प्रशिक्षण आदि में भाग नहीं लेना है। तदनुसार य सरकार द्वारा भी अपने सभी विभागों की जानकारी के लिए निर्देश प्रसारित किये।

### 3) सुरक्षा व्यवस्था :

(1) नगरस्पालिका निर्वाचन के दौरान शांति एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए आयोग द्वारा राज्य सरकार दिये गये परामर्श के अनुसार सरकार ने जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश जारी किये :—

- (i) निर्वाचन की सूचना जारी होते ही प्रत्येक जिले में आग्नेय शस्त्रों एवं अन्य घातक हथियारों को लेकर चलने पर प्रतिबन्ध लगाया जाए और ऐसा प्रतिबन्ध निर्वाचन परिणामों की घोषणा तक जारी रखा जाए।
- (ii) यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपने शस्त्र का दुरुपयोग कर लोक सुरक्षा या लोक शांति भंग किये जाने की आशंका हो तो ऐसे व्यक्ति की शस्त्र अनुज्ञासि आम्स एक्ट, 1959 के अंतर्गत निलंबित करते हुए उसका शस्त्र निकटतम थाने में जमा कराया जाए। शांति एवं व्यवस्था की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में निवास करने वाले शस्त्र अनुज्ञासिधारियों द्वारा ऐसे शस्त्रों का दुरुपयोग करने की आशंका हो तो ऐसे क्षेत्र के समस्त या कुछ चुने हुए अनुज्ञासिधारियों की अनुज्ञासियां निलंबित करके उनके शस्त्र निकटतम थाने में जमा कराया जाए तथा उन्हें निर्वाचन परिणाम की घोषणा के बाद ही लौटाया जाए।
- (iii) शस्त्र, बारूद विस्फोटक पदार्थों के अवैध भण्डारण और बिक्री करने वाले व्यक्तियों तथा उनके ठिकानों का पता लगाने के लिए सघन अभियान चलाया जाए।
- (iv) मतदान की तारीख के दो दिन पूर्व से मतदान के दिन तक प्रत्येक जिले में चलने वाले वाहनों की, यह सुनिश्चित करने के लिए सघन चेकिंग की जाए कि उनमें कोई अवांछनीय तत्व या शस्त्र अथवा विस्फोटक सामग्री तो नहीं ले जाई जा रही है।

(v) निर्वाचन की सूचना जारी होने से मतगणना पूर्ण हो जाने तक असामाजिक एवं आपराधिक गतिविधियों में प्रवृत्त तत्वों की धरपकड़ तथा प्रतिबन्धात्मक गिरफ्तारी का एक सघन अभियान चलाया जाए।

(2) मतदान के दिन मतदान केन्द्रों पर बलात् कब्जा करने तथा हिंसा की घटनाओं को सख्ती से दबाने के उद्देश्य से आयोग द्वारा राज्य सरकार को सुरक्षा की विश्वसनीय व्यवस्था करने के लिए लिखा गया। राज्य की उत्तरी पट्टी के जिलों तथा अन्य संवेदनशील क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान देने का सुझाव देते हुए सरकार को यह परामर्श दिया गया कि मतदान केन्द्रों पर, उनकी संवेदनशीलता के अनुसार, सुरक्षा बलों की पर्यास तैनाती की जाए, पुलिस के चलित दरों की गश्त कराई जाए और खास-खास स्थानों पर रक्षित बल की टुकड़ियां पदस्थ की जाएं; अध्यर्थियों और निर्वाचन कार्मिकों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराया जाए तथा वायरलेस संचार प्रणाली को चुस्त-दुरुस्त हालत में रखा जाए। राज्य के गृह सचिव ने सरकार की ओर से सुरक्षा बलों की तैनाती तथा किए गए अन्य सुरक्षा प्रबन्धों के बारे में आयोग को विस्तार से अवगत कराया। विभिन्न नगरपालिकाओं में निम्नानुसार पुलिस बल आदि की व्यवस्था की गई :—

### नगरपालिका चुनावों में सुरक्षा व्यवस्था में तैनात कर्मी

क्र.	नगरीय निकाय का प्रकार	सुरक्षा कर्मियों का विवरण संख्या में							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	नगरपालिका निगम	पुलिस जिला होम केन्द्रीय आबकारी वन कोटवार	कार्यकारी गार्ड्स सुरक्षा विभाग के विभाग	बल तथा विशेष बल कर्मी के कर्मी	सशस्त्र बल			अन्य	योग

1. नगरपालिका निगम
2. नगरपालिका परिषद्
3. नगर पंचायत

योग . . .

पर्यास पुलिस बल की व्यवस्था के परिणामस्वरूप नगरपालिका निर्वाचन में पूरे राज्य में मात्र 8 मतदान केन्द्र को छोड़कर अन्य कहीं भी, हिंसा के कारण पुनः मतदान कराने की नौबत नहीं आई। विभिन्न जिलों पुनः मतदान कराए जाने का विवरण परिशिष्ट-बीस पर है।

### ( 4 ) शराब के क्रय-विक्रय पर प्रतिबन्ध :

नगरपालिका निर्वाचन शांतिपूर्ण तथा स्वस्थ्य वातावरण में सम्पन्न कराने के उद्देश्य से आयोग ने राज्य सरकार को परामर्श दिया कि मतदान की तारीख से दो दिन पूर्व से लेकर मतदान की तारीख तक (अथवा कुल 3 दिन) ऐसी प्रत्येक नगरपालिका के क्षेत्र में, जिसमें चुनाव होना हो तथा उसकी सीमा के कि. मी. की परिधि में आने वाले क्षेत्र में शराब की दुकानें बन्द रखी जाएं। तदनुसार राज्य सरकार

विधिविभिन्न कर विभाग के आदेश दिनांक 13 दिसम्बर 1999 द्वारा सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया गया कि देशी तथा विदेशी शराब तथा ताड़ी की दुकानें उपरोक्त अवधि के दौरान बन्द रखी जाएं।

### ( 5 ) विद्युत् की निर्बाध आपूर्ति :

सचिव म. प्र. विद्युत् मंडल से आयोग द्वारा अनुरोध किया गया था कि मतदान एवं मतगणना के दिन संबंधित केन्द्रों पर विद्युत् आपूर्ति निर्बाध रहे। मतगणना के समय विद्युत् प्रदाय की त्रुटियों को तत्परता से सुधारने के लिए कोई यंत्री मौके पर उपस्थित रहने के निर्देश देने का अनुरोध भी किया गया।

### ( 6 ) जनसम्पर्क व्यवस्था :

नगरपालिक निगमों तथा नगरपालिका परिषदों के निर्वाचन दलीय आधार पर आयोजित करने के कारण आम लोगों, राजनैतिक दलों तथा संचार माध्यमों में उनके प्रति बहुत उत्सुकता देखी गई। अतएव निर्वाचन संबंधी निर्देशों, व्यवस्थाओं आदि की जानकारी निरन्तरता से संचार माध्यमों, अभ्यर्थियों तथा आम जनता को उपलब्ध कराने की दृष्टि से जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि वे अपने कार्यालय में एक सूचना प्रकोष्ठ स्थापित करें। जिला निर्वाचन अधिकारियों से यह भी अपेक्षा की गई कि वे प्रेस तथा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से यथाशक्य मिलते रहें तथा उन्हें आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराते रहें और इस प्रकार की चर्चा के लिये समय-समय पर औपचारिक बैठकें भी आयोजित करें।

राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्यालय में भी सान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 10 नवम्बर, 1999 को अपराह्न 3.30 बजे बैठक आयोजित की गई। प्रेस तथा समाचार एजेंसियों के साथ भी आयोग द्वारा विभिन्न अवसरों पर बैठकें आयोजित की गई तथा मतदान के दिन और तत्पश्चात् मतगणना के सारे परिणाम घोषित हो जाने तक प्रतिदिन प्रेस को अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के लिए संक्षिप्त बैठकें आयोजित की गई।

### ( 7 ) शासकीय कार्यालयों एवं कारखानों में मतदान के दिन अवकाश :

( 1 ) उन नगरपालिका क्षेत्रों के लिए जिनमें 22 दिसम्बर, 1999 को मतदान आयोजित था सामान्य अवकाश घोषित किया गया। द्वितीय चरण के मतदान की तिथि 26 दिसम्बर, 1999 को रविवार होने से सामान्य अवकाश था।

( 2 ) आयोग की पहली पर श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश ने उनके आदेश दिनांक 8 दिसम्बर, 1999 द्वारा विभिन्न नगरपालिकाओं में मतदान की तारीख को श्रमिकों को मतदान की सुविधा प्रदान किये जाने के लिए निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए गए :—

- (i) कारखाना अधिनियम, 1948 तथा मध्यप्रदेश दुकान एवं संस्थान अधिनियम, 1958 के अंतर्गत निर्धारित दिन के सासाहिक अवकाश के स्थान पर मतदान की तारीख को अवकाश घोषित किया जाए।

- (ii) ऐसे कारखानों में जो सप्ताह में सातों दिन काम करते हैं, प्रथम तथा द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के लिए दिन में 2-2 घण्टे का अवकाश दिया जाए तथा जो कारखाने निरन्तर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान की सुविधा दी जाए।

#### ( 8 ) मतदान के दिन निजी वाहनों के परिचालन पर प्रतिबन्ध :

(1) साधन सम्पन्न अभ्यर्थियों द्वारा अपने धन के बल पर मतदान के दिन मतदाताओं को मतदान केन्द्रों तक ले जाने और लाने के लिए वाहनों (टेम्पो, टेक्सी, रिक्षा आदि) की व्यवस्था करने का बहुधा प्रयास किया जाता है, इससे मतदान की शुचिता प्रभावित होती है। अतः इस प्रकार के प्रयासों को सख्ती से रोकने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारियों को निम्नांकित निर्देश दिये गये :—

- (i) निजी वाहनों (जैसे कि कार, जीप, स्कूटर, मोपेड) का उपयोग संबंधित वाहन स्वामी को उसने स्वयं तथा परिवार के सदस्यों के साथ मतदान केन्द्र के नजदीक तक जाने के लिए करने दिया जाए परन्तु ऐसे वाहनों की निरंतर और सघन चेकिंग करके यह सुनिश्चित किया जाए कि उनमें अन्य मतदाताओं को नहीं ढोया जा रहा है। यदि व्यक्तिगत स्वामित्व के वाहनों का अथवा भाड़े पर लिये गये अन्य सवारी वाहनों का मतदाताओं को ढोने के लिए उपयोग किया जा रहा हो तो मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964 की धारा 9 के अंतर्गत आवश्यक आपराधिक प्रकरण कायम करते हुए, ऐसे वाहनों को जस करने की कार्यवाही की जाए।
- (ii) यदि माल वाहक वाहनों जैसे कि लारियों, ट्रकों, ट्रैक्टर/ट्रालियों आदि का उपयोग मतदाताओं को ढोने के लिए किया जाए तो ऐसे वाहनों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 177 के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाए।
- (iii) सम्पूर्ण नगरपालिका क्षेत्र में मतदान के एक दिन पूर्व ही इस आशय की घोषणा की जाए कि यहि कोई वाहन मतदाताओं को ढोने के कार्य में संलग्न पाया गया तो उसके स्वामी और चालक के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी, अतएव मतदातागण परेशानी से बचने के लिए किसी अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराई गई इस प्रकार की सुविधा को स्वीकार न करें।

(2) मतदान के दिन अपने क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए अभ्यर्थियों को एक या दो वाहनों का उपयोग करने की (एक स्वयं के लिए तथा एक अपने मतदान अभिकर्ता तथा अन्य कार्यकर्ताओं के लिए) अनुमति दी गई। ऐसे वाहनों का परिचालन केवल रिटर्निंग आफिसर द्वारा जारी परमिटों पर करने की छूट दी गई।

## मतदान का परिदृश्य

आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश की नगरपालिकाओं के लिए सुरक्षा-व्यवस्था की दृष्टि से मतदान दो चरणों में क्रमशः दिनांक 22-12-99 तथा 26-12-99 को विहित किया गया। मतदान के प्रथम चरण में ४ नगरपालिक निगम, ३६ नगरपालिका परिषद् एवं १८ नगर पंचायतें तथा मतदान के द्वितीय चरण में ५ नगरपालिक निगम, ४१ नगरपालिका परिषद् एवं १२३ नगर पंचायतें सम्मिलित थीं।

जिला डिण्डोरी, बस्तर एवं कांकेर में केवल एक ही चरण में दिनांक 22-12-99 को मतदान सम्पन्न कराया गया जबकि शेष जिलों में दो चरणों में मतदान हुआ। मतदान का समय प्रातः ७ बजे से अपराह्ण ५.०० बजे तक रखा गया। इस नगरपालिका निर्वाचन में कुल १५६.३६ लाख मतदाताओं के लिए ११७५४ मतदान केन्द्र बनाए गए थे। अभ्यर्थियों की औसत संख्या निम्नानुसार थी :—

1.	नगरपालिक निगमों में	महापौर पद के लिए	11
		पार्षद पदों के लिए	8
2.	नगरपालिकाओं में	अध्यक्ष पद के लिए	8
		पार्षद पदों के लिए	5
3.	नगर पंचायतों में	अध्यक्ष पद के लिए	9
		पार्षद पदों के लिए	4

नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए सर्वाधिक 34 अभ्यर्थी नगर पंचायत चित्रकूट में थे जबकि पार्षदों के पद के लिए नगर पंचायत बिजुरी, वार्ड क्रमांक 2 में 18 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में थे। नगरपालिका परिषद् दतिया में अध्यक्ष पद के लिए सर्वाधिक 18 अभ्यर्थी तथा नगरपालिका परिषद् भिण्ड के वार्ड क्रमांक 24 में 20 अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे थे। नगरपालिक निगम सतना में महापौर पद के लिए सर्वाधिक 21 अभ्यर्थी तथा इसी नगर निगम के वार्ड क्रमांक 28 में पार्षद पद हेतु 27 अभ्यर्थी चुनाव में भाग ले रहे थे। मतदान का औसत प्रतिशत ८४.७४ रहा। ८८ नगरीय निकायों में 75 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ जबकि ५३ नगरीय निकायों में 60 प्रतिशत से कम मतदान हुआ। नगरपालिकावार मतदाताओं की संख्या एवं मतदान का प्रतिशत परिशिष्ट-इक्कीस में दर्शाया गया है।

निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ होते ही प्रत्येक जिला निर्वाचन कार्यालय में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया था जो कि जिले की समस्त नगरपालिकाओं के साथ-साथ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन कक्ष से जुड़ा हुआ था। इस व्यवस्था से निर्वाचन संबंधी सभी सूचनाओं का विशेष तौर पर मतदान तथा मतगणना के दिन आदान-प्रदान तत्परता और सहजता से होता रहा।

पीठासीन अधिकारियों के लिए आयोग द्वारा एक मार्गदर्शिका प्रकाशित की गई जिनमें उनके विभिन्न कर्तव्यों को विस्तार से समझाया गया था।

आयोग द्वारा स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964 में प्रस्तावित कतिपय महत्वपूर्ण संशोधनों को सरकार ने स्वीकारते हुए उक्त अधिनियम में आवश्यक संशोधन किये। आयोग द्वारा संशोधित रूप में इस अधिनियम की प्रतियां मुद्रित कराकर प्रत्येक जिले को भेजी गईं।

मतदान के दिन अभ्यर्थियों द्वारा, मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध करने के प्रयासों को रोकने के लिए एक मुहिम चलाई गई थी। इस संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार के बावजूद जिन वाहनों में मतदाताओं को ढोने का प्रयास किया उनके विरुद्ध मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964 तथा मोटरयान अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई। कुल मिलाकर 38 वाहनों को पकड़ा गया।

फर्जी मतदान के 109 मामले पकड़े गए और संबंधित व्यक्तियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171-एफ के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु पुलिस को सौंपा गया।

लगभग सभी मतदान केन्द्रों पर अभ्यर्थियों ने मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए थे। मतदान समाप्ति पर पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान केन्द्र में उपस्थित प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को मतपत्र लेखा की एक अभिप्रमाणित सत्यप्रति दी गई।

## मतगणना तथा निर्वाचन परिणाम

### 1) मतगणना :

(1) आयोग द्वारा मतगणना के सम्बन्ध में रिटर्निंग आफिसरों तथा मतगणना कार्य से सम्बद्ध कार्मिकों ने मार्गदर्शन के लिए पृथकशः एक निर्देशिका प्रकाशित की गई थी। गणना पर्यवेक्षकों तथा गणना सहायकों ने प्रशिक्षण के लिए मतदान की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पूर्व प्रत्येक नगरपालिका के मुख्यालय में प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण सत्र में उन्हें निम्नांकित बातों को विस्तार से अवलम्बन दिया गया:—

- (i) मतगणना से संबंधित नियम,
- (ii) सीलबन्द मतपत्रों को खोलना, मतपत्रों को पेटी से निकालकर उनकी छंटनी करना तथा मतपत्र लेखा का भाग-दो भरना,
- (iii) वैध मतपत्रों की छंटनी और गिनती तथा उनके अभ्यर्थीवार बंडल बनाना, संदिग्ध मतपत्रों का एक अलग से बंडल बनाना तथा इस प्रकार बनाए गए बंडलों में गणना पर्ची लगाना,
- (iv) मतदान केन्द्रवार गणना का परिणाम-पत्र (प्ररूप-21) तथा सभी मतदान केन्द्रों में विभिन्न अभ्यर्थियों को मिले मतों का योग दर्शाने वाला अंतिम प्रमाण-पत्र (प्ररूप-22) तैयार करना तथा
- (v), पुनर्मतगणना से सम्बन्धित प्रावधान और प्रक्रिया।

(2) मतगणना प्रत्येक नगरपालिका के मुख्यालय पर स्थित पूर्व से चयनित भवन में की गई। गणना मेजों की कुल संख्या संबंधित नगरपालिका में वार्डों की संख्या के बराबर रखी गई ताकि प्रत्येक वार्ड के मतों की गणना एक निश्चित गणना मेज पर की जा सके। इस व्यवस्था का अपवाद केवल भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, रायपुर तथा जबलपुर नगर निगम थे, जिन्हें कि प्रत्येक वार्ड के लिए दो गणना मेजें लगाने की अनुमति दी गई थी। ऐसा इन नगर निगमों में प्रति वार्ड मतदाताओं की संख्या अधिक होने के कारण गणना कार्य को तत्परता से निपटाने की दृष्टि से किया गया।

ऐसी नगरपालिकाओं में जहां अभ्यर्थी के वार्ड में मतदान केन्द्रों की संख्या 5 तक थी वहां एक गणना अभिकर्ता नियुक्त करने की अनुमति प्रदान की गई थी। जिन नगरपालिकाओं में प्रति वार्ड पांच से अधिक मतदान केन्द्र थे वहां गणना मेजों की संख्या के अनुसार दो या तीन गणना अभिकर्ता नियुक्त करने की अनुमति प्रदान की गई। इसी प्रकार महापौर/अध्यक्ष के मामलें में प्रत्येक गणना मेज के लिए एक गणना अभिकर्ता नियुक्त करने की अनुमति प्रदान की गई।

## 2. निर्वाचन परिणाम :

(1) आयोग द्वारा विहित कार्यक्रम के अनुसार प्रथम चरण का मतदान दिनांक 22-12-99 एवं मतगणना 26-12-99 तथा द्वितीय चरण का मतदान दिनांक 26-12-99 एवं मतगणना दिनांक 28-12-99 निर्धारित थी किन्तु अनेक कलेक्टरों द्वारा यह अनुरोध किया गया कि प्रथम चरण की मतगणना एवं द्वितीय चरण का मतदान ही एक ही तिथि को होने के कारण उन्हें कानून एवं व्यवस्था के लिये पैदा होने वाली चुनौतियों का सामना करने में असुविधा होगी।

आयोग द्वारा कलेक्टरों के उक्त आग्रह को स्वीकार करते हुए यह निर्णय लिया कि प्रथम चरण में सम्मिलित नगरीय निकायों के लिये मतगणना दिनांक 26-12-99 के स्थान पर 27-12-99 रखी जाए। तदनुसार प्रथम चरण में सम्पन्न मतदान की मतगणना दिनांक 27-12-99 तथा द्वितीय चरण में सम्पन्न मतदान की मतगणना दिनांक 28-12-99 को सम्पन्न कराई गई। निर्वाचन के अधिकांश परिणाम मतगणना तारीख को ही प्राप्त हो गए। शेष परिणाम अगले दिन प्राप्त हुए। निर्वाचित अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रमाण-पत्र, मतगणना के तुरन्त बाद प्रदान किये गये।

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा-22 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 45 की अपेक्षानुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचित महापौर/अध्यक्षों एवं पार्षदों के सम्बन्ध में नगरपालिकावार अधिसूचनाएँ मध्यप्रदेश राजपत्र में तत्परता से प्रकाशित कराई गई ताकि नगरपालिकाओं का प्रथम सम्मेलन अविलम्ब आयोजित हो सके।

(2) महापौर/अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन लड़ने वाले कुल 2,385 अभ्यर्थियों में से 1996 अभ्यर्थियों (71.66%) की जमानतें (प्रतिभूति राशि) जप्त हुई। इसी प्रकार पार्षद पद के लिए निर्वाचन लड़ने वाले कुल 3,763 अभ्यर्थियों में से 1,403 अभ्यर्थियों (52.00%) की प्रतिभूति राशि जप्त हुई। जमानत जप्त की स्थिति का नगरीय निकायवार विवरण परिशिष्ट-बाईस-अ, ब एवं स में दर्शाया गया है।

## 3. विजयी हुए एवं निक्षेप राशि ( जमानत ) खोने वाले अभ्यर्थी :

नगरपालिक निगमों तथा नगरपालिका परिषदों में निर्वाचन दलीय आधार पर हुए थे, जबकि नगर पंचायतों के निर्वाचन दलीय आधार पर नहीं हुए थे। नगरपालिक निगमों तथा नगरपालिका परिषदों में महापौर/अध्यक्ष के पदों के लिए विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किए गए 357 अभ्यर्थियों में से 134 (37.54%) की जमानतें जप्त हुई तथा 89 अभ्यर्थी निर्वाचित हुए। इसी प्रकार पार्षद पद के लिए विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किए गए 7,667 अभ्यर्थियों में से 2,447 अभ्यर्थी निर्वाचित हुए तथा 2,293 अभ्यर्थियों की जमानतें जप्त हुई। दलवार विवरण परिशिष्ट-तेईस पर है। कुल मिलाकर राजनैतिक दलों द्वारा महापौर/अध्यक्ष पद के लिए खड़े किए गए अभ्यर्थियों में से 24.93% अभ्यर्थी निर्वाचित हुए तथा 37.54% अभ्यर्थियों की जमानतें जप्त हुई। इसी प्रकार पार्षद पद के लिए 29.91% अभ्यर्थियों की जमानतें जप्त हुई, जबकि 31.92% अभ्यर्थी निर्वाचित हुए।

## अध्याय 15

## विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व

वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदेश की नगरपालिकाओं (अर्थात् नगरनिगम, नगरपालिका परिषद् एवं नगर पंचायत) में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए किये गये आरक्षण के अनुसार नगरपालिका निर्वाचन, 1999 में उनका प्रतिनिधित्व निम्नानुसार रहा :—

(1) (i) महापौर/अध्यक्ष (महिलाओं की संख्या सहित) :

## निर्वाचित महापौर/अध्यक्ष

नगरपालिका का स्वरूप	पदों की संख्या जिनके लिए निर्वाचन हुए	अनु. जाति आरक्षित स्थानों से	अनु. जनजाति आरक्षित स्थानों से	अनु. जनजाति आरक्षित स्थानों से	अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षित स्थानों से	सामान्य आरक्षित स्थानों से
नगरपालिका निगम	13	02	-	00	-	03 00
नगरपालिका परि.	77	12	-	02	-	23 01
नगर पंचायत	218	33	-	10	-	56 00
योग	308	47	-	12	-	82 01
						167 00

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से प्रतीत होता है कि नगरपालिका परिषद् एवं नगर पंचायतों में अध्यक्ष के पद के लिये आरक्षित स्थानों के अलावा एक अनारक्षित स्थान से भी उन्हें प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है।

(ii) महापौर/अध्यक्ष (महिलाओं का प्रतिनिधित्व) :

नगरीय निकाय का प्रकार	संख्या	महिलाओं के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या	कुल वार्डों की संख्या जिनमें महिलाएं निर्वाचित हुईं	संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
नगरपालिका निगम	13	05	05	38.46	
नगरपालिका परिषद्	77	24	25	32.47	
नगर पंचायत	218	73	75	34.40	
योग	308	102	105	34.09	

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से प्रतीत होता है कि नगरपालिका परिषद् में महिलाओं के लिये अध्यक्ष पद हेतु आरक्षित 21 स्थानों के अलावा एवं मुक्त स्थान से भी महिला उम्मीदवार निर्वाचित हुई हैं। इसी प्रकार नगर पंचायत में अध्यक्ष पद हेतु आरक्षित 73 स्थानों के अलावा 2 मुक्त स्थानों से भी महिला उम्मीदवार निर्वाचित हुई हैं। अतः नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायतों में आरक्षित स्थानों के अलावा पांच अन्य मुक्त स्थानों पर भी महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है।

### ( 2 ) पार्षद ( महिलाओं सहित ) :

1. नगरपालिका निगमों के 670 वार्डों में आरक्षित 86 वार्डों में अनुसूचित जाति, 23 वार्डों में अनुसूचित जनजाति एवं 167 वार्डों में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के अलावा अनुसूचित जाति के 4 अनुसूचित जनजाति के 4 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के 48 अन्य स्थानों से निर्वाचित हुए हैं। नगरपालिका परिषदों में कुल 1817 वार्डों में आरक्षित 243 वार्डों में अनुसूचित जाति, 69 वार्डों में अनुसूचित जनजाति एवं 471 वार्डों में अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं। इन आरक्षित वार्डों के अलावा अनुसूचित जाति के 10 अनुसूचित जनजाति के 3 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 283 अभ्यर्थी अन्य स्थानों से निर्वाचित हुए। नगर पंचायतों में हुए 3269 वार्डों में आरक्षित 474 वार्डों में अनुसूचित जाति, 189 वार्डों में अनुसूचित जनजाति एवं 896 वार्डों में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित थे। इन आरक्षित स्थानों के लिए अलावा अन्य स्थानों से अनुसूचित जाति के 32 अनुसूचित जनजाति के 16 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 583 अभ्यर्थी अन्य स्थानों से निर्वाचित हुए हैं। विभिन्न आरक्षित वर्गों के प्रतिनिधित्व की स्थिति निम्नानुसार है :—

#### आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व ( महिलाओं सहित )

नगरपालिका का प्रकार	संख्या	वार्डों की संख्या	निर्वाचित पार्षद						योग
			अनु. जाति आरक्षित स्थानों से	अन्य अन्य स्थानों से	अनु. जनजाति आरक्षित स्थानों से	अन्य अन्य स्थानों से	अन्य पि. वर्ग आरक्षित स्थानों से	अन्य अन्य स्थानों से	
नगरपालिका निगम	13	670	86	04	23	04	167	48	332
नगरपालिका परि.	77	1817	243	19	69	03	471	283	1088
नगर पंचायत	218	3269	474	32	189	16	896	583	2190
योग	308	5756	803	55	281	23	1534	914	3610

### ( 3 ) पार्षद पदों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व :

इसी प्रकार नगरपालिका के इन चुनावों में विभिन्न वर्गों की महिलाओं को भी उनकी आरक्षित कुल

<sup>922</sup> सीटों के अलावा २७१ मुक्त (अनारक्षित) स्थानों पर भी प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। नगरपालिकाओं में पार्षद पदों के लिए विभिन्न वर्गों की महिलाओं के प्रतिनिधित्व की जानकारी निम्नानुसार है :—

नगरीय निकाय का प्रकार (1)	संख्या (2)	वार्डों की कुल संख्या जिनमें निर्वाचन हुए (3)	महिलाओं के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या (4)	कुल वार्डों की संख्या जिनमें महिलाएं निर्वाचित हुई	
				संख्या (5)	प्रतिशत (6)
नगरपालिक निगम	13	670	224	248	37.01
नगरपालिका परिषद्	77	1,817	608	686	37.75
नगर पंचायत	218	3,269	1,090	1,259	38.51
योग	308	5,756	1,922	2,193	38.10

## अध्याय 16

## विविध

## ( 1 ) उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिकाएँ :—

नगरपालिका आम चुनावों के लिए तैयार की गई मतदाता सूचियों में कथित त्रुटियों एवं नगरपालिकाओं में शासन द्वारा किये गये आरक्षण को लेकर निम्नलिखित याचिकायें माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर, माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर तथा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर में प्रस्तुत हुई थी :—

## माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिकायें :

1. याचिका क्र.-4881/99 श्री तुलसीराम जाटव विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं अन्य में नगरपालिक निगम, सागर के आम निर्वाचन के लिये किये गये आरक्षण को चुनौती दी गई थी।
2. याचिका क्र.-4882/99 श्री एम. पी. सिंह विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं अन्य में नगरपालिक निगम, कोरबा के आम निर्वाचन के लिये किये गये आरक्षण को चुनौती दी गई थी।
3. याचिका क्र.-4883/99 श्री सुधीर कुमार शर्मा विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं अन्य में नगरपालिक निगम, भोपाल के आम निर्वाचन के लिये किये गये आरक्षण को चुनौती दी गई थी।

## माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर में दायर याचिकायें :

1. याचिका क्र.-1730/99 श्री यदुनाथ सिंह विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य नगरपालिक निगम, ग्वालियर के आम निर्वाचन हेतु किये गये आरक्षण के विरुद्ध दायर हुई थी।
2. याचिका क्र.-1744/99 श्री रमन पोपली विरुद्ध राज्य शासन एवं अन्य, नगरपालिक निगम, ग्वालियर के आम निर्वाचन हेतु किये गये आरक्षण के विरुद्ध दायर हुई थी।
3. याचिका क्र.-1751/99 श्री बृजलाल शर्मा विरुद्ध राज्य शासन एवं अन्य, नगरपालिकाओं में अध्यक्ष पद हेतु किये गये आरक्षण के विरुद्ध दायर हुई थी।

## माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर में दायर याचिकायें :

1. याचिका क्र.-1596/99 श्री हरीश तोलानी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य, नगरपालिक निगम, इन्दौर की निर्वाचक नामावलियों में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध दायर हुई थी।
2. याचिका क्र.-1597/99 श्रीमती मधुबाला विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य, नगर पंचायत सांवर की मतदाता सूची से संबंधित कथित अनियमितताओं के विरुद्ध दायर हुई थी।
3. याचिका क्र.-1598/99 श्री रतन पाटोदी विरुद्ध राज्य शासन एवं अन्य, नगरपालिक निगम, इन्दौर के लिये कलेक्टर इन्दौर द्वारा किये गये आरक्षण के विरुद्ध दायर हुई थी। इसके साथ ही इस याचिका में मतदाता सूची की अनियमितताओं को भी आधार बनाया गया था।

माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर तथा इन्दौर में प्रस्तुत याचिकायें माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश दिनांक 24-11-99 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर को हस्तांतरित हो गई। दिनांक 17-12-99 को माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर ने आदेश पारित कर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया।

निर्वाचन के दौरान प्राप्त शिकायतें एवं उन पर की गई कार्यवाही :—

(1) निर्वाचन के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग को प्राप्त शिकायतों में निम्नलिखित प्रकार की शिकायतें प्रमुख थीं :—

- (i) मंत्रीगण द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन,
- (ii) प्रतिबन्ध के बावजूद शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण,
- (iii) शासकीय कर्मचारियों द्वारा पक्षपातपूर्ण कार्यवाही करना,
- (iv) मतदाताओं को डराया/धमकाया जाना, प्रलोभन दिया जाना या उपहार बांटे जाना अथवा मतदाताओं की धार्मिक तथा जातिगत भावनाओं को उभारा जाना,
- (v) प्रतिद्वन्द्वी अभ्यर्थियों के पोस्टर/झण्डे फाड़ना,
- (vi) आक्षेपकारी पर्चियों और पोस्टरों का मुद्रण और प्रकाशन,
- (vii) अन्य जैसे कि मतदाता सूचियों में कुछ पात्र मतदाताओं के नाम दर्ज न होना तथा अपात्र व्यक्तियों के नाम दर्ज होना, नाम-निर्देशन पत्र गलत ढंग से खारिज किया जाना आदि।

(2) गंभीर प्रकार के आरापों से संबंधित शिकायतों में आयोग द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारियों से एक निश्चित समयावधि के अंतर्गत जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर यथोचित कार्यवाही की गई। अपेक्षाकृत कम गंभीर स्वरूप की शिकायतों की जांच और उचित कार्यवाही के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों को सौंप दिया गया, जबकि अस्पष्ट या तुच्छ स्वरूप के आरोप वाली शिकायतों को नस्तीबद्ध कर दिया गया। प्राप्त शिकायतों और उनमें उपरोक्तानुसार की गई कार्यवाही का सांख्यिकीय विवरण परिशिष्ट-चौबीस में दर्शाया गया है।

### ( 3 ) निर्वाचन के दौरान हिंसा :

नगरपालिका निर्वाचन के दौरान राजनैतिक दलों, नागरिकों तथा अभ्यर्थियों द्वारा बरते गये संयम और प्रशासन की चौकसी तथा पुलिस बंदोबस्त के परिणामस्वरूप नगरपालिका निर्वाचन आम तौर पर शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुए.

### ( 4 ) पुनर्मतदान :

विभिन्न कारणों से आठ जिलों के 15 मतदान केन्द्रों पर पुनः मतदान कराया गया जिसका विवरण परिशिष्ट-बीस पर है.

### ( 5 ) आयोग के प्रकाशन :

नगरपालिका निर्वाचन के संदर्भ में अभ्यर्थियों तथा निर्वाचन कार्मिकों के मार्गदर्शन के लिए आयोग द्वारा निम्नांकित मार्गदर्शी निर्देश प्रकाशित और प्रसारित किए गए :

- (i) नगरपालिका (रिटर्निंग ऑफिसरों के लिए हस्तपुस्तक) निर्वाचन संदर्शिका
- (ii) उम्मीदवारों, शासकीय विभागों और कर्मचारियों के लिए आदर्श आचरण संहिता
- (iii) मतदाता सूची तैयार करने के लिए नियुक्त कर्मचारियों के लिए निर्देश पुस्तिका
- (iv) नगरपालिका के लिए मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में निर्देश पुस्तिका
- (v) नगरपालिका निर्वाचन नियम-1994 (जून 1999 की स्थिति में)
- (vi) नगरपालिका निर्वाचन-मतदान अभिकर्ताओं के लिए मार्गदर्शिका
- (vii) नगरपालिका निर्वाचन गणन अभिकर्ताओं के लिए मार्गदर्शिका
- (viii) नगरपालिका निर्वाचन-अभ्यर्थियों के लिए मार्गदर्शिका
- (ix) नगरपालिका निर्वाचन-निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र जारी करने के संबंध में निर्देश (जुलाई-1999)।
- (x) जिला निर्वाचन अधिकारी तथा रिटर्निंग ऑफिसर (नगरपालिका) द्वारा नगरपालिका निर्वाचन के संबंध में भेजे जाने वाले प्रतिवेदनों के प्ररूप (अगस्त-1999)
- (xi) नगरपालिका निर्वाचित मतगणना के संबंध में निर्देश (जुलाई-1999)
- (xii) नगरपालिका निर्वाचन निर्देशों का संकलन (अगस्त-1999)

### ( 6 ) नगरपालिका निर्वाचन 1999 में हुए निर्वाचन व्यय की जानकारी :

नगरपालिका निर्वाचन में कुल मिलाकर रुपये ३०३.८८लाख होने का अनुमान है. व्यय के प्रमुख मदों का विवरण परिशिष्ट-पच्चीस में दर्शाया गया है. व्यय के ये आंकड़े अंतरिम स्वरूप के हैं क्योंकि अभी अंकेक्षित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं.

परिशिष्ट

सांख्यकी तालिकाएं

## तालिका

नगरपालिकाओं में विभिन्न वर्गों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की स्थिति  
तथा अन्य बुनियादी जानकारी

नगरपालिकाओं का विवरण	बुनियादी जानकारी						पदवार आरक्षण की स्थिति													
	स्वरूप	पदनाम	संख्या	मतदाताओं		प्रति वार्ड की संख्या	अनुसूचित जातियों के लिए		अनुसूचित जनजातियों के लिए		अन्य पिछड़े वर्गों के लिए									
				मतदाताओं की संख्या	औसत		मतदाता लाख में	की	महिला संख्या	की संख्या	महिला मुक्त योग	महिला मुक्त योग								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
नगर निपास	महापौर	13	46.16	4974	6289	01	01	02	—	—	—	01	02	03	03	05	02	05	08	13
	पार्षद	670	“	“	“	30	56	86	08	15	23	58	109	167	128	266	394	224	446	670
नगरपालिका परिषद	अध्यक्ष	77	29.36	3373	1616	04	08	12	02	—	02	07	15	23	11	29	40	24	53	77
	पार्षद	1817	“	“	“	85	158	243	20	49	69	182	309	471	341	693	1034	608	1209	1817
नगर पंचायत	अध्यक्ष	218	20.03	3411	613	10	23	33	06	04	10	17	39	56	40	79	119	73	145	218
	पार्षद	3270	“	“	“	175	299	474	49	140	189	258	638	896	608	1103	1711	1090	2180	3270
वोग	महापौर/अध्यक्ष	308	95.55	11758	4660	15	32	47	08	04	12	25	57	82	54	113	167	102	206	308
	पार्षद	5757	“	“	“	290	513	803	77	264	281	478	1056	1534	1077	2062	3139	1922	3835	5757

नगर पालिकाएं, जिनके निर्वाचन आम निर्वाचन 1999 के साथ नहीं हुए

मन्त्रियित 23 नगरपालिकाओं के चुनाव वर्ष 1994 के बाद सम्पन्न हुए थे, अतः इनका कार्यकाल अभी शेष है :—

क्र.	नगरीय निकाय का नाम	जिला	वार्डों की संख्या	साधारण निर्वाचन सम्पन्न होने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	नगर पंचायत चाकघाट	रीवा	15	13-5-95
2.	नगर पंचायत नरवर	शिवपुरी	15	11-12-97
3.	न. पा. प. राधोगढ़, विजयपुर	गुना	24	29-12-97
4.	नगर पंचायत ईसागढ़	गुना	15	13-3-96
5.	न. पा. प. मण्डीदीप	रायसेन	18	13-3-96
6.	नगर पंचायत सांची	रायसेन	15	11-12-97
7.	न. पा. प. हरदा	हरदा	30	13-3-96
8.	नगर पंचायत रानापुर	झाबुआ	15	13-3-96
9.	नगर पंचायत माण्डव	धार	15	20-12-96
10.	नगर पंचायत ओंकरेश्वर	खण्डवा	15	11-12-97
11.	न. पा. प. मलाजखण्ड	बालाघाट	24	8-12-97
12.	न. पा. प. पसान	शहडोल	18	20-12-96
13.	नगर पंचायत अमरकंटक	शहडोल	15	20-12-96
14.	नगर पंचायत अनूपपुर	शहडोल	15	11-12-97
15.	नगर पंचायत जैतहरी	शहडोल	15	11-12-97
16.	न. पा. प. उमरिया	उमरिया	15	11-12-97
17.	न. पा. प. सीधी	सीधी	24	8-6-98
18.	नगर पंचायत चुरहट	सीधी	15	11-12-97

निम्नलिखित (नवगठित) नगरपालिकाओं में वार्ड विभाजन/आरक्षण आदि की कार्यवाही नहीं होने के कारण नगरपालिका आम निर्वाचन 1999 के साथ चुनाव नहीं कराये जा सके :—

१. नगरपालिका परिषद्, पीथमपुर, जिला धार
२. नगर पंचायत भेड़ाघाट, जिला-जबलपुर
३. नगर पंचायत भैसदेही, जिला बैतूल
४. नगर पंचायत कोटर, जिला सतना
५. नगर पंचायत ओरछा, जिला टीकमगढ़

373 नगरपालिकाओं की सूची जिनमें माह दिसम्बर 1999 में निर्वाचन सम्पन्न हुए

जिला (1)	क्रमांक (2)	नगरीय निकाय का कोड, प्रकार एवं नाम (3)	वार्डों की संख्या (4)
मुरैना	1	10101 नगरपालिका परिषद् मुरैना	39
	2	10102 नगरपालिका परिषद् अम्बाह	18
	3	10103 नगरपालिका परिषद् सबलगढ़	15
	4	10104 नगरपालिका परिषद् पोरसा	15
	5	10105 नगर पंचायत बानमोर	15
	6	10106 नगर पंचायत झुण्डपुरा	15
	7	10107 नगर पंचायत जौरा	15
	8	10108 नगर पंचायत कैलारस	15
8			147
श्योपुर	9	10201 नगरपालिका परिषद् श्योपुर	21
	10	10202 नगर पंचायत बड़ोदा	15
	11	10203 नगर पंचायत विजयपुर	15
3			51
भिण्ड	12	10301 नगरपालिका परिषद् भिण्ड	39
	13	10302 नगर पंचायत परिषद् गोहद	18
	14	10303 नगर पंचायत अकोड़ा	15
	15	10304 नगर पंचायत आलमपुर	15
	16	10305 नगर पंचायत दबोह	15
	17	10306 नगर पंचायत गोरमी	15
	18	10307 नगर पंचायत लहार	15
	19	10308 नगर पंचायत मौ	15
	20	10309 नगर पंचायत मेहगांव	15
	21	10310 नगर पंचायत मिहोना	15
	22	10311 नगर पंचायत फूफ	15
11			192
ग्वालियर	23	20101 नगरनिगम ग्वालियर	60
	24	20102 नगरपालिका परिषद् डबरा	24
	25	20103 नगर पंचायत आंतरी	15
	26	20104 नगर पंचायत भितरवार	15
	27	20105 नगर पंचायत बिलौआ	15
	28	20106 नगर पंचायत पिछोर	15
6			144
शिवपुरी	29	20201 नगरपालिका परिषद् शिवपुरी	39
	30	20202 नगर पंचायत बदरवास	15
	31	20203 नगर पंचायत करेरा	15
	32	20204 नगर पंचायत खनियाधाना	15
	33	20205 नगर पंचायत कोलारस	15
	34	20206 नगर पंचायत पिछोर	15
6			114

जिला (1)	क्रमांक (2)	नगरीय निकाय का कोड, प्रकार एवं नाम (3)	वार्डों की संख्या (4)
दतिया	35	20301 नगरपालिका परिषद् दतिया	30
	36	20302 नगर पंचायत इन्द्रगढ़	15
	37	20303 नगर पंचायत सेंवढा	15
	38	20304 नगर पंचायत भाण्डेर	15
		4	75
गुना	39	20401 नगरपालिका परिषद् गुना	37
	40	20402 नगरपालिका परिषद् अशोक नगर	22
	41	20403 नगरपालिका परिषद् चंदेरी	21
	42	20405 नगर पंचायत आरोन	15
	43	20406 नगर पंचायत चाचोड़ा बीनागंज	15
	44	20407 नगर पंचायत कुम्भराज	15
	45	20408 नगर पंचायत मुंगावली	15
		7	140
मन्दसौर	46	30102 नगर पंचायत भानपुरा	15
	47	30103 नगर पंचायत गरोठ	15
	48	30104 नगर पंचायत मल्हारगढ़	15
	49	30105 नगर पंचायत नगरी	15
	50	30106 नगर पंचायत नारायणगढ़	15
	51	30107 नगर पंचायत पिपल्या मंडी	15
	52	30108 नगर पंचायत शामगढ़	15
	53	30109 नगर पंचायत सीतामठ	15
		8	120
नीमच	54	30201 नगरपालिका परिषद् नीमच	36
	55	30202 नगर पंचायत डिकेन	15
	56	30203 नगर पंचायत जावद	15
	57	30204 नगर पंचायत जीरन	15
	58	30205 नगर पंचायत मनासा	15
	59	30206 नगर पंचायत रामपुरा	15
	60	30207 नगर पंचायत रत्नगढ़	15
	61	30208 नगर पंचायत सिंगोली	15
		8	141
रत्लाम	62	30301 नगरनिगम रत्लाम	49
	63	30302 नगरपालिका परिषद् जावरा	30
	64	30303 नगर पंचायत आलोट	15
	65	30304 नगर पंचायत बड़ावदा	15
	66	30305 नगर पंचायत नामती	15
	67	30306 नगर पंचायत पिपलोदा	15
	68	30307 नगर पंचायत सैसाना	15
	69	30308 नगर पंचायत ताल	15
		8	169
शाजापुर	70.	30401 नगरपालिका परिषद् शाजापुर	24
	71	30402 नगरपालिका परिषद् आगर	18

(1)	(2)	(3)	(4)
	72	30403 नगरपालिका परिषद् शुजालपुर	21
	73	30404 नगर पंचायत अकोदिया	15
	74	30405 नगर पंचायत बड़ागांव	15
	75	30406 नगर पंचायत बड़ोद	15
	76	30407 नगर पंचायत कानड़	15
	77	30408 नगर पंचायत मक्सी	15
	78	30409 नगर पंचायत नलखेड़ा	15
	79	30410 नगर पंचायत पोलायकला	15
	80	30411 नगर पंचायत सोयतकला	15
	81	30412 नगर पंचायत सुसनेर	15
		12	198
उज्जैन	82	30502 नगरपालिका परिषद् बड़नगर	18
	83	30503 नगरपालिका परिषद् खाचरोद	18
	84	30504 नगरपालिका परिषद् महिदपुर	18
	85	30505 नगरपालिका परिषद् नागदा	36
	86	30506 नगर पंचायत तराना	15
	87	30507 नगर पंचायत उन्हेल	15
		6	120
देवास	88	30601 नगरनिगम देवास	45
	89	30602 नगर पंचायत बागली	15
	90	30603 नगर पंचायत भौंरासा	15
	91	30604 नगर पंचायत हाटधिपल्या	15
	92	30605 नगर पंचायत कन्नौद	15
	93	30606 नगर पंचायत कांटाफोड़	15
	94	30607 नगर पंचायत करनावद	15
	95	30608 नगर पंचायत खातेगांव	15
	96	30609 नगर पंचायत लोहरदा	15
	97	30610 नगर पंचायत सतवास	15
	98	30611 नगर पंचायत सोनकच्छ	15
		11	195
राजगढ़	99	40101 नगरपालिका परिषद् ब्यावरा	18
	100	40102 नगरपालिका परिषद् नरसिंहगढ़	15
	101	40103 नगरपालिका परिषद् सारंगपुर	18
	102	40104 नगर पंचायत बोड़ा	15
	103	40105 नगर पंचायत जीरापुर	15
	104	40106 नगर पंचायत खिलचीपुर	15
	105	40107 नगर पंचायत खुजनेर	15
	106	40108 नगर पंचायत माचलपुर	15
	107	40109 नगर पंचायत पचोर	15
	108	40110 नगर पंचायत राजगढ़	15
	109	40111 नगर पंचायत सुठालिया	15
	110	40112 नगर पंचायत तलेन	15
		12	186
सीहोर	111	40201 नगरपालिका परिषद् सीहोर	33
	112	40202 नगरपालिका परिषद् आष्टा	18

(1)	(2)	(3)	(4)
	113	नगर पंचायत बुदनी	15
	114	नगर पंचायत इछावर	15
	115	नगर पंचायत जावर	15
	116	नगर पंचायत नसरुल्लागंज	15
	117	नगर पंचायत रेहटी	15
		7	126
विदिशा	118	नगरपालिका परिषद् विदिशा	36
	119	नगरपालिका परिषद् गंजबासोदा	24
	120	नगरपालिका परिषद् सिरोंज	21
	121	नगर पंचायत कुरवाई	15
	122	नगर पंचायत लटेरी	15
		5	111
भोपाल	123	नगरनिगम भोपाल	66
	124	नगर पंचायत बेरसिया	15
		2	81
रायसेन	125	नगरपालिका परिषद् रायसेन	18
	126	नगर पालिका परिषद् बैगमगंज	18
	127	नगर पंचायत बाड़ी	15
	128	नगर पंचायत ओबेदुल्लागंज	15
	129	नगर पंचायत सुल्तानपुर	15
	130	नगर पंचायत उदयपुरा	15
	131	नगर पंचायत बरेली	15
		7	111
बैतूल	132	नगरपालिका परिषद् बैतूल	33
	133	नगरपालिका परिषद् आमला	18
	134	नगरपालिका परिषद् सारनी	36
	135	नगर पंचायत बैतूल बाजार	15
	136	नगर पंचायत मुस्लिमताई	15
		5	117
होशंगाबाद	137	नगरपालिका परिषद् होशंगाबाद	33
	138	नगरपालिका परिषद् सिवनी मालवा	15
	139	नगरपालिका परिषद् इटरसी	34
	140	नगरपालिका परिषद् पिपरिया	21
	141	नगर पंचायत बाबई	15
	142	नगर पंचायत सोहागपुर	15
		6	133
हरदा	143	नगर पंचायत खिरकिया	15
	144	नगर पंचायत टिमरनी	15
		2	30
झाबुआ	145	नगरपालिका परिषद् झाबुआ	18
	146	नगरपालिका परिषद् अलिराजपुर	18
	147	नगर पंचायत भाभरा	15
	148	नगर पंचायत जोबट	15
	149	नगर पंचायत पेटलावद	15

(1)	(2)	(3)	(4)
	150	नगर पंचायत थांदला	15
		6	96
इन्दौर	151	नगरनिगम इन्दौर	69
	152	नगर पंचायत बेटमा	15
	153	नगर पंचायत देपालपुर	15
	154	नगर पंचायत गौतमपुरा	15
	155	नगर पंचायत हातोद	15
	156	नगर पंचायत महूगांव	15
	157	नगर पंचायत मानपुर	15
	158	नगर पंचायत राड	15
	159	नगर पंचायत सांवेर	15
		9	189
धार	160	नगरपालिका परिषद् धार	30
	161	नगरपालिका परिषद् मनावर	15
	162	नगर पंचायत धामनोद	15
	163	नगर पंचायत धरमपुरी	15
	164	नगर पंचायत कुक्षी	15
	165	नगर पंचायत राजगढ़	15
	166	नगर पंचायत सरदारपुर	15
	167	नगर पंचायत बदनावर	15
		8	135
खरगौन	168	नगरपालिका पुरिषद् खरगौन	33
	169	नगरपालिका परिषद् सनावद	18
	170	नगरपालिका परिषद् बड़वाह	18
	171	नगर पंचायत भीकनगांव	15
	172	नगर पंचायत कसरावद	15
	173	नगर पंचायत मण्डलेश्वर	15
	174	नगर पंचायत महेश्वर	15
		7	129
बड़वानी	175	नगरपालिका परिषद् सेंधवा	24
	176	नगरपालिका परिषद् बड़वानी	24
	177	नगर पंचायत अंजड़	15
	178	नगर पंचायत खेतिया	15
	179	नगर पंचायत पानसेमल	15
	180	नगर पंचायत राजपुर	15
		6	108
खण्डवा	181	नगरनिगम बुरहानपुर	48
	182	नगरनिगम खण्डवा	45
	183	नगरपालिका परिषद् नेपानगर	24
	184	नगर पंचायत मूंदी	15
	185	नगर पंचायत पंधाना	15
	186	नगर पंचायत शाहपुर	15
	187	नगर पंचायत हरसूद	15
		7	177
टीकमगढ़	188	नगरपालिका परिषद् टीकमगढ़	27

(1)	(2)	(3)	(4)
	189	70102 नगर पंचायत बल्देवगढ़	15
	190	70103 नगर पंचायत बड़ागांव	15
	191	70104 नगर पंचायत जतारा	15
	192	70105 नगर पंचायत जैरोनखालसा	15
	193	70106 नगर पंचायत कारी	15
	194	70107 नगर पंचायत खरगापुर	15
	195	70108 नगर पंचायत लिधोराखास	15
	196	70109 नगर पंचायत निवाड़ी	15
	197	70110 नगर पंचायत पलेरा	15
	198	70111 नगर पंचायत पृथ्वीपुर	15
	199	70112 नगर पंचायत तरीचरकला	15
		12	192
छतरपुर	200	70201 नगरपालिका परिषद् छतरपुर	33
	201	70202 नगरपालिका परिषद् नौगांव	15
	202	70203 नगर पंचायत बक्स्वाहा	15
	203	70204 नगर पंचायत बड़ामलहरा	15
	204	70205 नगर पंचायत बारीगढ़	15
	205	70206 नगर पंचायत बिजावर	15
	206	70207 नगर पंचायत चंदला	15
	207	70209 नगर पंचायत गढ़ीमलहरा	15
	208	70210 नगर पंचायत हरपालपुर	15
	209	70211 नगर पंचायत लौड़ी	15
	210	70212 नगर पंचायत महाराजपुर	15
	211	70213 नगर पंचायत सटई	15
	212	70214 नगर पंचायत राजनगर	15
	213	70215 नगर पंचायत खजुराहो	15
		14	228
पन्ना	214	70301 नगरपालिका परिषद् पन्ना	22
	215	70302 नगर पंचायत अजयगढ़	15
	216	70303 नगर पंचायत अमाननंज	15
	217	70304 नगर पंचायत देवेन्द्रनगर	15
	218	70305 नगर पंचायत ककरहटी	15
	219	70306 नगर पंचायत पवई	15
		6	97
सागर	220	70401 नगरनिगम सागर	48
	221	70402 नगरपालिका परिषद् देवरी	15
	222	70403 नगरपालिका परिषद् बीना-इटावा	25
	223	70404 नगरपालिका परिषद् खुरई	21
	224	70405 नगरपालिका परिषद् गढ़ाकोटा	18
	225	70406 नगरपालिका परिषद् रहली	15
	226	70407 नगर पंचायत बण्डा	15
	227	70408 नगर पंचायत राहतगढ़	15
	228	70409 नगर पंचायत शाहगढ़	15
	229	70410 नगर पंचायत शाहपुर	15
		10	202

(1)	(2)	(3)	(4)
दमोह	230	70501 नगरपालिका परिषद् दमोह	39
	231	70502 नगरपालिका परिषद् हटा	15
	232	70503 नगर पंचायत हिण्डोरिया	15
	233	70504 नगर पंचायत पथरिया	15
	234	70505 नगर पंचायत तेंदूखेड़ा	15
		5	99
जबलपुर	235	80101 नगरनिगम जबलपुर	60
	236	80102 नगरपालिका परिषद् सिहोरा	18
	237	80103 नगरपालिका परिषद् पनागर	15
	238	80104 नगर पंचायत बेरेला	15
	239	80105 नगर पंचायत कटंगी	15
	240	80106 नगर पंचायत मझोली	15
	241	80107 नगर पंचायत पाटन	15
	242	80108 नगर पंचायत शाहपुरा	15
		8	168
कटनी	243	80201 नगरनिगम कटनी	45
	244	80202 नगर पंचायत बरही	15
	245	80203 नगर पंचायत कैमोर	15
	246	80204 नगर पंचायत विजयराघवगढ़	15
		4	90
नरसिंहपुर	247	80301 नगरपालिका परिषद् नरसिंहपुर	24
	248	80302 नगरपालिका परिषद् गाडरवाड़ा	21
	249	80303 नगर पंचायत गोटेगांव	15
	250	80304 नगर पंचायत करेली	15
		4	75
छिंदवाड़ा	251	80401 नगरपालिका परिषद् छिंदवाड़ा	39
	252	80402 नगरपालिका परिषद् पांडुरना	30
	253	80403 नगरपालिका परिषद् जामई जुनारदेव	18
	254	80404 नगरपालिका परिषद् डोंगरपरासिया	21
	255	80405 नगर पंचायत अमरवाड़ा	15
	256	80406 नगर पंचायत चांदामेटा बुटारिया	15
	257	80407 नगर पंचायत चौराई	15
	258	80408 नगर पंचायत हरई	15
	259	80409 नगर पंचायत लोधीखेड़ा	15
	260	80410 नगर पंचायत मोहगांव	15
	261	80411 नगर पंचायत न्यूटन चिखली	15
	262	80412 नगर पंचायत सौंसर	15
		12	228
सिवनी	263	80501 नगरपालिका परिषद् सिवनी	24
	264	80502 नगर पंचायत बरघाट	15
	265	80503 नगर पंचायत लखनादौन	15
		3	54
मण्डला	266	80601 नगरपालिका परिषद् मण्डला	24
	267	80602 नगरपालिका परिषद् नैनपुर	15

1)	(2)	(3)	(4)
	268	80603 नगर पंचायत बम्हनी बंजर	15
		3	54
डिण्डोरी	269	80701 नगर पंचायत डिण्डोरी	15
	270	80702 नगर पंचायत शहपुरा	15
		2	30
बालाघाट	271	80801 नगरपालिका परिषद् बालाघाट *	33
	272	80802 नगरपालिका परिषद् वारासिवनी	15
	273	80804 नगर पंचायत कटंगी	15
	274	80805 नगर पंचायत बैहर	15
		4	78
रीवा	275	90101 नगरनिगम रीवा	45
	276	90102 नगर पंचायत बैकुण्ठपुर	15
	277	90103 नगर पंचायत त्योथर	15
	278	90104 नगर पंचायत गोविन्दगढ़	15
	279	90105 नगर पंचायत गुढ़	15
	280	90106 नगर पंचायत हनुमना	15
	281	90107 नगर पंचायत मनगवां	15
	282	90108 नगर पंचायत मउगंज	15
	283	90109 नगर पंचायत नईगढ़ी	15
	284	90110 नगर पंचायत सेमरिया	15
	285	90111 नगर पंचायत सिरमोर	15
		11	195
सतना	286	90201 नगरनिगम सतना	45
	287	90202 नगरपालिका परिषद् मैहर	18
	288	90203 नगर पंचायत अमरपाटन	15
	289	90204 नगर पंचायत बिरसिंहपुर	15
	290	90205 नगर पंचायत जैतवाड़ा	15
	291	90206 नगर पंचायत कोठी	15
	292	90207 नगर पंचायत नागोद	15
	293	90208 नगर पंचायत रामपुर बघेलान	15
	294	90209 नगर पंचायत उचेहरा	15
	295	90210 नगर पंचायत चित्रकूट	15
		10	183
शहडोल	296	90301 नगरपालिका परिषद् शहडोल	30
	297	90302 नगरपालिका परिषद् धनपुरी	24
	298	90303 नगरपालिका परिषद् कोतमा	15
	299	90305 नगर पंचायत बिजुरी	15
	300	90306 नंग पंचायत बुढार	15
	301	90307 नगर पंचायत जैसिंहनगर	15
	302	90308 नगर पंचायत खाण्ड	15
	303	90309 नगर पंचायत ब्योहारी	15
		8	144
उमरिया	304	90402 नगर पंचायत चंदिया	15
	305	90403 नगर पंचायत पाली	15

(1)	(2)	(3)	(4)
	306	90404 नगर पंचायत नोराजाबाद	15
		3	45
सीधी	307	नगरनिगम सिंगरेली	45
	308	नगर पंचायत रामपुर नैकिन	15
		2	60
<b>योग—</b>		<b>308</b>	<b>5757</b>

## वर्तमान में मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के लिए स्वीकृत पद

क्र.	पद का विवरण (पदनाम)	वेतनमान (रुपये)	राज्य शासन में समतुल्य पद		स्वीकृत पदों की संख्या
			सेवा	पद	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	संयुक्त निर्वाचन आयुक्त/सचिव	18400-22400	आय. ए. एस.	1 सुपरटाइम स्केल	1
2.	सहायक निर्वाचन आयुक्त/उपसचिव	12000-16500	राज्य सिविल सेवा के अधिकारी	2	
3.	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी	14300-18300	राज्य वित्तीय सेवा के अधिकारी	अपर संचालक स्तर	1
4.	लेखाधिकारी	8000-13500	- ''-	सहायक संचालक स्तर	2
5.	कम्प्यूटर विशेषज्ञ (संविदा नियुक्ति पर)	-	विविध (कम्प्यूटर तथा विविध कार्य)	संयुक्त संचालक स्तर	1
6.	विधिक सलाहकार (संविदा नियुक्ति पर)	12000-16500	-	-	1
7.	उप सचिव	12000-16500	सचिवालयीन अधिकारी	उप सचिव स्तर	1
8.	अवर सचिव	10000-15200	- ''-	अवर सचिव स्तर	1
9.	अनुभाग अधिकारी	6500-10500	- ''-	अनुभाग अधिकारी स्तर	4
10.	सांख्यिकी अधिकारी	8000-13500	राज्य सांख्यिकी सेवा	सहायक संचालक स्तर	1
11.	वरिष्ठ सहायक	5000-8000	सचिवालयीन सेवा कर्मचारी	सहायक	4
12.	सहायक	4000-6000	- ''-	उच्च श्रेणी लिपिक	8
13.	कनिष्ठ सहायक/स्टेनो टायपिस्ट	3050-4590	- ''-	निम्न श्रेणी लिपिक	16
14.	विशेष सहायक	10000-15200	- ''-	स्टाफ ऑफिसर	1
15.	स्टाफ ऑफिसर	6500-10500	- ''-	निज सचिव	3
16.	निज सचिव	5500-9900	- ''-	निज सहायक	1
17.	निज सहायक	5000-8000	- ''-	स्टेनोग्राफर	4
18.	कनिष्ठ लेखाधिकारी	5000-8000	वित्त विभाग/संचालनालय कोष एवं लेखा (एस. ए. एस.)	अधीनस्थ लेखा सेवा	2
19.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	5500-9000	संचा. आर्थिक एवं सां.	सांख्यिकी सेवा	1
20.	लेखापाल/केशियर	4000-6000	सहा./उच्च श्रेणी लिपिक	लेखापाल/केशियर	2
21.	वाहन चालक	3050-4590	-	वाहन चालक	3
22.	वाहन चालक	3050-4590	कंटिंजेंसी पेड	वाहन चालक	5
23.	सुपरवाइजर	3050-4590	-	सुपरवाइजर	1
24.	भृत्य/चौकीदार/संदेश वाहक	2250-3200	-	-	6
25.	भृत्य/चौकीदार/संदेश वाहक	-	कंटिंजेंसी पेड	-	14
26.	जमादार	2610-3540	-	-	1

**नगरपालिका निर्वाचन में रिटर्निंग ऑफिसर तथा सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के पद पर  
नियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों के नाम**

क्र.	नगरपालिका का प्रकार	रिटर्निंग ऑफिसर (नगरपालिका) का पदनाम	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (नगरपालिका) के पद पर नियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों के पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1. (i)	जिला मुख्यालय के नगरपालिका निगम.	कलेक्टर (पदन)	अपर कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर/सहायक कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/ आयुक्त, नगरपालिका निगम.
	(ii) जिला मुख्यालय के बाहर के नगरपालिका निगम.	अपर कलेक्टर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/सहायक कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर/आयुक्त, नगरपालिका निगम/तहसीलदार/अपर तहसीलदार.
2. (i)	जिला मुख्यालय की नगरपालिका परिषद्	कलेक्टर (पदन)	संयुक्त कलेक्टर/सहायक कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/मुख्य नगरपालिका अधिकारी.
	(ii) जिला मुख्यालय से बाहर की परिषद्	अपर कलेक्टर/ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/ कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/सहायक कलेक्टर.	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार/ अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त/विकासखण्ड अधिकारी/मुख्य नगरपालिका अधिकारी.
3. (i)	जिला मुख्यालय की नगर पंचायत.	कलेक्टर (पदन)	अपर कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/ अनुविभागीय अधिकारी/मुख्य नगरपालिका अधिकारी.
	(ii) राजस्व अनुविभाग के मुख्यालय वाली नगर पंचायत.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/अधीक्षक-भू- अभिलेख/नायब तहसीलदार/सहायक अधीक्षक भू- अभिलेख/अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त/ विकासखण्ड अधिकारी/मुख्य नगरपालिका अधिकारी.
	(iii) राजस्व अनुविभाग के मुख्यालय के बाहर की नगर पंचायत.	सहायक कलेक्टर/ डिप्टी कलेक्टर/ तहसीलदार/ अपर तहसीलदार/ अधीक्षक भू-अभिलेख.	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/अधीक्षक - भू-अभिलेख/नायब तहसीलदार/सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख/अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त/ विकासखण्ड अधिकारी/मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

**निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा अपील प्राधिकारी के कृत्यों के सम्पादन के लिए पदभिहित अधिकारी**

क्र.	नगरपालिका का विवरण	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कृत्यों के सम्पादन के लिए नियुक्त अधिकारी का नाम	सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कृत्यों के सम्पादन के लिए नियुक्त अधिकारी का नाम	अपील प्राधिकारी के कृत्यों के सम्पादन के लिए नियुक्त अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

**1. नगरपालिका निगम :**

- (i) जिला मुख्यालय का नगरपालिका निगम उप जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) संयुक्त कलेक्टर/सहायक कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उप बन्दोबस्त अधिकारी/अधीक्षक भू-अभिलेख/तहसीलदार/सहायक बन्दोबस्त अधिकारी/नायब तहसीलदार/सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
- (ii) जिला मुख्यालय के बाहर का नगरपालिका निगम अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सहायक कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/उप बन्दोबस्त अधिकारी/सहायक बन्दोबस्त अधिकारी/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार/अधीक्षक, भू-अभिलेख.

**2. नगरपालिका परिषद :**

- (i) जिला मुख्यालय की नगरपालिका परिषद उप जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) संयुक्त कलेक्टर/सहायक कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/ उप बन्दोबस्त अधिकारी/सहायक बन्दोबस्त अधिकारी/अधीक्षक भू-अभिलेख/तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार/सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
- (ii) जिला मुख्यालय के बाहर की नगर-पालिका परिषद अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) या डिप्टी कलेक्टर उप बन्दोबस्त अधिकारी/तहसीलदार/सहायक बन्दोबस्त अधिकारी/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार/सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

## 3. नगर पंचायत :

(i)	जिला मुख्यालय की नगर पंचायत.	उप जिला निर्वाचन अधिकारी/ नगरपालिका	डिप्टी कलेक्टर/उप बन्दोबस्त अधिकारी/ तहसीलदार/ अपर तहसीलदार/ सहायक बन्दोबस्त अधिकारी/ नायब तहसीलदार/ सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	अपर कलेक्टर/ कलेक्टर
(ii)	राजस्व अनुविभाग के मुख्यालय की नगर पंचायत.	तहसीलदार/ अपर तहसीलदार.	अपर तहसीलदार/ सहायक बन्दोबस्त अधिकारी/ नायब तहसीलदार/ सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).
(iii)	राजस्व अनुविभाग के बाहर की नगर पंचायत.	तहसीलदार/ अपर तहसीलदार.	सहायक बन्दोबस्त अधिकारी/ अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार/ सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल

## मतदाताओं से अपील

दिसम्बर, 1999 में होने वाले नगरपालिका चुनावों के लिये

**मतदाता सूची तैयार करने का कार्य 11 अक्टूबर 99 से प्रारम्भ किया जा रहा है।**

अपने नगर की बेहतरी के इच्छुक और जागरूक नागरिक होने के कारण यह देखना आपका कर्तव्य है कि मतदाता सूची में आपके वार्ड के हर ऐसे व्यक्ति का नाम शामिल हो—

- जो 01 जनवरी 1999 को 18 वर्ष की आयु का हो चुका है तथा अन्यथा पात्र है।

ऐसे किसी व्यक्ति का नाम सूची में शामिल नहीं हो :—

- जिसकी मृत्यु हो चुकी है ;
- जो गांव छोड़कर अन्यत्र चला गया है ;
- जिसका नाम किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में सम्मिलित है; या
- जो मतदाता होने की पात्रता नहीं रखता है।

सही मतदाता सूची ही सही चुनाव का आधार है और सही मतदाता सूची का बनना आपकी सक्रियता और सजगेता पर निर्भर है।

प्रारंभिक मतदाता सूची आपके निरीक्षण के लिये नगर में कई स्थानों पर रखी गई है जिनमें नगर निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत के कार्यालय तथा राजस्व अधिकारियों के कार्यालय शामिल हैं और तारीख 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 99 तक खुली रहेगी

**प्रारंभिक मतदाता सूची में संशोधन के दावे दिनांक 20 अक्टूबर 99 तक स्वीकार किए जाएंगे।**

यह कार्य आपके नगर के भविष्य से जुड़ा है। अतः इसमें सहयोग दीजिए।

प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से :—

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी

## नगरपालिका निर्वाचन 1999-2000 जिला व नगरीय निकायबार मतदान केन्द्रों की संख्या

जिला (1)	नगरीय निकाय का नाम (2)	मतदान केन्द्रों की संख्या (3)
मुरैना	1 नगरपालिका परिषद् मुरैना	137
	2 नगरपालिका परिषद् अम्बाह	34
	3 नगरपालिका परिषद् सबलगढ़	29
	4 नगरपालिका परिषद् पोरसा	20
	5 नगर पंचायत बानमोर	23
	6 नगर पंचायत झुण्डपुरा	15
	7 नगर पंचायत जौरा	18
	8 नगर पंचायत कैलारस	17
श्योपुर	9 नगरपालिका परिषद् श्योपुर	46
	10 नगर पंचायत बड़ोदा	15
	11 नगर पंचायत विजयपुर	15
भिण्ड	12 नगरपालिका परिषद् भिण्ड	125
	13 नगरपालिका परिषद् गोहद	39
	14 नगर पंचायत अकोड़ा	15
	15 नगर पंचायत आलमपुर	15
	16 नगर पंचायत दबोह	15
	17 नगर पंचायत गोरमी	17
	18 नगर पंचायत लहार	22
	19 नगर पंचायत मौ	15
	20 नगर पंचायत मेहगांव	15
	21 नगर पंचायत मिहोना	15
ग्वालियर	22 नगर पंचायत फूफ	15
	23 नगरपालिका निगम ग्वालियर	660
	24 नगरपालिका परिषद् डबरा	48
	25 नगर पंचायत आंतरी	15
	26 नगर पंचायत भितरवार	15
	27 नगर पंचायत बिलौआ	15
	28 नगर पंचायत पिछोर	15
शिवपुरी	29 नगरपालिका परिषद् शिवपुरी	88
	30 नगर पंचायत बदरवास	15
	31 नगर पंचायत केरेरा	15
	32 नगर पंचायत खनियाधाना	15
	33 नगर पंचायत कोलारस	15
	34 नगर पंचायत पिछोर	15
दतिया	35 नगरपालिका प्रपरिषद् दतिया	65
	36 नगर पंचायत इन्दरगढ़	15
	37 नगर पंचायत सेंवढा	16
	38 नगर पंचायत भाण्डेर	16
गुना	39 नगरपालिका परिषद् गुना	128
पश्चोकनगर	40 नगरपालिका परिषद् अशोकनगर	51

(1)	(2)	(3)
भूशाकनगर	41 नगरपालिका परिषद् चंदेरी	24
शुन्जा	42 नगर पंचायत आरोन	18
शुन्जा	43 नगर पंचायत चाचोड़ा बीनागंज	17
शुन्जा	44 नगर पंचायत कुम्भराज	15
*भूशाकनगर	45 नगर पंचायत मुंगावली	17
मन्दसौर	46 नगर पंचायत भानपुरा	15
	47 नगर पंचायत गरोठ	15
	48 नगर पंचायत मल्हारगढ़	15
	49 नगर पंचायत नगरी	15
	50 नगर पंचायत नारायणगढ़	15
	51 नगर पंचायत पिपल्या मंडी	15
	52 नगर पंचायत शामगढ़	18
	53 नगर पंचायत सीतामउ	15
नीमच	54 नगरपालिका परिषद् नीमच	82
	55 नगर पंचायत डिकेन	15
	56 नगर पंचायत जावद	15
	57 नगर पंचायत जीरन	15
	58 नगर पंचायत मनासा	15
	59 नगर पंचायत रामपुरा	15
	60 नगर पंचायत रतनगढ़	15
	61 नगर पंचायत सिंगोली	15
रतलाम	62 नगरपालिका निगम रतलाम	158
	63 नगरपालिका परिषद् जावरा	61
	64 नगर पंचायत आलोट	15
	65 नगर पंचायत बड़ावदा	15
	66 नगर पंचायत नामली	15
	67 नगर पंचायत पिप्लोदा	15
	68 नगर पंचायत सैलाना	15
	69 नगर पंचायत ताल	15
शाजापुर	70 नगरपालिका परिषद् शाजापुर	51
	71 नगरपालिका परिषद् आगर	33
	72 नगरपालिका परिषद् शुजालपुर	38
	73 नगर पंचायत अकोदिया	15
	74 नगर पंचायत बड़ागांव	15
	75 नगर पंचायत बड़ोद	15
	76 नगर पंचायत कानड़	15
	77 नगर पंचायत मक्सी	17
	78 नगर पंचायत नलखेड़ा	15
	79 नगर पंचायत पोलायकला	15
	80 नगर पंचायत सोयतकला	15
	81 नगर पंचायत सुसनेर	15
उज्जैन	82 नगरपालिका परिषद् बड़नगर	34
	83 नगरपालिका परिषद् खाचरोद	28
	84 नगरपालिका परिषद् महिदपुर	19

(1)	(2)	(3)
	85 नगरपालिका परिषद् नागदा	76
	86 नगर पंचायत तराना	19
	87 नगर पंचायत उन्हेल	15
देवास	88 नगरपालिक निगम देवास	186
	89 नगर पंचायत बागली	15
	90 नगर पंचायत भौंरासा	15
	91 नगर पंचायत हाटपिपल्या	15
	92 नगर पंचायत कन्नौद	15
	93 नगर पंचायत कांटाफोड़	15
	94 नगर पंचायत करनावद	15
	95 नगर पंचायत खातेगांव	15
	96 नगर पंचायत लोहरदा	15
	97 नगर पंचायत सतवास	15
	98 नगर पंचायत सोनकच्छ	15
राजगढ़	99 नगरपालिका परिषद् ब्यावरा	36
	100 नगरपालिका परिषद् नरसिंहगढ़	20
	101 नगरपालिका परिषद् सारंगपुर	26
	102 नगर पंचायत बोड़ा	15
	103 नगर पंचायत जीरापुर	15
	104 नगर पंचायत खिलचीपुर	15
	105 नगर पंचायत खुजनेर	15
	106 नगर पंचायत माचलपुर	15
	107 नगर पंचायत पचोर	20
	108 नगर पंचायत राजगढ़	21
	109 नगर पंचायत सुठालिया	15
	110 नगर पंचायत तलेन	15
सीहोर	111 नगरपालिका परिषद् सीहोर	71
	112 नगरपालिकन परिषद् आष्टा	26
	113 नगर पंचायत बुदनी	15
	114 नगर पंचायत इछावर	15
	115 नगर पंचायत जावर	15
	116 नगर पंचायत नसरूल्लागंज	15
	117 नगर पंचायत रेहटी	15
विदिशा	118 नगरपालिका परिषद् विदिशा	79
	119 नगरपालिका परिषद् बसोदा	46
	120 नगरपालिका परिषद् सिरोंज	28
	121 नगर पंचायत कुरवाई	15
	122 नगर पंचायत लटेरी	15
भोपाल	123 नगरपालिक निगम भोपाल	1111
	124 नगर पंचायत बेरसिया	18
रायसेन	125 नगरपालिका परिषद् रायसेन	21
	126 नगरपालिका परिषद् बेगमगंज	22
	127 नगर पंचायत बाड़ी	15
	128 नगर पंचायत ओबेदुल्लागंज	16
	129 नगर पंचायत सुल्तानपुर	15


(1)	(2)	(3)
	130 नगर पंचायत उदयपुरा	15
	131 नगर पंचायत बरेली	20
बैतूल	132 नगरपालिका परिषद् बैतूल	74
	133 नगरपालिका परिषद् आमला	21
	134 नगरपालिका परिषद् सारणी	62
	135 नगर पंचायत बैतूल बाजार	15
	136 नगर पंचायत मुलताई	15
होशंगाबाद	137 नगरपालिका परिषद् होशंगाबाद	76
	138 नगरपालिका परिषद् सिवनी मालवा	25
	139 नगरपालिका परिषद् इटारसी	90
	140 नगरपालिका परिषद् पिपरिया	44
	141 नगर पंचायत बाबई	15
	142 नगर पंचायत सोहागपुर	15
हरदा	143 नगर पंचायत खिरकिया	15
	144 नगर पंचायत टिमरनी	15
झाबुआ	145 नगरपालिका परिषद् झाबुआ	18
	146 नगरपालिका परिषद् अलिराजपुर	18
	147 नगर पंचायत भाभरा	15
	148 नगर पंचायत जोबट	15
	149 नगर पंचायत पेटलावद	15
	150 नगर पंचायत थांदला	15
इन्दौर	151 नगरपालिका निगम इन्दौर	1167
	152 नगर पंचायत बेटमा	15
	153 नगर पंचायत देपालपुर	15
	154 नगर पंचायत गौतमपुरा	15
	155 नगर पंचायत हातोद	15
	156 नगर पंचायत महूगांव	16
	157 नगर पंचायत मानपुर	15
	158 नगर पंचायत राउ	15
	159 नगर पंचायत सांवेर	15
धार	160 नगरपालिका परिषद् धार	54
	161 नगरपालिका परिषद् मनावर	17
	162 नगर पंचायत धामनोद	15
	163 नगर पंचायत धरमपुरी	15
	164 नगर पंचायत कुक्षी	15
	165 नगर पंचायत राजगढ़	15
	166 नगर पंचायत सरदारपुर	15
	167 नगर पंचायत बदनावर	15
खरगौन	168 नगरपालिका परिषद् खरगौन	76
	169 नगर पालिका परिषद् सनावद	24
	170 नगरपालिका परिषद् बड़वाह	21
	171 नगर पंचायत भीकनगांव	15
	172 नगर पंचायत कसरावद	15
	173 नगर पंचायत मण्डलेश्वर	15
	174 नगर पंचायत महेश्वर	15

(1)	(2)	(3)
बड़वानी	175 नगरपालिका परिषद् सेंधवा	34
	176 नगरपालिका परिषद् बड़वानी	30
	177 नगर पंचायत अंजड़	15
	178 नगर पंचायत खेतिया	15
	179 नगर पंचायत पानसेमल	15
	180 नगर पंचायत राजपुर	15
बुरहानपुर	181 नगरपालिका निगम बुरहानपुर	148
खंडवा	→ 182 नगरपालिका निगम खण्डवा	162
बुरहानपुर	→ 183 नगरपालिका परिषद् नेपानगर	27
	184 नगर पंचायत मूंदी	15
	185 नगर पंचायत पंधाना	15
	186 नगर पंचायत शाहपुर	15
	187 नगर पंचायत हरसूद	15
टीकमगढ़	188 नगरपालिका परिषद् टीकमगढ़	55
	189 नगर पंचायत बल्देवगढ़	15
	190 नगर पंचायत बड़गांव	15
	191 नगर पंचायत जतारा	15
	192 नगर पंचायत जैरोनखालसा	15
	193 नगर पंचायत कारी	15
	194 नगर पंचायत खरगापुर	15
	195 नगर पंचायत लिधोराखास	15
	196 नगर पंचायत निवाड़ी	16
	197 नगर पंचायत पलेरा	15
	198 नगर पंचायत पृथ्वीपुर	15
	199 नगर पंचायत तरीचरकला	15
छतरपुर	200 नगरपालिका परिषद् छतरपुर	91
	201 नगरपालिका परिषद् नौगांव	26
	202 नगर पंचायत बक्स्वाहा	15
	203 नगर पंचायत बड़ामलहरा	15
	204 नगर पंचायत बारीगढ़	15
	205 नगर पंचायत बिजावर	15
	206 नगर पंचायत चंदला	15
	207 नगर पंचायत गढ़ीमलहरा	15
	208 नगर पंचायत हरपालपुर	15
	209 नगर पंचायत लौंडी	15
	210 नगर पंचायत महाराजपुर	15
	211 नगर पंचायत सटई	15
	212 नगर पंचायत राजनगर	15
	213 नगर पंचायत खजुराहो	15
पन्ना	214 नगरपालिका परिषद् पन्ना	44
	215 नगर पंचायत अजयगढ़	15
	216 नगर पंचायत अमानगंज	14
	217 नगर पंचायत देवेन्द्रनगर	15
	218 नगर पंचायत ककरहटी	15

(1)	(2)	(3)
	219 नगर पंचायत पवई	15
सागर	220 नगरपालिक निगम सागर	148
	221 नगरपालिका परिषद् देवरी	17
	222 नगरपालिका परिषद् बीना	35
	223 नगरपालिका परिषद् खुरई	27
	224 नगरपालिका परिषद् गढ़कोटा	20
	225 नगरपालिका परिषद् रहली	15
	226 नगर पंचायत बण्डा	15
	227 नगर पंचायत राहतगढ़	15
	228 नगर पंचायत शाहगढ़	15
	229 नगर पंचायत शाहपुर	15
दमोह	230 नगरपालिका परिषद् दमोह	86
	231 नगरपालिका परिषद् हटा	17
	232 नगर पंचायत हिण्डोरिया	15
	233 नगर पंचायत पथरिया	15
	234 नगर पंचायत तेंदूखेड़ा	15
जबलपुर	235 नगरपालिक निगम जबलपुर	706
	236 नगरपालिका परिषद् सिहोरा	28
	237 नगरपालिका परिषद् पनागर	16
	238 नगर पंचायत बेरेला	15
	239 नगर पंचायत कटंगी	15
	240 नगर पंचायत मझोली	15
	241 नगर पंचायत पाटन	15
	242 नगर पंचायत शाहपुरा	15
कटनी	243 नगरपालिक निगम कटनी	120
	244 नगर पंचायत बरही	15
	245 नगर पंचायत कैमोर	15
	246 नगर पंचायत विजयराघवगढ़	15
नरसिंहपुर	247 नगरपालिका परिषद् नरसिंहपुर	42
	248 नगरपालिका परिषद् गडरवाड़ा	21
	249 नगर पंचायत गोटेगांव	18
	250 नगर पंचायत करेली	15
छिंदवाड़ा	251 नगरपालिका परिषद् छिंदवाड़ा	98
	252 नगरपालिका परिषद् पांडुरना	32
	253 नगरपालिका परिषद् जुनारदेव	18
	254 नगरपालिका परिषद् डोंगरपरासिया	37
	255 नगर पंचायत अमरवाड़ा	15
	256 नगर पंचायत चांदामेटा बुटारिय	15
	257 नगर पंचायत चौराई	15
	258 नगर पंचायत हरई	15
	259 नगर पंचायत लोधीखेड़ा	15
	260 नगर पंचायत मोहगांव	15
	261 नगर पंचायत न्यूटन चिखली	15
	262 नगर पंचायत सौंसर	15

(1)	(2)	(3)
सिवनी	263 नगरपालिका परिषद् सिवनी	62
	264 नगर पंचायत बरखाट	15
	265 नगर पंचायत लखनादौन	15
मण्डला	266 नगरपालिका परिषद् मण्डला	46
	267 नगरपालिका परिषद् नैनपुर	24
	268 नगर पंचायत बम्हनी बंजर	15
डिण्डोरी	269 नगर पंचायत डिण्डोरी	15
	270 नगर पंचायत शहपुरा	15
बालाघाट	271 नगरपालिका परिषद् बालाघाट	64
	272 नगरपालिका परिषद् वारासिवनी	15
	273 नगर पंचायत कटंगी	15
	274 नगर पंचायत बैहर	15
रीवा	275 नगरपालिका निगम रीवा	137
	276 नगर पंचायत बैकुण्ठपुर	15
	277 नगर पंचायत त्योधर	15
	278 नगर पंचायत गोविन्दगढ़	15
	279 नगर पंचायत गुढ़	15
	280 नगर पंचायत हनुमना	15
	281 नगर पंचायत मनगवां	15
	282 नगर पंचायत मठांज	16
	283 नगर पंचायत नईगढ़ी	15
	284 नगर पंचायत सेमरिया-	15
	285 नगर पंचायत सिरमोर	15
सतना	286 नगरपालिका निगम सतना	168
	287 नगरपालिका परिषद् मैहर	29
	288 नगर पंचायत अमरपाटन	15
	289 नगर पंचायत बिरसिंहपुर	15
	290 नगर पंचायत जैतवाड़ा	15
	291 नगर पंचायत कोठी	15
	292 नगर पंचायत नागोद	15
	293 नगर पंचायत रामपुर बघेलान	15
	294 नगर पंचायत उचेहरा	15
	295 नगर पंचायत चित्रकूट	15
शहडोल	296 नगरपालिका परिषद् शहडोल	66
	297 नगरपालिका परिषद् धनपुरी	41
स्पृन्दुपुर	298 नगरपालिका परिषद् कोतमा	24
"	299 नगर पंचायत बिजुरी	24
श्रीतउल	300 नगर पंचायत बुढ़ार	15
"	301 नगर पंचायत जैसिंहनगर	15
"	302 नगर पंचायत खाण्ड	15
	303 नगर पंचायत ब्योहारी	16
उमरिया	304 नगर पंचायत चंदिया	15
	305 नगर पंचायत पाली	15
	306 नगर पंचायत नोराजाबाद	16
सोधी	307 नगरपालिका निगम सिंगरोली	103

(1)	(2)	(3)
308	नगर पंचायत रामपुर नैकिन	15
योग		11758



मतदान केन्द्रों में परिवर्तन के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव

क्र.	जिले का नाम	मतदान केन्द्रों की संख्या जिनके परिवर्तन के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए	स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या
1.	जबलपुर	7	0
3.	श्योपुर	1	1
5.	सतना	2	0
6.	शाजापुर	2	0
7.	खरगौन	2	0
8.	भोपाल	12	12
9.	मंदसौर	1	1
10.	रायसेन	1	1
11.	छतरपुर	2	2
12.	रीवा	1	1
13.	ग्वालियर	25	23
14.	झाबुआ	2	2
15.	कटनी	25	0
16.	सीहोर	1	1
17.	भिण्ड	1	1
18.	इन्दौर	31	31
19.	छिंदवाड़ा	3	0
योग		119	76

## नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय के माध्यम से वितरण

### प्रति मतदान केन्द्र पर लगने वाली सामग्री

मांक (1)	सामग्री (2)	मात्रा (3)
-------------	----------------	---------------

मतपेटियां एवं अन्य सामग्री :

(1)	मतपेटियां	1 बड़ी या 2 छोटी
(2)	सुधैदक मोहर (रबर सील)	1
(3)	अमिट स्याही की शीशी	1 (7.5 सी. सी.)/5.00 सी. सी.
(4)	लचीले तार के टुकड़े	1 मीटर
(5)	सुतली	50 ग्राम
(6)	धागा/ट्वाइन	आधा गोला
(7)	मोमबत्ती	2 या अधिक (कुल वजन 75 ग्राम)
(8)	चपड़े की सलाईयां	2 या अधिक (कुल वजन 50 ग्राम)
(9)	माचिस	1
(10)	धागे के साथ सीलबंद करने के लिये 4 से.मी. × 6 से.मी. आकार के मोटे (कड़े) कागज के टुकड़े.	प्रत्येक मतपेटी के लिए 3 + एक अतिरिक्त
(11)	आलपिन	10
(12)	पेपर सील को मजबूती देने के लिए कार्डबोर्ड का टुकड़ा (4.0 से.मी. × 6.0 से.मी.)	1
(13)	गोंद की छोटी शीशी (या लेई बनाने के लिये आया 50 ग्राम).	1
(14)	पीठासीन अधिकारी की ब्रास (पीतल की) सील.	1
(15)	बैंगनी स्याही का स्टाम्प पैड	1
(16)	बैंगनी स्याही की छोटी शीशी या गोली	1
(17)	मतपेटी में मतपत्रों पर मतांकन के लिए घूमते तीरों के चिह्न वाली रबर की मोहर.	2
(18)	धातु की धारदार पट्टी (मतपत्रों को प्रतिपर्णों से अलग करने के लिए) (1'' × 10'').	1
(19)	स्केल (मतपेटी में डले मतपत्रों को दबाने के लिए पुशर के तौर पर तथा रूलर के रूप में उपयोग हेतु) (30 से.मी. लम्बा स्केल या लोहे की पट्टी)	1
(20)	ब्लेड	1
(21)	चाक स्टिक्स	1

(1)	(2)	(3)
(22)	लोहे की कीलें (3 से 4 से.मी. लम्बी)	10
(23)	रबर बैण्ड	10
(24)	कपड़े की थैली	मतपेटियों की संख्या +1 (बच्ची हुई सामग्री रखने के लिए).
(25)	कोरा कागज (क) सफेद ताव (ख) भूरे ताव	2 1
(26)	कार्बन पेपर	2
(27)	बाल प्वाइंट पेन	3
(28)	पेंसिल	1
(29)	रबर	1
(30)	सादे कागज की सीलें (गोदरेज टाइप मतपेटियों के लिए).	2
(31)	परिनियत लिफाफों को लपेटने के लिए क्राफ्ट पेपर (कागज) की शीट.	2
		महापौर/अध्यक्ष तथा पार्षद के लिए एक-एक

## 2. मतदाता सूची एवं मतपत्र :—

(1) मतदान केन्द्र से संबंधित वार्ड (या उसके भाग क्रमांक) की मतदाता सूची.

(2) मतपत्र :  
(पार्षद तथा महापौर/अध्यक्ष के लिए अलग-अलग)

(3) लिफाफे :—

(क) परिनियत लिफाफे :—

1. मतदाता सूची की चिह्नित प्रति के लिए (क्रमांक-1).
2. रद्द किये गये मतपत्रों के लिए (क्रमांक-2).
3. निविदत्त मतपत्र एवं उनकी सूची के लिए (क्रमांक-3).
4. उपयोग में लाये गये मतपत्रों के प्रतिपर्णों के लिए (क्रमांक-4).
5. मतदाताओं को जारी न किए गये मतपत्रों के लिये (क्रमांक-5).
6. अभ्याक्षेपित मतों की सूची के लिए (क्रमांक-6).

3 प्रतियां

मतदान केन्द्र से सम्बद्ध मतदाताओं की संख्या को अगले दशांश तक पूर्ण करने पर आने वाली संख्या के बराबर।

1	
2	
2	महापौर/अध्यक्ष तथा पार्षद के लिए एक-एक.
2	
1	

(1)

(2)

(3)

## (ख) अन्य लिफाफे:—

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. मतपत्र लेखा के लिए              | 2 |
| (क्रमांक-7)                        |   |
| 2. पीठासीन अधिकारी की डायरी के लिए | 1 |
| (क्रमांक-8).                       |   |
| 3. विविध कागज पत्र रखने के लिए     | 2 |
| (क्रमांक-9).                       |   |

## (4) मुद्रित प्रस्तुप :—

- |                                                            |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. अंधे तथा शिथिलांग मतदाता के साथी द्वारा घोषणा पत्र.     | 2 प्रतियां (कम पड़ने पर अतिरिक्त प्रतियां हाथ से तैयार की जाए).                          |
| 2. अभ्याक्षेपित मतों की सूची                               | एक प्रति                                                                                 |
| 3. प्रतिरूपण के मामले में पुलिस को भेजे जाने वाली रिपोर्ट. | 2 प्रतियां (कम पड़ने पर अतिरिक्त प्रतियां हाथ से तैयार की जाएं).                         |
| 4. निविदत्त मतों की सूची                                   | 2 प्रतियां (महापौर/अध्यक्ष तथा पार्षद के लिए एक-एक)                                      |
| 5. मतपत्र लेखा (भाग-एक)                                    | अभ्यर्थियों की संख्या से दो प्रतियां अधिक.<br>(महापौर/अध्यक्ष तथा पार्षद के लिए अलग-अलग) |
| 6. मतपत्र लेखा की प्रतिलिपि की पावती                       | 2 प्रतियां (महापौर/अध्यक्ष तथा पार्षद के लिए एक-एक)                                      |
| 7. पीठासीन अधिकारी की डायरी                                | एक प्रति                                                                                 |

## (5) मुद्रित सूचनाएं (नोटिस) :—

- |                                                                                                     |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. मतदान केन्द्र से 100 मीटर दूरी दर्शने वाले पोस्टर.                                               | चार प्रतियां                                   |
| 2. मतदान केन्द्र के क्षेत्र के संबंध में सूचना (जिसके मतदाता मतदान केन्द्र पर मत देने के हकदार हों) | एक प्रति                                       |
| 3. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची (निर्वाचन प्रतीकों के साथ).                              | पार्षद-2 प्रतियां<br>महापौर/अध्यक्ष-2 प्रतियां |

## नगरपालिका निर्वाचन-1999

प्रथम और द्वितीय चरण में सम्मिलित नगरीय निकायों की सूची

क्र.	जिला	प्रथम चरण		द्वितीय चरण	
		नगरपालिका का नाम	वार्डों की संख्या	नगरपालिका का नाम	वार्डों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	मुरैना	न.पा.प. सबलगढ़ न.पं. झुण्डपुरा न.पं. कैलारस न.पं. जौरा	15 15 15 15	न.पा.प. मुरैना- न.पा.प. अम्बाह न.पा.प. पोरसा न.पं. बानमोर	39 18 15 15
			60		87
2.	श्योपुर	न.पं. विजयपुर	15	न.पा.प. श्योपुर न.पं. बड़ोदा	21 15
			15		36
3.	भिण्ड	न.पा.प. गोहद न.पं. मेहगांव न.पं. फूफ न.पं. अकोडा न.पं. मिहोना न.पं. आलमपुर	18 15 15 15 15 15	न.पा.प. भिण्ड न.पं. गोरमी न.पं. मौ न.पं. लहार न.पं. दबोह	39 15 15 15 15
			93		99
4.	ग्वालियर	न.पा.प. डबरा न.पं. बिलौआ न.पं. आंतरी न.पं. पिछोर न.पं. भितरवार	24 15 15 15 15	नगर निगम ग्वालियर*	60
			84		60
5.	शिवपुरी	न.पं. करेरा न.पं. पिछोर न.पं. कोलारस	15 15 15	न.पा.प. शिवपुरी न.पं. बदरवास न.पं. खनियाधाना	39 15 15
			45		69

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	दतिया	न.पं भाण्डेर न.पं. इन्द्रगढ़	15 15	न.पा.प. दतिया न.पं. सेंवड़ा	30 15
			30		45
7.	गुना	न.पा.प. अशोक नगर न.पा.प. चंदेरी न.पं. मुंगावली	22 21 15	न.पा.प. गुना न.पं. चाचौड़ा बीनागंज न.पं. कुम्भराज न.पं. आरोन	37 15 15 15
			58		82
8.	मन्दसौर	न.पं. नगरी न.पं. गरोठ न.पं. नारायणगढ़	15 15 15	न.पं. शामगढ़ न.पं. भानपुरा न.पं. पिपल्या मंडी न.पं. सीतामऊ न.पं. मल्हारगढ़	15 15 15 15 15
			45		75
9.	नीमच	न.पं. डिकेन न.पं. रत्नगढ़ न.पं. सिंगोली न.पं. मनासा न.पं. रामपुरा	15 15 15 15 15	न.पा.प. नीमच न.पं. जीरन न.पं. जावद	36 15 15
			75		66
10.	रत्लाम	न.पा.प. जावरा न.पं. सैलाना न.पं. आलोट न.पं. नामली	30 15 15 15	नगर निगम रत्लाम* न.पं. पिपलोदा न.पं. बड़ाबदा न.पं. ताल	49 15 15 15
			75		94
11.	शाजापुर	न.पा.प. शाजापुर न.पा.प. शुजालपुर न.पं. मक्सी न.पं. अकोदिया न.पं. पोलायकला	24 21 15 15 15	न.पा.प. आगर न.पं. सुसनेर न.पं. बड़ागांव न.पं. बड़ोद न.पं. सोयतकला न.पं. नलखेड़ा न.पं. कानड़	18 15 15 15 15 15 15
			90		108

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	उज्जैन	न.पा.प. महिदपुर न.पा.प. बड़नगर न.पं. तराना	18 18 15	न.पा.प. खाचरोद न.पा.प. नागदा न.पं. उन्हेल	18 36 15
			51		69
13.	देवास	नगर निगम देवास*	45	न.पं. भौरासा न.पं. बागली न.पं. हाटपिपल्या न.पं. कन्नौद न.पं. कांटाफोड़ न.पं. करनावद न.पं. खातेगाव न.पं. लोहरदा न.पं. सतवास न.पं. सोनकच्छ	15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
			45		150
14.	राजगढ़	न.पा.प. नरसिंहगढ़ न.पा.प. सारंगपुर न.पं. सुठालिया न.पं. तलेन न.पं. खुजनेर न.पं. पचोर	15 18 15 15 15 15	न.पा.प. ब्यावरा न.पं. राजगढ़ न.पं. जीरापुर न.पं. माचलपुर न.पं. खिलचीपुर न.पं. बोड़ा	18 15 15 15 15 15
			93		93
15.	सीहोर	न.पा.प. आष्टा न.पं. इछावर न.पं. बुदनी	18 15 15	न.पा.प. सिहोर न.पं. जावर न.पं. रेहटी न.पं. नसरुल्लागंज	33 15 15 15
			48		78
16.	विदिशा	न.धा.प. विदिशा न.पा.प. गंजबासोदा	36 24	न.पा.प. सिरोंज न.पं. कुरवाई न.पं. लटेरी	21 15 15
			60		51
17.	भोपाल	नगर निगम भोपाल*	66	न.पं. बेरसिया	15
			66		15

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	रायसेन	न.पा.प. बेगमगंज न.पं. बाडी न.पं. ओबेदुल्लागंज	18 15 15	न.पा.प. रायसेन न.पं. उदयपुरा न.पं. सुल्तानपुर न.पं. बरेली	18 15 15 15
			48		63
9.	बैतूल	न.पा.प. आमला न.पं. मुलताई	18 15	न.पा.प. बैतूल न.पा.प. सारनी न.पं. बैतूल बाजार	33 36 15
			33		84
0.	होशंगाबाद	न.पा.प. इटारसी न.पा.प. पिपरिया न.पं. बाबई	34 21 15	न.पा.प. होशंगाबाद न.पा.प. सिवनी मालवा न.पं. सोहागपुर	33 15 15
			70		63
1.	हरदा	न.पं. टिमरनी	15	न.पं. खिरकिया	15
			15		15
2.	झाबुआ	न.पा.प. अलिराजपुर न.पं. जोबट न.पं. भाभरा	18 15 15	न.पा.प. झाबुआ न.पं. थांदला न.पं. पेटलावद	18 15 15
			48		48
3.	इन्दौर	नगर निगम इन्दौर*	69	न.पं. बेटमा न.पं. देपालपुर न.पं. गौतमपुरा न.पं. हातोद न.पं. महूगांव न.पं. मानपुर न.पं. राऊ न.पं. सांवर	15 15 15 15 15 15 15 15
			69		120
4.	धार	न.पा.प. धार न.पा.प. मनावर	30 15	न.पं. धामनोद न.पं. कुक्षी न.पं. बदनावर न.पं. सरदारपुर न.पं. राजगढ़ न.पं. धरमपुरी	15 15 15 15 15 15
			45		90

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25.	खरगोन	न.पा.प. बड़वाह न.पा.प. सनावद न.पं. मण्डलेश्वर न.पं. महेश्वर	18 18 15 15	न.पा.प. खरगोन न.पं. भीकनगांव न.पं. कसरावद	33 15 15
			66		63
26.	बड़वानी	न.पा.प. सेंधवा न.पं. खेतिया न.पं. पानसेमल	24 15 15	न.पा.प. बड़वानी न.पं. अंजड़ न.पं. राजपुर	24 15 15
			54		54
27.	खण्डवा	नगर निगम बुरहानपुर* न.पा.प. नेपालगर न.पं. शाहपुर	48 24 15	नगर निगम खण्डवा* न.पं हरसूद न.पं. मूंदी न.पं. पंधाना	45 15 15 15
			87		90
28.	टीकमगढ़	न.पं. बल्देवगढ़ न.पं. बड़ागांव न.पं. जतारा न.पं. जैरोनखालसा नपं. खरगापुर न.पं. लिथोराखास न.पं. निवाड़ी न.पं. पलंरा न.पं. पृथ्वीपुर न.पं. तरीचरकला	15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	न.पा.प. टीकमगढ़ न.पं. कारी	27 15
			150		42
29.	छतरपुर	न.पा.प. नौगांव न.पं. हरपालपुर न.पं. सटई न.पं. बिजावर न.पं. बड़ामलहरा न.पं. बक्स्वाहा	15 15 15 15 15 15	न.पा.प. छतरपुर न.पं. महाराजपुर न.पं. गढ़ीमलहरा न.पं. चंदला न.पं. लौंडी न.पं. बारीगढ़ न.पं. राजनगर न.पं. खजुराहो	33 15 15 15 15 15 15 15
			90		138
30.	पन्ना	न.पं. ककरहटी न.पं. देवेन्द्रनगर	15 15	न.पा.प. पन्ना	22

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		न.पं. अजयगढ़	15		
		न.पं. अमानगंज	15		
		न.पं. पवई	15		
			75		22
31.	सागर	न.पा.प. खुरई	21	नगर निगम सागर*	48
		न.पा.प. बीना-इटावा	25	न.पा.प. गढ़ाकोटा	18
		न.पा.प. देवरी	15	न.पा.प. रहली	15
		न.पं. शाहगढ़	15	न.पं. बण्डा	15
		न.पं. राहतगढ़	15	न.पं. शाहपुर	15
			91		111
32.	दमोह	न.पा.प. हटा	15	न.पा.प. दमोह	39
		न.पं. हिण्डोरिया	15	न.पं. पथरिया	15
		न.पं. तेंदूखेड़ा	15		
			45		54
33.	जबलपुर	नगर निगम जबलपुर*	60	न.प.पा. सिंहोरा	18
				न.पा.प. घनागर	15
				न.पं. बरेली	15
				न.पं. कटांगी	15
				न.पं. मझोली	15
				न.पं. पाटन	15
				न.पं. शाहपुरा	15
			60		108
34.	कटनी	नगर निगम कटनी*	45	न.पं. बरही	15
				न.पं. कैमोर	15
				न.पं. विजयराघवगढ़	15
			45		45
35.	नरसिंहपुर	न.पा.प. गाडरवाड़ा	21	न.पा.प. नरसिंहपुर	24
		न.पं. करेली	15	न.पं. गोटेगांव	15
			36		39
36.	छिंदवाड़ा	न.पा.प. पांडुरना	30	न.पा.प. छिंदवाड़ा	39
		न.पा.प. डोंगरपरासिया	21	न.पा.प. जुन्नारदेव	18
		न.पं. मोहगांव	15	न.पं. चौरई	15
		न.पं. लोधीखेड़ा	15	न.पं. अमरवाड़ा	15

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		न.पं. सौंसर न.पं. हरई न.पं. न्यूटन चिखली न.पं. चांदामेटा बुटारिया	15 15 15 15		
			141		87
37.	सिवनी	न.पं. बरघाट न.पं लखनादौन	15 15	न.पा.प. सिवनी	24
			30		24
38.	मण्डला	न.पा.प. नैनपुर	15	न.पा.प. मण्डला न.पं. बम्हनी बंजर	24 15
			15		39
39.	डिण्डोरी			न.पं. डिण्डोरी न.पं. शहपुरा	15 15
					30
40.	बालाघाट	न.पा.प. वारासिवनी	15	न.पा.प. बालाघाट न.पं. बैहर न.पं. कटंगी	33 15 15
			15		63
41.	रीवा	नगर निगम रीवा* न.पं. बैकुण्ठपुर न.पं. सिरमोर न.पं. नईगढ़ी	45 15 15 15	न.पं. मनगवां न.पं. मउगंज न.पं. त्योथर न.पं. गोविन्दगढ़ न.पं. गुढ़ न.पं. हनुमना न.पं. सेमरिया	15 15 15 15 15 15 15
			90		105
42.	सतना	नगर निगम सतना* न.पं. कोठी न.पं. रामपुर बघेलान न.पं. चित्रकूट न.पं. जैतवाड़ा	45 15 15 15 15	न.पा.पं. मैहर न.पं. नागोद न.पं. उचेहरा न.पं. अमरपाटन न.पं. बिरसिंहपुर	18 15 15 15 15
			105		78

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
43.	शहडोल	न.पा.प. धनपुरी	24	न.पा.प. शहडोल	30
		न.पा.प. कोतमा	15	न.पं. जैसिंहनगर	15
		न.पं. बुढार	15	न.पं. व्योहारी	15
		न.पं. बिजुरी	15	न.पं. खाण्ड	15
			69		75
44.	उमरिया	न.पं. पाली	15	न.पं. नोरोजाबाद	15
				न.पं. चंदिया	15
			15		30
45.	सीधी	न.पं. रामपुर नैकिन	15	नगर निगम सिंगरोली*	45
			15		45
<b>महायोग —</b>		<b>2,655</b>		<b>3102</b>	

**नगरपालिका निगम/नगरपालिका परिषद्  
महापौर/अध्यक्ष के लिए निर्वाचन प्रतीक  
(क) मान्यता-प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए आरक्षित-प्रतीक**

**राष्ट्रीय दल**

भुजन समाज पार्टी	भारतीय जनता पार्टी	भारत की कम्युनिस्ट पार्टी	भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)	इण्डियन नेशनल कॉंग्रेस	जनता दल (सेक्युलर)	जनता दल (यूनाइटेड)
Bahujan Samaj Party	Bharatiya Janata Party	Communist Party of India	Communist Party of India (Marxist)	Indian National Congress	Janata Dal (Secular)	Janata Dal (United)

**(ख) मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित मुक्त निर्वाचन प्रतीक**

(1) जल	(6) स्लैट	(11) स्टूल	(16) प्रेशर कुकर	(21) गाढ़ी	(26) हार	(31) हारमोनियम
(2) चालो	(7) विल्वलों का सिंचन	(12) पेट्रोलियम	(17) हाथ घड़ी	(22) फालड़ा और ब्रेला	(27) अंगूठी	(32) हास्तचलित पम्प
(3) टेबल फून	(8) कॉर्ण व कॉर्नफ्लूस	(13) रोड रोलर	(18) टेबल लैंप	(23) सूरजमुखी	(28) बेंच	(33) हाथ चक्की
(4) लैपटॉप & पेन	(9) रेडियो	(14) बस	(19) कुर्सी	(24) गेहूं की चाटी	(29) गैस सिलिंडर	(34) टॉप
(5) बिज्ञ	(10) टॉलेंट ऑन पोल	(15) झोटी	(20) बैंड	(25) बाजार में टोकानी	(30) पेपल छाँ पाता	(35) मेज

नारायणिक निराम/नारायणिका परिषद




पार्षद के लिये निवाचन प्रतीक

(क) मायां-ग्राम राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित-प्रतीक

राष्ट्रीय दल

	कांगड़ा (सिंहासन)	जल दूध (पानी)
	मरवाड़ा जाति भाषा	जल दूध (पानी)
	जल दूध (पानी)	मरवाड़ा जाति भाषा
	जल दूध (पानी)	मरवाड़ा जाति भाषा
	जल दूध (पानी)	मरवाड़ा जाति भाषा

(ख) प्रधानमंत्री राज्य निवाचन अयोग द्वारा चिह्नित मुख्य निवाचन प्रतीक




	(1)		(6)		(11)		(16)		(21)		(26)
	(2)		(7)		(12)		(17)		(22)		(27)
	(3)		(8)		(13)		(18)		(23)		(28)
	(4)		(9)		(14)		(19)		(24)		(29)
	(5)		(10)		(15)		(20)		(25)		(30)
	(6)		(11)		(16)		(21)		(26)		(31)
	(7)		(12)		(17)		(22)		(27)		(32)
	(8)		(13)		(18)		(23)		(28)		(33)
	(9)		(14)		(19)		(24)		(29)		(34)
	(10)		(15)		(20)		(25)		(30)		(35)
	(11)		(16)		(21)		(26)		(31)		(36)
	(12)		(17)		(22)		(27)		(32)		(37)
	(13)		(18)		(23)		(28)		(33)		(38)
	(14)		(19)		(24)		(29)		(34)		(39)
	(15)		(20)		(25)		(30)		(35)		(40)
	(16)		(21)		(26)		(31)		(36)		(41)
	(17)		(22)		(27)		(32)		(37)		(42)
	(18)		(23)		(28)		(33)		(38)		(43)
	(19)		(24)		(29)		(34)		(39)		(44)
	(20)		(25)		(30)		(35)		(40)		(45)
	(21)		(26)		(31)		(36)		(41)		(46)
	(22)		(27)		(32)		(37)		(42)		(47)
	(23)		(28)		(33)		(38)		(43)		(48)
	(24)		(29)		(34)		(39)		(44)		(49)
	(25)		(30)		(35)		(40)		(45)		(50)
	(26)		(31)		(36)		(41)		(46)		(51)
	(27)		(32)		(37)		(42)		(47)		(52)
	(28)		(33)		(38)		(43)		(48)		(53)
	(29)		(34)		(39)		(44)		(49)		(54)
	(30)		(35)		(40)		(45)		(50)		(55)
	(31)		(36)		(41)		(46)		(51)		(56)
	(32)		(37)		(42)		(47)		(52)		(57)
	(33)		(38)		(43)		(48)		(53)		(58)
	(34)		(39)		(44)		(49)		(54)		(59)
	(35)		(40)		(45)		(50)		(55)		(60)
	(36)		(41)		(46)		(51)		(56)		(61)
	(37)		(42)		(47)		(52)		(57)		(62)
	(38)		(43)		(48)		(53)		(58)		(63)
	(39)		(44)		(49)		(54)		(59)		(64)
	(40)		(45)		(50)		(55)		(60)		(65)
	(41)		(46)		(51)		(56)		(61)		(66)
	(42)		(47)		(52)		(57)		(62)		(67)
	(43)		(48)		(53)		(58)		(63)		(68)
	(44)		(49)		(54)		(59)		(64)		(69)
	(45)		(50)		(55)		(60)		(65)		(70)
	(46)		(51)		(56)		(61)		(66)		(71)
	(47)		(52)		(57)		(62)		(67)		(72)
	(48)		(53)		(58)		(63)		(68)		(73)
	(49)		(54)		(59)		(64)		(69)		(74)
	(50)		(55)		(60)		(65)		(70)		(75)
	(51)		(56)		(61)		(66)		(71)		(76)
	(52)		(57)		(62)		(67)		(72)		(77)
	(53)		(58)		(63)		(68)		(73)		(78)
	(54)		(59)		(64)		(69)		(74)		(79)
	(55)		(60)		(65)		(70)		(75)		(80)
	(56)		(61)		(66)		(71)		(76)		(81)
	(57)		(62)		(67)		(72)		(77)		(82)
	(58)		(63)		(68)		(73)		(78)		(83)
	(59)		(64)		(69)		(74)		(79)		(84)
	(60)		(65)		(70)		(75)		(80)		(85)
	(61)		(66)		(71)		(76)		(81)		(86)
	(62)		(67)		(72)		(77)		(82)		(87)
	(63)	 Tap	 Slate	 Stool	 Pressure Cooker	 Cart	 Necklace	 Harmonium			
(2)	(7)	(12)	(17)	(22)	(27)	(32)					
 Key	 Electric Switch	 Petromax	 Wrist Watch	 Spade and Stoker	 Ring	 Hand Pump					
(3)	(8)	(13)	(18)	(23)	(28)	(33)					
 Table Fan	 Glass Tumbler	 Road Roller	 Table Lamp	 Sunflower	 Bench	 Grinding Wheel					
(4)	(9)	(14)	(19)	(24)	(29)	(34)					
 Inkpot & Pen	 Radio	 Bus	 Chair	 Wheat Ear Head	 Gas Cylinder	 Top					
(5)	(10)	(15)	(20)	(25)	(30)	(35)					
 Book	 Tinplate on Pole	 Whistle	 Earthen Pot	 Basket Containing Vegetables	 Pepal Leaf	 Table					

नगर पंचायत  
पार्षद के लिये निर्वाचन प्रतीक




मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित मुक्त निर्वाचन प्रतीक

(1)	(6)	(11)	(16)	(21)	(26)
साइकिल Bicycle	तापां Scales	लालटेन Hurricane Lamp	स्कूटर Scouter	टेलीविजन Television	हॉकी और गेंद Hockey and Ball
(2)	(7)	(12)	(17)	(22)	(27)
दो पत्तियाँ Two Leaves	छाता Umbrella	दीवार पट्टी Clock	जीप Jeep	वायुयान Aeroplane	तीर-कमान Bow and Arrow
(3)	(8)	(13)	(18)	(23)	(28)
उगता सूरज Rising Sun	बिजली का बल्ब Electric Bulb	सिलाई की मशीन Sewing Machine	रेल का इंजन Railway Engine	वरांद का पेढ़ Banyan Tree	दो तलवार और एक डाल Two Swords and a Shield
(4)	(9)	(14)	(19)	(24)	(29)
सोढ़ी Ladder	छत का पंखा Ceiling Fan	झोपड़ी Hut	ब्लैक बोर्ड Black-Board	लेटर बॉक्स (पत्र पेटी) Letter Box	चश्मा Spectacles
(5)	(10)	(15)	(20)	(25)	(30)
पतंग Kite	ताला और चाबी Lock and Key	नाव Boat	टेलीफोन Telephone	अलमरी Almirah	फलों सहित नारियल का पेढ़ Coconut tree bearing fruits

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित अतिरिक्त निर्वाचन प्रतीकों की सूची  
महापौर/अध्यक्ष के लिये

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
घंटे 	अलार्म घड़ी 	बोम्बेतिया 	गैस स्टोव 	दरवाजा 
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ड्रम 	बल्टा 	जग 	वायरिन 	बेलन 

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित अतिरिक्त निर्वाचन प्रतीकों की सूची  
पार्षद के लिये

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
किंचि 	बाट्टी 	कपोज 	फ्रॉक 	केतली 
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
झुस्ताधि 	होड़ी पर्स 	भोयू 	सेव 	पासल फाटता हुआ किसान 

परिशिष्ट-पन्द्रह

## नगरपालिका आम निर्वाचन-1999

## निर्विरोध निर्वाचन का विवरण

क्र	नगरपालिका का वर्ग	निर्विरोध अभ्यर्थियों की संख्या	संबंधित नगरपालिकाओं के नाम एवं वार्ड क्रमांक
	(2)	(3)	(4)
नगरपालिका निगम		-	-
नगरपालिका परिषद्	16	1. न.पा.प. मुरैना (वा.क्र. 25) 2. —"— गुना (वा.क्र. 06) 3. —"— शाजापुर (वा.क्र. 06) 4. —"— शुजालपुर (वा.क्र. 15) 5. —"— खाचरोद (वा.कर. 16 व 17) 6. —"— इटारसी (वा.क्र. 34) 7. —"— मनावर (वा.क्र. 12) 8. —"— सेंधवा (वा.क्र. 01 व 22) 9. —"— बड़वानी (वा.क्र. 01) 10. —"— पन्ना (वा.क्र. 22) 11. —"— दमोह (वा.क्र. 12 व 23) 12. —"— नरसिंहपुर (वा.क्र. 03) 13. —"— कोतमा (वा.क्र. 15)	
नगर-पंचायत	64	1. न.पा. झुण्डपुरा (वा.क्र 03 व 05) 2. —"— कैलारसं (वा.क्र. 10) 3. —"— मेहगांव (वा.क्र. 09) 4. —"— मिहोना (वा.क्र. 02) 5. —"— लहार (वा.क्र. 12) 6. —"— दबोह (वा.क्र. 12 व 13) 7. —"— करेरा (वा.क्र. 01) 8. —"— पिछोर (वा.क्र. 01 व 08) 9. —"— कोलारस (वा.क्र. 12) 10. —"— भानपुरा (वा.क्र 04) 11. —"— रामपुरा (वा.क्र. 02, 03 एवं 08) 12. —"— जीरन (वा.क्र. 10) 13. —"— सोनकच्छ (वा.क्र. 14) 14. —"— करनावद (वा.क्र. 05, 06 व 07) 15. —"— कन्नौद (वा.क्र. 01) 16. —"— सतवास (वा.क्र. 06)	

(1)	(2)	(3)	(4)
17.	न.पा.	मकसी	(वा.क्र. 07, 08, 09 व 13)
18.	— ” —	अकोदिया	(वा.क्र. 02, 03, 05, 06 एवं 14).
19.	— ” —	पोलायकला	(वा.क्र. 15)
20.	— ” —	बड़ोद	(वा.क्र. 01 व 02)
21.	— ” —	सोयतकला	(वा.क्र. 02)
22.	— ” —	ओबेदुल्लागंज	(वा.क्र. 03, 04 व 06)
23.	— ” —	उदयपुरा	(वा.क्र. 08)
24.	— ” —	मुलताई	(वा.क्र. 15)
25.	— ” —	बैतूल बाजार	(वा.क्र. 07)
26.	— ” —	बावई	(वा.क्र. 02)
27.	— ” —	सोहागपुर	(वा.क्र. 14)
28.	— ” —	देपालपुर	(वा.क्र. 10)
29.	— ” —	राजगढ़	(वा.क्र. 14)
30.	— ” —	सरदारपुर	(वा.क्र. 06 व 07)
31.	— ” —	बलदेवगढ़	(वा.क्र. 12)
32.	— ” —	खरगापुर	(वा.क्र. 10 व 14)
33.	— ” —	तरीचरकला	(वा.क्र. 08)
34.	— ” —	चन्दला	(वा.क्र. 08)
35.	— ” —	लौंडी	(वा.क्र. 15)
36.	— ” —	राजनगर	(वा.क्र. 02)
37.	— ” —	ककरहटी	(वा.क्र. 09, 10 व 14)
38.	— ” —	देवेन्द्रनगर	(वा.क्र. 14)
39.	— ” —	पवई	(वा.क्र. 02)
40.	— ” —	बण्डा	(वा.क्र. 05)
41.	— ” —	करेली	(वा.क्र. 15)
42.	— ” —	उचेहरा	(वा.क्र. 15)
43.	— ” —	बिरसिंहपुर	(वा.क्र. 01)

परिशिष्ट-सोलह

**नगरपालिका निर्वाचन-1999**  
**विभिन्न जिलों में नियुक्त किए गए प्रेक्षक**

क्रमांक (1)	जिला (2)	प्रेक्षक का नाम (3)
1.	इन्दौर	श्री राधव चन्द्रा
2.	धार	श्री व्ही. जी. धर्माधिकारी
3.	झाबुआ	श्री पी. डी. मीना
4.	खरगोन	श्री के. सुरेश
5.	खण्डवा	श्रीमती अरुणा शर्मा
6.	बड़वानी	श्री एस. एस. उप्पल
7.	उज्जैन	श्री नारायण सिंह
8.	देवास	श्री वाय. कुमार
9.	रतलाम	श्री डी. एस. मिश्रा
10.	शाजापुर	श्री एम. के. सिंह
11.	मन्दसौर	श्री डी. एस. चौहान
12.	नीमच	
13.	ग्वालियर	श्री स्वदीप सिंह
14.	शिवपुरी	श्री राकेश अग्रवाल
15.	गुना	श्री जे. पी. व्यास
16.	दतिया	श्री टी. एस. छतवाल
17.	मुरैना	श्री ए. पी. श्रीवास्तव
18.	भिण्ड	श्री एस. बैजेन्द्र कुमार
19.	श्योपुरकलां	श्री सी. पी. भार्गव
20.	रीवा	श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव
21.	शहडोल	श्री विनोद सेमवाल
22.	सीधी	श्री पी. सी. मीना
23.	सतना	श्री मलय कुमार राय
24.	सागर	श्री ए. के. दास
25.	दमोह	श्री राधेश्याम जुलानिया
26.	पन्ना	श्री एस. एस. वानखेड़े
27.	छतरपुर	श्री दीपक खाण्डेकर
28.	टीकमगढ़	श्री एम. के. गोयल
29.	भोपाल	श्री जे. एस. माथुर
30.	सीहोर	कुमारी स्वर्णमाला रावला

(1)	(2)	(3)
31.	राजगढ़	श्री जे. एन. शर्मा
32.	बैतूल	श्री के. पी. सेठिया
33.	होशंगाबाद	श्री राजन कटोच
34.	जबलपुर	श्री ओ. पी. रावत
35.	नरसिंहपुर	श्री सुशील त्रिवेदी
36.	मण्डला	श्री एस. एन. शर्मा
37.	बालाघाट	श्री सुदेश कुमार
38.	कटनी	श्री व्ही. के. दलेला
39.	बिलासपुर	श्री डी. आर. एस. चौधरी
40.	रायगढ़	श्री आर. सी. सिन्हा
41.	कोरबां/जांजगीर-चापा	श्री पी. एस. तोमर
42.	रायपुर	श्री पदमवीर सिंह
43.	दुर्ग	श्री अजय नाथ
44.	राजनांदगांव	श्री रामजी तांडेकर
45.	महासमुंद	श्री एस. पी. त्रिवेदी
46.	बस्तर	श्री आई. डी. खत्री
47.	कांकेर/धमतरी	श्री बी. मिन्ज

**नगर पंचायतों के पार्षद के मतपत्रों के मुद्रण हेतु निजी मुद्रणालयों  
से सम्बद्ध जिलों का विवरण**

सरल क्रमांक	पंजीकृत निजी मुद्रणालयों का नाम, पता तथा फोन नम्बर	जिले का नाम जिन्हें नगर पंचायत के पार्षदों के मतपत्रों की व्यवस्था हेतु सम्बद्ध किया है
(1)	(2)	(3)
1.	मेसर्स बॉक्स केरोगेटर्स एण्ड आफसेट प्रिन्टर्स 14-बी, सेक्टर (आई), गोविन्दपुरा, इण्डस्ट्रीयल एरिया, भोपाल. फोन नं. : 587651 फैक्स : 786213	(1) मुरैना, (2) श्योपुर, (3) भिण्ड, (4) ग्वालियर, (5) शिवपुरी, (6) दतिया, (7) गुना, (8) मंदसौर, (9) नीमच, (10) रतलाम, (11) शाजापुर, (12) उज्जैन, (13) देवास, (14) राजगढ़, (15) सीहोर, (16) विदिशा, (17) भोपाल, (18) रायसेन, (19) बैतूल.
2.	मेसर्स राजकमल प्रिन्टर्स 15-सी, सेक्टर-जी, इण्डस्ट्रीयल एरिया, जे. के. रोड, भोपाल फोन नं. : 587589	(1) झाबुआ, (2) इन्दौर, (3) धार, (4) खरगोन, (5) बड़वानी, (6) खण्डवा, (7) रायपुर, (8) महासमुंद, (9) धमतरी, (10) दुर्ग, (11) राजनांदगांव, (12) कवर्धा, (13) रीवा, (14) सतना, (15) शहडोल, (16) उमरिया, (17) सीधी.
3.	श्री कम्प्यूटर एण्ड आफसेट प्रिन्टर्स 15-ए, सेक्टर-आई, गोविन्दपुरा, इण्डस्ट्रीयल एरिया, भोपाल. फोन नं. : 786217	(1) बिलासपुर, (2) जांजगीर-चांपा, (3) कोरबा, (4) सरगुजा, (5) कोरिया (बैकुण्ठपुर) (6) रायगढ़, (7) जशपुर.
4.	मेसर्स रूचि प्रिन्टर्स 92-बी, सेक्टर "ए", गोविन्दपुरा, इण्डस्ट्रीयल एरिया, भोपाल. फोन नं. 784178	(1) जबलपुर, (2) कटनी, (3) नरसिंहपुर, (4) छिंदवाड़ा
5.	मेसर्स दृष्टि आफसेट 138, डायनामिक सेंटर, 241-242, महाराणा प्रताप नगर, जोन-1, भोपाल फोन नं. 576733, 591706 फैक्स : 576080	(1) टीकमगढ़, (2) छतरपुर, (3) पन्ना, (4) सागर, (5) दमोह, (6) होशंगाबाद, (7) हरदा, (8) सिवनी, (9) मण्डला, (10) डिंडोरी, (11) बालाघाट.

**नगरपालिका आम निर्वाचन-1999 के मतपत्र मुद्रित कराने हेतु जिलों  
का शासकीय मुद्रणालयों से संबंधीकरण**

सरल क्रमांक	शासकीय मुद्रणालयों का नाम, जिससे जिलों को सम्बद्ध किया गया	जिलों का नाम जिन्हें शासकीय मुद्रणालय से सम्बद्ध किया गया
(1)	(2)	(3)
1.	शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल	(1) रायपुर, (2) राजनांदगांव, (3) दुर्ग, (4) सखुजा (अंबिकापुर), (5) कोरिया, (6) बिलासपुर, (7) रीवा, (8) सीधी, (9) नरसिंहपुर, (10) छिन्दवाड़ा, (11) सिवनी, (12) मण्डला, (13) डिंडोरी, (14) बालाघाट, (15) इन्दौर, (16) हरदा, (17) होशंगाबाद, (18) बैतूल, (19) रायसेन, (20) विदिशा, (21) सीहोर, (22) देवास, (23) शाजापुर, (24) ग्वालियर.
2.	शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर	(1) सतना, (2) जबलपुर, (3) दमोह, (4) सागर, (5) छतरपुर, (6) टीकमगढ़, (7) राजगढ़, (8) शिवपुरी, (9) दतिया, (10) गुना, (11) भिण्ड, (12) श्योपुर कलां, (13) मुरैना, (14) पन्ना.
3.	शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, इन्दौर	(1) खण्डवा, (2) बड़वानी, (3) खरगौन, (4) धार, (5) झाबुआ, (6) मन्दसौर, (7) नीमच, (8) रतलाम, (9) उज्जैन, (10) भोपाल.
4.	शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, रीवा	(1) शहडोल, (2) उमरिया, (3) कटनी
5.	शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव	(1) बस्तर, (2) कांकेर, (3) धमतरी, (4) महासमुंद, (5) कवर्धा, (6) जशपुर, (7) रायगढ़, (8) कोरबा, (9) जांजगीर-चांपा.

## नगरपालिका निर्वाचन के लिए आदर्श आचार संहिता

### भाग-एक

#### राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए

##### सामान्य आचरण :

(1) किसी भी दल या उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लोगों का भावना को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेश या तनाव पैदा हो.

(2) मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, साम्प्रदायिक या जातीय भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना चाहिये.

(3) किसी भी आराधना स्थल जैसे कि मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए.

(4) किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिए जिनका संबंध उसके अर्जनिक जीवन या क्रियाकलापों से न हो और न ही ऐसे आरोप लगाये जाने चाहिए जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो.

(5) किसी राजनैतिक दल की आलोचना उसकी नीति और कार्यक्रम पूर्व इतिहास और कार्य तक ही सीमित रहनी चाहिए एवं दल और उसके कार्यकर्ताओं की आलोचना असत्यापित आरोपों पर आधारित नहीं की जानी चाहिए.

(6) प्रत्येक व्यक्ति के शान्तिपूर्ण घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे उसके राजनैतिक विचार ने भी क्यों न हों. किसी व्यक्ति के कार्यों या विचारों का विरोध करने के लिए किसी दल या उम्मीदवार द्वारा ऐसे द्व्यक्ति के घर सामने धरना देने, नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने की कार्यवाही का कतई समर्थन नहीं किया जाना चाहिए.

(7) राजनैतिक दलों तथा उम्मीदवारों को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना चाहिए जो चुनाव कानून के अन्तर्गत अपराध जैसे कि—

- (i) ऐसा कोई पोस्टर, इश्तहार, पैम्पलेट या परिपत्र निकालना जिसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता न हो,
- (ii) किसी उम्मीदवार के निर्वाचन की सम्भावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से, उसके व्यक्तिगत आचरण और चरित्र या उम्मीदवारी के संबंध में ऐसे कथन या समाचार का प्रकाशन कराना जो मिथ्या हो या जिसके सत्य होने का विश्वास न हो,
- (iii) किसी चुनाव-सभा में गड़बड़ी करना या विज्ञ डालना,
- (iv) मतदान के दिन तथा उसके एक दिन पूर्व सार्वजनिक सभा करना,
- (v) मतदाताओं को रिश्वत या किसी प्रकार का पारितोषिक देना,

- (vi) मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत संयाचना करना,
- (vii) मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग करना,
- (viii) मतदान केन्द्र में या उसके आसपास विश्रृंखल आचरण करना या मतदान केन्द्र के अधिकारियों के कार्य में बाधा डालना,
- (ix) मतदाताओं का प्रतिरूपण करना अर्थात् गलत नाम से मतदान का प्रयास करना.

(8) मतदान के दो दिन पूर्व से लेकर मतदान के दिन तक किसी उम्मीदवार द्वारा न तो शराब खरीदी जाए और न ही उसे किसी को पेश या वितरित किया जाए. प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को भी ऐसा करने से रोका जाना चाहिए.

(9) किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते या दीवार का उपयोग झण्डा टांगने, पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने आदि प्रचार कार्यों के लिए, उसकी अनुमति के बाहर, नहीं किया जाना चाहिए और अपने समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं को भी ऐसा नहीं करने देना चाहिए.

(10) किसी भी दल या उम्मीदवार द्वारा या उसके पक्ष में लगाये गये झण्डे या पोस्टर दूसरे दल या उम्मीदवार के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं हटाये जाने चाहिए.

(11) मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्चियां सादे कागज पर होनी चाहिए और उनमें उम्मीदवार का नाम या चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिए. पर्ची में मतदाता का नाम, उसके पिता/पति का नाम, वार्ड क्रमांक, मतदान केन्द्र क्रमांक तथा मतदाता सूची में उसके क्रमांक के अलावा और कुछ नहीं लिखा होना चाहिए.

(12) मतदान शान्तिपूर्वक तथा सुचारू रूप से सम्पन्न कराने में निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग किया जाना चाहिए.

## 2. सभाएं एवं जुलूस :

(1) किसी हाट, बाजार या भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति ली जानी चाहिए तथा स्थानीय पुलिस थाने में ऐसी सभा के आयोजन की पूर्व सूचना दी जानी चाहिए ताकि शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने तथा यातायात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस आवश्यक प्रबन्ध कर सके.

(2) प्रत्येक राजनैतिक दल या उम्मीदवार को किसी अन्य दल या उम्मीदवार द्वारा आयोजित सभा या जुलूस में किसी प्रकार की गड़बड़ी करने या बाधा डालने से अपने कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों को रोकना चाहिए. यदि दो भिन्न-भिन्न दलों या उम्मीदवारों द्वारा पास-पास स्थित स्थानों में सभाएं की जा रही हों तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों के मुंह विपरीत दिशाओं में रखे जाने चाहिए.

(3) किसी उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित जुलूस ऐसे क्षेत्र या मार्ग से होकर नहीं निकाला जाना चाहिए जिसमें कोई प्रतिबन्धात्मक आदेश लागू हों. जुलूस के निकलने के स्थान, समय और मार्ग तथा समापन के स्थान के बारे में स्थानीय पुलिस थाने में कम से कम एक दिन पहले सूचना दी जानी चाहिए. इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जुलूस के कारण यातायात में कोई बाधा न हो. जुलूस में लोगों को ऐसी चीजें लेकर चलने से रोका जाना चाहिए, जिनको लेकर चलने पर प्रतिबन्ध हो या जिनका उत्तेजना के क्षणों में दुरुपयोग किया जा सकता हो.

(4) प्रत्येक उम्मीदवार या राजनैतिक दल को किसी अन्य उम्मीदवार या दल के नेताओं के पुतले लेकर चलने या उन्हें किसी सार्वजनिक स्थान में जलाए जाने तथा इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शन का आयोजन करने से अपने कार्यकर्ताओं को रोकना चाहिए.

## १. शासन और संस्थाओं के वाहनों आदि के उपयोग पर प्रतिबन्ध:

शासन सहित सार्वजनिक उपक्रमों/प्राधिकरणों, स्थानीय निकायों, सहकारी संस्थाओं, कृषि उपज मंडियों या शासन से नुदान अथवा अन्य सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं के वाहनों, संसाधनों (जैसे कि टेलीफोन, फैक्स) अथवा कर्मचारियों तथा उपयोग किसी राजनैतिक दल या उम्मीदवार के हित को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए. ऐसे वाहनों आदि को, नके नियंत्रक अधिकारियों द्वारा निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन समाप्त होने की तारीख तक, मंत्रिगण, संसद दस्यों, विधान सभा सदस्यों, नगरीय निकायों के पदाधिकारियों या उम्मीदवारों को उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए.

## भाग-दो—शासकीय विभागों एवं कर्मियों के लिए

1. निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन समाप्त होने तक राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा ऐसा कोई आदेश न किया जाए, जिससे चुनाव के सम्यक् संचालन में व्यवधान उपस्थित हो (जैसे कि कर्मचारियों के स्थानांतरण) या चुनाव शुचिता और निष्पक्षता प्रभावित हो, जैसे कि किसी क्षेत्र या वर्ग के मतदाताओं को लाभान्वित करने की दृष्टि से कोई सुविधा छूट देना या किसी नयी योजना या कार्य के लिए स्वीकृति जारी करना.

2. शासकीय कर्मचारियों को चुनाव में बिलकुल निष्पक्ष रहना चाहिए. जनता को उनकी निष्पक्षता का विश्वास होना ही तथा उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे ऐसी आशंका भी हो कि वे किसी दल या उम्मीदवार की मदद कर दें.

3. चुनाव के दौरे के समय यदि कोई मंत्री निजी मकान पर आयोजित किसी कार्यक्रम का आमंत्रण स्वीकार कर लें तो सी शासकीय कर्मचारी को उसमें शामिल नहीं होना चाहिए. यदि कोई निमंत्रण-पत्र प्राप्त हो तो उसे विनप्रतापूर्वक अस्वीकार देना चाहिए.

4. किसी सार्वजनिक स्थान पर चुनाव सभा के आयोजन हेतु अनुमति देते समय विभिन्न उम्मीदवारों या राजनैतिक दलों बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए. यदि एक ही दिन और समय पर एक से अधिक उम्मीदवार या दल एक ही जगह आभा करना चाहते हों तो उस उम्मीदवार या दल को अनुमति दी जानी चाहिए जिसने सबसे पहले आवेदन-पत्र दिया है.

5. विश्राम गृहों या अन्य स्थानों में शासकीय आवास सुविधा का उपयोग सभी राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों को उन्हीं पर करने दिया जाना चाहिए जिन शर्तों पर उनका उपयोग सत्ताधारी दल को करने की अनुमति दी जाती है. परन्तु किसी भी या उम्मीदवार को ऐसे भवन या उसके परिसर का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.

6. (1) साधारणतः चुनाव के समय जो भी आम सभा आयोजित की जाए उसे चुनाव संबंधी सभा माना जाना चाहिए और पर कोई शासकीय व्यय नहीं किया जाना चाहिए. ऐसी सभा में उन कर्मचारियों को छोड़कर जिन्हें ऐसी सभा या आयोजन तून एवं व्यवस्था बनाए रखने या सुरक्षा के लिए तैनात किया गया हो, अन्य कर्मचारियों को शामिल नहीं होना चाहिए.

(2) यदि कोई मंत्री चुनाव के दौरान जिले के किसी नगरीय क्षेत्र का भ्रमण करें (जहां कि चुनाव होने वाले हों) तो ऐसा चुनावी दौरा माना जाना चाहिए और उसमें सुरक्षा के लिए तैनात कर्मचारियों को छोड़कर अन्य किसी शासकीय कर्मचारी नहीं रहना चाहिए. ऐसे दौरे के लिए शासकीय वाहन या अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जानी चाहिए.

7. निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन समाप्त होने तक मंत्रिगण या संसद सदस्यों या विधान सभा सदस्यों द्वारा नगरपालिका क्षेत्र में, जहां कि चुनाव होने वाले हों, “स्वेच्छानुदान”, “जनसम्पर्क” या “क्षेत्र विकास राशि” में से कोई न स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए और न ही किसी सहायता या अनुदान का आश्वासन दिया जाना चाहिए. इस अवधि न किसी योजना का शिलान्यास या उद्घाटन भी नहीं किया जाना चाहिए.

8. चुनाव के दौरान समाचार-पत्रों तथा प्रचार के अन्य माध्यमों से, सरकारी खर्चे पर ऐसे विज्ञापन जारी नहीं किए जाने जिनमें सत्ताधारी दल की उपलब्धियों को प्रचारित या ऐखांकित किया गया हो या जिनसे सत्ताधारी दल को अपने दलीय आगे बढ़ाने में सहायता मिलती हो.

### भाग-तीन—नगरपालिका के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए

**नोट:**—इस भाग में नगरपालिका से अभिप्राय, यथास्थिति, नगरपालिका निगम, नगरपालिका परिषद् तथा नगर पंचायत से है।

1. नगरपालिका कर्मचारियों को चुनाव के दौरान अपना कार्य पूर्ण निष्पक्षता से करना चाहिए और ऐसा कोई आचरण और व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे यह आभास हो कि वे किसी दल या उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं।

#### 2. निर्वाचन की घोषणा से निर्वाचन समाप्ति तक:—

- (i) नगरपालिका के अधीन कोई नियुक्ति या स्थानान्तरण नहीं किया जाना चाहिए,
  - (ii) नगरपालिका क्षेत्र में किसी भी नए भवन का निर्माण या मौजूदा भवन में संवर्धन या परिवर्तन की अनुज्ञा या नये नलों के कनेक्शन की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए,
  - (iii) नगरपालिका क्षेत्र में किसी प्रकार के व्यवसाय या वृत्ति के लिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए,
  - (iv) नगरपालिका क्षेत्र में किसी नई योजना या कार्य के लिए स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए; वर्तमान सुविधाओं के विस्तार या उन्नयन का कोई कार्य (जैसे कि किसी सड़क को चौड़ा करना या डामरीकृत करना या नालियों को पक्का करना, नल जल योजना का विस्तार करना, नये हैंडपंप लगाना या नयी स्ट्रीट लाइट लगाना आदि) स्वीकृत या प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए; पहले से स्वीकृत किसी योजना का कार्य, जिसमें निर्वाचन की घोषणा होने तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ हो, प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए और किसी योजना का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं किया जाना चाहिए,
  - (v) किसी संगठन या संस्था को, किसी कार्यक्रम के आयोजन के लिए कोई सहायता या अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए, महापौर/अध्यक्ष/पार्षदों द्वारा स्वेच्छानुदान राशि में से भी किसी कार्य या गतिविधि के लिए कोई सहायता स्वीकृत नहीं की जानी चाहिए,
  - (vi) सुमाचार-पत्रों या प्रचार के अन्य माध्यमों से नगरपालिका के खुर्च पर ऐसा कोई विज्ञापन या पैम्पलेट जोरी नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें नगरपालिका की उपलब्धियों को प्रचारित या रेखांकित किया गया हो या जिससे किसी उम्मीदवार के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करने में सहायता मिलती हो,
  - (vii) नगरीय निकायों के माध्यम से क्रियान्वित किये जाने वाले परिवार मूलक या व्यक्तिमूलक अर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों (जैसे कि रोजगार/व्यवसाय के लिए सहायता, आवास निर्माण के लिए सहायता, निराश्रित पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन आदि) के अन्तर्गत नये हितग्राहियों का चयन नहीं किया जाना चाहिए।
3. किसी प्राकृतिक प्रकोप या दुर्घटना को छोड़कर, जिसमें कि प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाना आवश्यक हो, निर्वाचन की घोषणा से लेकर निर्वाचन समाप्त होने तक की अवधि के दौरान नगरपालिका के किसी पदधारी (जैसे कि महापौर/अध्यक्ष/पार्षद) के क्षेत्रीय भ्रमण को चुनावी दौरा माना जाना चाहिए और ऐसे दौरे में नगरपालिका के किसी कर्मचारी को उनके साथ नहीं रहना चाहिए।

न. ब. लोहनी  
राज्य निर्वाचन आयुक्त, मध्यप्रदेश।

## नगरपालिका निर्वाचन-1999

## पुनः मतदान

नगरपालिका निर्वाचन 1999 में निम्नलिखित स्थानों पर उनके सामने वर्णित कारणों से पुनः मतदान कराया गया :—

नगरपालिका का नाम <sup>१</sup>	वार्ड क्रमांक (1)	मतदान केन्द्र क्रमांक (2)	पुनः मतदान कराए जाने का मुख्य कारण (4)
		(3)	
रपालिक निगम, रीवा	12	36, 37, 38, 39, 40	फर्जी मतदान के प्रयास के कारण लड़ाई-झगड़े.
रपालिक निगम, बुरहानपुर, खण्डवा.	02	4,5,6,7 एवं 7-क	प्रतीक चिह्न त्रुटिपूर्ण आवंटित होने के कारण.
रपालिक निगम जबलपुर	23	222	मतपत्रों का त्रुटिपूर्ण वितरण.
रपालिक निगम, ग्वालियर	03	18	मतपत्र फाड़ने, मतपेटी में पानी डाल दिया जाना.
रपालिक परिषद् सबलगढ़, मुरैना.	01 एवं 11	-	मतपत्रों का त्रुटिपूर्ण मुद्रण.
र पंचायत सेवदा, ला दतिया.	07	07	मतपत्र त्रुटिपूर्ण मुद्रित होने के कारण.
पंचायत आलमपुर ला-भिण्ड.	10	10	मतपत्र छीनना, मतपेटी में स्थांही डालना इत्यादि.
पंचायत पृथ्वीपुर -टीकमगढ़.	08	08	मारपीट/झगड़ा होने तथा कुछ मतपत्र मतदान केन्द्र के बाहर ले जाने के कारण.

## परिशिष्ट “इक्कीस”

## नगरपालिका निर्वाचन 1999

## जिला व नगरीय निकायवार मतदाताओं की संख्या एवं मतदान का प्रतिशत

जिला	नगरीय निकाय का नाम	मतदाताओं की संख्या			मतदान का प्रतिशत		
		पुरुष (3)	महिला (4)	कुल (5)	पुरुष (6)	महिला (7)	कुल (8)
(1)	(2)						
मुरैना	नगरपालिका परिषद् मुरैना	71974	57593	129567	49.73	45.40	47.57
	नगरपालिका परिषद् अम्बाह	17196	13314	30510	62.80	61.00	61.90
	नगरपालिका परिषद् सबलगढ़	12078	9911	21989	60.99	60.89	60.94
	नगरपालिका परिषद् पोरसा	10014	8098	18112	67.85	70.83	69.34
	नगर पंचायत बानमोर	7750	9820	17570	81.00	52.15	66.58
	नगर पंचायत झुण्डपुरा	2342	1924	4266	83.52	86.08	84.80
	नगर पंचायत जौरा	8605	7024	15629	73.26	73.90	73.58
	नगर पंचायत कैलारस	8402	6408	14810	70.68	70.80	70.74
<u>252453 ✓</u>							
श्योपुर	नगरपालिका परिषद् श्योपुर	12735	10309	23044	62.40	58.20	60.30
	नगर पंचायत बड़ोदा	4736	4441	9177	79.98	75.16	77.57
	नगर पंचायत विंज्यपुर	3777	3117	6894	75.93	74.30	75.12
<u>39115 ✓</u>							
भिण्ड	नगरपालिका परिषद् भिण्ड	74428	58458	132886	53.39	51.54	52.47
	नगरपालिका परिषद् गोहद	17704	15174	32878	65.86	61.55	63.71
	नगर पंचायत अकोड़ा	4043	3203	7246	81.99	80.95	81.47
	नगर पंचायत आलमपुर	3804	3170	6974	71.40	78.00	74.70
	नगर पंचायत दबोह	5176	4114	9290	75.69	73.26	74.48
	नगर पंचायत गोरमी	7883	6476	14359	54.92	43.88	49.40
	नगर पंचायत लहार	10488	8021	18509	72.72	65.79	69.26
	नगर पंचायत मौ	6418	5218	11636	75.22	72.59	73.91
	नगर पंचायत मेहगांव	7762	5872	13634	71.24	65.17	68.21
	नगर पंचायत मिहोना	6304	5127	11431	70.6	68.43	69.52
	नगर पंचायत फूफ	3692	2978	6670	74.18	77.50	75.84
	<u>265513 ✓</u>						
ग्वालियर	नगरपालिका निगम ग्वालियर	378628	252419	631047	22.18	20.10	21.14
	नगरपालिका परिषद् डबरा	21945	18708	40653	66.27	65.38	65.83
	नगर पंचायत आंतरी	3371	3061	6432	84.85	79.38	82.12
	नगर पंचायत भितरवार	5431	4657	10088	73.67	77.26	75.47
	नगर पंचायत बिलौआ	3918	3401	7319	77.94	76.05	77.00
	नगर पंचायत पिछोर	2823	2601	5424	84.70	82.10	83.40
<u>700963 ✓</u>							
शिवपुरी	नगरपालिका परिषद् शिवपुरी	44242	41304	85546	65.00	60.00	62.50
	नगर पंचायत बदरवास	3065	2663	5728	76.80	71.49	74.15
	नगर पंचायत करेरा	7308	6213	13521	71.86	69.09	70.48

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
नगर पंचायत खनियाधाना	3675	3324	6999	80.62	63.69	72.16
नगर पंचायत कोलारस	5721	4822	10543	77.76	70.59	74.18
नगर पंचायत पिछोर	4591	3873	8464	78.17	71.28	74.73
			130 801 ✓			
नगरपालिका परिषद् दत्तिया	27917	25364	53281	66.50	61.72	64.11
नगर पंचायत इन्द्रगढ़	4765	3832	8597	79.58	79.85	79.72
नगर पंचायत सेंवढ़ा	6516	5499	12015	80.09	79.95	80.02
नगर पंचायत भाण्डेर	7462	6762	14224	72.00	68.63	70.32
			88117 ✓			
नगरपालिका परिषद् गुना	54777	47619	102396	51.37	46.59	48.98
नगरपालिका परिषद् अशोकनगर ✓	19487	17749	37236	65.66	58.36	62.01 ✓
नगरपालिका परिषद् चन्देरी ✓	8032	7294	15326	79.28	73.63	76.46 ✓
नगर पंचायत आरोन	7641	6600	14241	69.46	60.28	64.87
नगर पंचायत चाचोड़ा बं	6570	5800	12370	66.52	63.24	64.88
नगर पंचायत कुम्भराज	4957	4712	9669	75.95	65.49	70.72
नगर पंचायत मुंगावली ✓	7619	6641	14260	66.87	62.06	64.47 ✓
			205498			
नगर पंचायत भानपुरा	6667	6290	12957	71.00	68.00	69.50
नगर पंचायत गरोठ	4775	4481	9256	78.46	76.70	77.58
नगर पंचायत मल्हारगढ़	2485	2466	4951	83.38	83.37	83.38
नगर पंचायत नगरी	1919	3856	5775	93.70	87.28	90.49
नगर पंचायत नारायणगढ़	3282	3296	6578	87.78	80.37	84.08
नगर पंचायत पिपल्या मं	4462	4282	8744	78.01	75.43	76.72
नगर पंचायत शामगढ़	8457	7882	16339	71.36	64.58	67.97
नगर पंचायत सीतामढ	4603	4708	9311	76.00	69.00	72.50
			73911 ✓			
नगरपालिका परिषद् नीमच	38015	35934	73949	56.64	55.98	56.31
नगर पंचायत डिकेन	2012	1886	3898	82.02	76.85	79.44
नगर पंचायत जावद	6241	6103	12344	75.66	69.35	72.51
नगर पंचायत जीरन	3775	3649	7424	78.33	75.09	76.71
नगर पंचायत मनासा	7132	6740	13872	82.31	78.06	80.19
नगर पंचायत रामपुरा	6959	6602	13561	68.00	66.00	67.00
नगर पंचायत रत्नगढ़	1893	1851	3744	79.47	79.78	79.63
नगर पंचायत सिंगोली	2870	2734	5604	85.15	85.18	85.17
			134396 ✓			
नगरपालिका निगम रत्लाम	77892	71188	149080	58.12	54.56	56.34
नगरपालिका परिषद् जावरा	16473	15214	31687	62.59	59.62	61.11
नगर पंचायत आलोट	7788	7374	15162	71.64	65.69	68.67
नगर पंचायत बड़ावदा	2524	2530	5054	70.00	65.00	67.50
नगर पंचायत नामली	2602	2548	5150	81.60	76.29	78.95
नगर पंचायत पिपलोदा	2507	2384	4891	73.79	75.50	74.65
नगर पंचायत सैलाना	3624	3454	7078	77.20	72.29	74.75
नगर पंचायत ताल	4672	4673	9345	77.71	70.08	73.90

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
शाजापुर	नगरपालिका परिषद् शाजापुर	20694	18828	39522	62.25	56.44	59.35
	नगरपालिका परिषद् आगर	12166	11577	23743	65.02	61.03	63.03
	नगरपालिका परिषद् शुजालपुर	15721	14570	30291	62.40	56.58	59.49
	नगर पंचायत अकोदिया	3618	3391	7009	80.00	74.00	77.00
	नगर पंचायत बड़गांव	2462	2286	4748	82.77	76.99	79.88
	नगर पंचायत बड़ोद	3838	3724	7562	76.70	68.68	72.69
	नगर पंचायत कानड़	2665	2586	5251	84.87	79.15	82.01
	नगर पंचायत मक्सी	6388	5819	12207	66.97	60.90	63.94
	नगर पंचायत नलखेड़ा	5115	4927	10042	74.96	69.55	72.26
	नगर पंचायत पोलायकला	3223	3108	6331	83.21	78.24	80.73
	नगर पंचायत सोयतकला	4147	4156	8303	80.51	74.71	77.61
	नगर पंचायत सुसनेर	4685	4518	9203	77.78	69.64	73.71
उज्जैन				164212 ✓			
	नगरपालिका परिषद् बड़नगर	12104	11905	24009	70.81	63.03	66.92
	नगरपालिका परिषद् खाचरोद	23698	22772	46470	57.48	53.51	55.50
	नगरपालिका परिषद् महिदपुर	8596	8246	16842	71.09	68.40	69.75
	नगरपालिका परिषद् नागदा	35031	28928	63959	56.57	56.18	56.38
	नगर पंचायत तराना	8368	8382	16750	68.77	60.66	64.72
	नगर पंचायत उन्हेल	4491	4404	8895	74.03	69.75	71.89
				176925 ✓			
देवास	नगरपालिका निगम देवास	91807	76396	168203	50.07	48.42	49.25
	नगर पंचायत बागली	3342	3089	6431	80.43	79.86	80.15
	नगर पंचायत भौरासा	3880	3896	7776	75.49	67.00	71.25
	नगर पंचायत हाटपिपल्या	5862	5568	11430	74.24	68.96	71.60
	नगर पंचायत कन्नौद	5957	5475	11432	67.52	62.78	65.15
	नगर पंचायत कांटाफोड़	3699	3527	7226	35.72	33.00	34.36
	नगर पंचायत करनावद	3231	3125	6356	74.18	72.92	73.55
	नगर पंचायत खातेगांव	6207	5636	11843	78.29	78.31	78.30
	नगर पंचायत लोहरदा	2840	2751	5591	73.30	72.30	72.80
	नगर पंचायत सतवास	3350	3091	6441	26.75	24.04	25.40
	नगर पंचायत सोनकच्छ	5195	6067	11262	77.21	69.21	73.21
राजगढ़				253991 ✓			
	नगरपालिका परिषद् ब्यावरा	14065	12060	26125	61.04	55.09	58.07
	नगरपालिका परिषद् नरसिंहगढ़	10104	9414	19518	64.28	57.91	61.10
	नगरपालिका परिषद् सारंगपुर	11227	10656	21883	68.00	77.50	72.75
	नगर पंचायत बोड़ा	2903	2950	5853	80.00	72.00	76.00
	नगर पंचायत जीरापुर	5960	5358	11318	71.87	68.94	70.41
	नगर पंचायत खिलचीपुर	5555	5239	10794	77.69	68.98	73.34
	नगर पंचायत खुजनेर	3216	3004	6220	85.79	81.29	83.54
	नगर पंचायत माचलपुर	2139	1859	3998	81.97	75.20	78.59
	नगर पंचायत पचोर	7475	6471	13946	71.83	65.79	68.81
	नगर पंचायत राजगढ़	9852	9533	19385	59.50	53.50	56.50
	नगर पंचायत सुठालिया	2263	2128	4391	85.00	77.00	81.00
	नगर पंचायत तलेन	2974	2978	5952	79.96	77.37	78.67
				149383 ✓			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
पेर	नगरपालिका परिषद् सीहोर	35477	31548	67025	57.85	52.76	55.31
	नगरपालिका परिषद् आष्टा	14842	13270	28112	63.54	61.00	62.27
	नगर पंचायत बुदनी	5218	4192	9410	64.35	66.17	65.26
	नगर पंचायत इछावर	4176	3762	7938	75.71	72.99	74.35
	नगर पंचायत जावर	2305	2289	4594	84.68	78.72	81.70
	नगर पंचायत नसरुल्लागंज	4820	4045	8865	83.06	82.13	82.60
	नगर पंचायत रेहटी	3311	2931	6242	73.95	71.00	72.48
				132186 ✓			
शा	नगरपालिका परिषद् विदिशा	41432	35619	77051	57.93	54.61	56.30
	नगरपालिका परिषद् गंज बासोदा	19943	17119	37062	64.31	59.66	61.83
	नगरपालिका परिषद् सिरोंज	12582	11609	24191	72.79	68.55	70.67
	नगर पंचायत कुरवाई	3826	3585	7411	83.44	81.58	83.51
	नगर पंचायत लटेरी	3977	3550	7527	77.30	74.10	75.70
				153242 ✓			
ल	नगरपालिका निगम भोपाल	558588	465191	1023779	38.14	34.94	36.54
	नगर पंचायत चेरसिया	8366	7302	15668	69.28	58.62	68.95
				1039447 ✓			
न	नगरपालिका परिषद् रायसेन	11863	10356	22219	63.12	61.54	62.31
	नगरपालिका परिषद् बैगमगंज	11214	10130	21344	56.05	58.73	62.40
	नगर पंचायत बाढ़ी	5294	5766	11060	39.31	35.22	35.33
	नगर पंचायत ठांबुरुलागंज	3323	5545	11881	70.87	67.10	68.99
	नगर पंचायत सूलतानपुर	3711	3314	7025	70.46	65.87	68.17
	नगर पंचायत उत्तरपरा	4873	4174	9052	73.71	71.74	72.21
	नगर पंचायत बेरती	8965	8283	17248	73.22	71.30	77.75
				95829 ✓			
प	नगरपालिका परिषद् बैतूल	27616	24490	52106	59.59	58.91	59.25
	नगरपालिका परिषद् झामला	10380	9258	19638	53.21	60.32	59.27
	नगरपालिका परिषद् सारणी	39052	25614	64666	51.68	52.51	53.60
	नगर पंचायत बैतूल बाजार	4820	3322	8142	75.94	76.53	76.26
	नगर पंचायत मुलताई	7182	6525	13707	58.06	50.01	54.04
				158259 ✓			
प	नगरपालिका परिषद् होशंगाबाद	38704	32424	71128	54.49	50.03	52.23
	नगरपालिका परिषद् सिवनीमालवा	9989	8779	18768	58.00	41.00	49.50
	नगरपालिका परिषद् इटारसी	37608	31648	69256	51.98	51.96	51.97
	नगरपालिका परिषद् पिपरिया	19182	16332	35514	57.84	53.13	55.49
	नगर पंचायत बाबई	4620	3939	8559	79.00	80.00	79.50
	नगर पंचायत सोहागपुर	7294	6596	13890	69.69	66.07	67.88
				217115 ✓			
	नगर पंचायत खिरकिया	5908	5377	11285	70.10	65.80	67.95
	नगर पंचायत टिमरनी	6104	5368	11472	68.03	67.75	67.89
				22751 ✓			
	नगरपालिका परिषद् झाबुआ	8292	7654	15946	67.48	68.38	67.93
	नगरपालिका परिषद् अलिराजपुर	7920	7488	15408	66.57	64.56	65.57

)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	नगर पंचायत भाभरा	3227	3210	6437	57.94	56.57	57.26
	नगर पंचायत जोबट	3401	3200	6601	66.89	63.80	65.35
	नगर पंचायत पेटलावद	3046	2712	5758	77.6	71.84	74.72
	नगर पंचायत थांदला	4430	4231	8661	68.44	68.75	68.60
				53811			
	नगरपालिक निगम इन्दौर	582889	510271	1093160	42.63	36.36	39.50
	नगर पंचायत बेटमा	2995	2733	5728	81.43	81.38	81.41
	नगर पंचायत देपालपुर	4037	3901	7938	86.18	83.41	84.80
	नगर पंचायत गौतमपुरा	4525	4414	8939	78.54	74.03	76.29
	नगर पंचायत हातोद	2853	2837	5690	83.63	80.04	81.84
	नगर पंचायत महूगांव	7717	6163	13880	52.53	53.46	53.00
	नगर पंचायत मानपुर	1610	1470	3080	74.03	70.84	72.44
	नगर पंचायत राड	7251	6475	13726	67.42	67.58	67.50
	नगर पंचायत सांवेर	4578	4375	8953	78.83	75.51	77.17
				1161094			
	नगरपालिका परिषद् धार	25033	23259	48292	63.38	59.65	61.52
	नगरपालिका परिषद् मनावर	9131	8641	17772	67.45	62.49	64.97
	नगर पंचायत धामनोद	7535	7042	14577	69.90	69.24	69.57
	नगर पंचायत धरमपुरी	4618	4457	9075	80.00	70.00	75.00
	नगर पंचायत कुक्षी	6971	6697	13668	71.90	67.10	69.50
	नगर पंचायत राजगढ़	4859	4750	9609	72.00	66.30	69.15
	नगर पंचायत सरदारपुर	1837	1773	3610	67.01	65.03	66.02
	नगर पंचायत बदनावर	5035	4818	9853	73.47	69.03	71.25
				1,26,456			
	नगरपालिका परिषद् खरगौन	31094	28800	59894	58.53	55.67	57.10
	नगरपालिका परिषद् सनावद	10929	9944	20873	73.08	71.42	72.25
	नगरपालिका परिषद् बड़वाह	10542	9544	20086	65.35	64.95	65.15
	नगर पंचायत भीकनगांव	5192	4958	10150	65.52	63.95	64.74
	नगर पंचायत कसरावद	7098	6682	13780	63.21	63.18	63.20
	नगर पंचायत मण्डलेश्वर	4012	3929	7941	78.81	75.67	77.24
	नगर पंचायत महेश्वर	6183	5949	12132	74.7	72.21	73.46
				144856			
	नगरपालिका परिषद् सेंधवा	17888	16448	34336	57.98	56.66	57.32
	नगरपालिका परिषद् बड़वानी	14592	14279	28871	62.92	60.97	61.95
	नगर पंचायत अंजड़	8287	8288	16575	66.64	62.58	64.61
	नगर पंचायत खेतिया	5138	5148	10286	75.12	70.6	72.86
	नगर पंचायत पानसेमल	3866	3695	7561	74.68	70.69	72.69
	नगर पंचायत राजपुर	6848	6643	13491	65.00	63.00	64.00
				111120			
	नगरपालिक निगम बुरहानपुर ✕	65418	63462	128880	62.94	61.81	62.38
	नगरपालिक निगम खण्डवा	69907	67155	137062	49.56	45.48	47.52
	नगरपालिका परिषद् नेपानगर ✕	10860	9866	20726	61.63	58.84	60.24
	नगर पंचायत मूंदी	3593	3462	7055	75.39	70.00	72.70

पन्ना

सागर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
नगर पंचायत पंधाना		3827	3662	7489	69.42	43.51	56.47
नगर पंचायत शाहपुर		4505	4127	8632	78.00	72.54	75.27
नगर पंचायत हरसूद		5014	4388	9402	74.89	72.40	73.65
मगढ़	नगरपालिका परिषद् टीकमगढ़	27521	23503	51024	61.09	56.67	58.88
	नगर पंचायत बल्देवगढ़	1979	1693	3672	73.60	71.40	72.50
	नगर पंचायत बड़ागांव	2333	2104	4437	80.90	79.42	80.16
	नगर पंचायत जतारा	4856	4334	9190	78.42	76.17	77.30
	नगर पंचायत जैरोनखालर	2556	2292	4848	90.00	89.10	89.55
	नगर पंचायत कारी	2360	2081	4441	87.77	86.64	87.21
	नगर पंचायत खरगापुर	2375	2346	4721	73.52	72.00	72.76
	नगर पंचायत लिधोराखार	3099	2672	5771	82.77	79.28	81.03
	नगर पंचायत निवाड़ी	8680	7318	15998	58.46	57.74	58.10
	नगर पंचायत पलेरा	8698	4101	12799	77.26	72.32	74.79
	नगर पंचायत पृथ्वीपुर	7017	6325	13342	76.34	71.99	74.17
	नगर पंचायत तरीचरकला	2293	2092	4385	80.89	80.30	80.60
				134628			
पुर	नगरपालिका परिषद् छतरपुर	41662	34263	75925	52.86	45.96	49.41
	नगरपालिका परिषद् नौगांव	11042	9389	20431	67.85	63.90	65.88
	नगर पंचायत बक्स्वाहा	2940	2579	5519	7.28	70.60	38.94
	नगर पंचायत बड़ामलहरा	3624	2861	6485	79.36	70.59	74.98
	नगर पंचायत बारीगढ़	2899	2553	5452	76.00	70.00	73.00
	नगर पंचायत बिजावर	5521	4965	10486	79.80	76.20	78.00
	नगर पंचायत चंदला	3707	3053	6760	74.00	75.00	74.50
	नगर पंचायत गढ़ीमलहरा	4251	3861	8112	79.70	77.80	78.75
	नगर पंचायत हरपालपुर	4929	4167	9096	72.14	70.50	71.32
	नगर पंचायत लौंडी	5746	4699	10445	73.29	71.69	72.49
	नगर पंचायत महाराजपुर	7494	6892	14386	76.63	70.06	73.35
	नगर पंचायत सटई	2139	1844	3983	79.16	73.35	76.26
	नगर पंचायत राजनगर	3862	3120	6982	74.26	79.07	76.67
	नगर पंचायत खजुराहो	5510	4567	10077	47.87	74.66	61.27
				194,139			
नगरपालिका परिषद् पन्ना		19006	15978	34984	54.74	53.08	53.91
	नगर पंचायत अजयगढ़	5015	4327	9342	69.20	65.00	67.10
	नगर पंचायत अमानगंज	3671	3049	6720	71.53	71.10	71.32
	नगर पंचायत देवेन्द्रनगर	2444	2130	4574	78.40	79.24	78.82
	नगर पंचायत ककरहटी	2331	2167	4498	72.15	69.17	70.66
	नगर पंचायत पवई	3865	3361	7226	71.65	70.12	70.89
				67344			
नगरपालिका निगम सागर		79422	70191	149613	61.21	59.32	60.27
नगरपालिका परिषद् देवरी		7420	6450	13870	70.80	74.32	72.56
नगरपालिका परिषद् बीना		18985	16789	35774	60.00	52.00	56.00
नगरपालिका परिषद् खुर्रई		10922	10013	20935	72.90	65.50	69.20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	नगरपालिका परिषद् गढ़ाकोटा	7416	6100	13516	70.27	66.80	68.54
	नगरपालिका परिषद् रहली	8474	7231	15705	75.91	73.22	74.57
	नगर पंचायत बण्डा	5783	4822	10605	69.64	66.75	68.20
	नगर पंचायत राहतगढ़	9541	8539	18080	58.98	55.80	57.39
	नगर पंचायत शाहगढ़	5082	4508	9590	71.90	70.45	71.18
	नगर पंचायत शाहपुर	3738	3523	7261	84.20	78.05	81.13
				294949			
दमोह	नगरपालिका परिषद् दमोह	42585	37779	80364	54.84	50.14	52.49
	नगरपालिका परिषद् हटा	9843	9088	18931	67.64	59.43	63.64
	नगर पंचायत हिण्डोरिया	4800	4543	9343	76.31	71.23	73.77
	नगर पंचायत पथरिया	6002	5243	11245	77.77	73.98	75.88
	नगर पंचायत तेंदूखेड़ा	3407	3078	6485	80.00	77.2	78.60
				126365			
जबलपुर	नगरपालिका निगम जबलपुर	343823	303850	647673	46.91	40.64	43.78
	नगरपालिका परिषद् सिहोरा	11538	10441	21979	55.00	45.00	50.00
	नगरपालिका परिषद् पनागर	7390	6740	14130	80.38	79.01	79.70
	नगर पंचायत बरेला	3281	2697	5978	84.48	85.42	84.95
	नगर पंचायत कटंगी	4975	4188	9163	71.63	69.36	70.50
	नगर पंचायत मझोली	4068	3837	7905	76.69	70.21	73.45
	नगर पंचायत पाटन	6154	5743	11897	76.66	71.40	74.03
	नगर पंचायत शाहपुरा	3484	3133	6617	86.82	86.53	86.68
				725342			
कटनी	नगरपालिका निगम कटनी	69578	62156	131734	57.61	53.63	55.62
	नगर पंचायत बरही	3690	3166	6856	77.26	76.66	76.96
	नगर पंचायत कैमोर	2607	7120	9727	55.99	57.44	56.72
	नगर पंचायत विजयराधनगढ़	2389	2249	4638	72.00	70.00	71.00
				152955			
नरसिंहपुर	नगरपालिका परिषद् नरसिंहपुर	18550	16972	35522	64.60	57.29	60.95
	नगरपालिका परिषद् गाडरवाड़	11551	10133	21684	73.00	67.00	70.00
	नगर पंचायत गोटेगांव	9079	8165	17244	68.82	62.09	65.46
	नगर पंचायत करेली	6810	5779	12589	70.18	64.33	67.26
				78039			
छिंदवाड़ा	नगरपालिका परिषद् छिंदवाड़ा	44133	40597	84730	61.16	58.64	59.90
	नगरपालिका परिषद् पांदुरना	12289	10952	23241	79.33	77.22	78.28
	नगरपालिका परिषद् जुनारदेव	7995	7296	15291	74.35	71.69	73.02
	नगरपालिका परिषद् डोंगरपरासिया	15093	13676	28769	62.98	60.39	61.69
	नगर पंचायत अमरवाड़ा	3549	3158	6707	77.74	76.31	77.03
	नगर पंचायत चांदामेटा	6029	5582	11611	72.59	69.18	70.89
	नगर पंचायत चौरई	3595	3237	6832	79.39	76.43	77.91
	नगर पंचायत हरई	2730	2563	5293	78.05	72.29	75.17
	नगर पंचायत लोधीखेड़ा	2743	2470	5213	90.70	87.80	89.25
	नगर पंचायत मोहगांव	2889	2735	5624	91.48	87.23	89.36
	नगर पंचायत न्यूटन चिखली	4379	4010	8389	70.24	66.33	68.29
	नगर पंचायत सौंसर	6853	6171	13024	81.96	79.51	80.74

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
नगरपालिका परिषद् सिवनी	30495	27092	57587	60.90	61.06	60.98
नगर पंचायत बरघाट	3544	3406	6950	81.35	80.85	81.10
नगर पंचायत लखनादौन	5494	5171	10665	68.28	62.82	65.55
नगरपालिका परिषद् मण्डला	20083	18475	38558	55.85	54.45	55.15
नगरपालिका परिषद् नैनपुर	9289	8693	17982	55.48	56.34	55.91
नगर पंचायत बम्हनी बंज	3474	3479	6953	73.35	69.42	71.39
			63493			
नगर पंचायत डिण्डोरी	3859	3497	7356	65.97	70.46	68.22
नगर पंचायत शहपुरा	2358	2130	4488	70.76	70.16	70.46
			11844			
नगरपालिका परिषद् बालाधाट	25354	23659	49013	65.38	64.66	65.02
नगरपालिका परिषद् वारासिवनी	8100	7877	15977	73.90	71.00	72.45
नगर पंचायत कटंगी	5675	5785	11460	68.00	68.00	68.00
नगर पंचायत बैहर	6051	6241	12292	58.00	53.34	55.67
नगरपालिक निगम रीवा	71393	54124	125517	53.49	53.44	53.47
नगर पंचायत बैकुण्ठपुर	2177	1937	4114	79.39	75.22	77.31
नगर पंचायत त्योथर	5229	4430	9659	73.50	75.91	74.71
नगर पंचायत गोविन्दगढ़	3364	3138	6502	74.03	74.03	74.03
नगर पंचायत गुढ़.	4726	4352	9078	73.76	72.58	73.17
नगर पंचायत हनुमना	4994	4384	9378	74.65	70.05	72.35
नगर पंचायत मनगांव	4291	3878	8169	72.45	67.25	69.85
नगर पंचायत मउगंज	7892	6786	14678	70.22	67.83	69.03
नगर पंचायत नईगढ़ी	3103	2974	6077	74.25	69.53	71.89
नगर पंचायत सेमरिया	3910	3403	7313	77.13	74.14	75.64
नगर पंचायत सिरमोर	4132	3507	7639	66.16	66.15	66.16
			208124			
नगरपालिक निगम सतना	77351	63830	141181	55.75	52.53	54.14
नगरपालिका परिषद् मैहर	12688	11434	24122	65.18	63.62	64.40
नगर पंचायत अमरपाटन	4976	4614	9590	33.45	37.52	35.49
नगर पंचायत बिरसिंहपुर	3992	3745	7737	77.30	72.92	75.11
नगर पंचायत जैतवाड़ा	3464	3555	7019	61.46	57.89	59.68
नगर पंचायत कोठी	2534	2363	4897	83.90	80.70	82.30
नगर पंचायत नागोद	5964	5355	11319	77.80	75.90	76.85
नगर पंचायत रामपुर	2891	2587	5478	74.82	69.38	72.10
नगर पंचायत उचेहरा	5868	5271	11139	73.00	68.00	70.50
नगर पंचायत चित्रकूट	6588	4503	11091	68.74	73.48	71.11
			233573			
नगरपालिका परिषद् शहडोल	24265	20230	44495	62.27	61.01	61.64
नगरपालिका परिषद् धनपुरी	15680	12638	28318	64.10	61.80	62.95
नगरपालिका परिषद् कोतमा	10605	8989	19594	61.86	58.97	60.42
नगर पंचायत बिजुरी	10121	8234	18355	56.55	51.42	53.99
नगर पंचायत बुढार	5460	5021	10481	75.54	71.32	73.43

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	नगर पंचायत जैसिंहनगर	2313	1963	4276	77.95	81.92	79.94
	नगर पंचायत खाण्ड	3936	3111	7047	69.00	67.80	68.40
	नगर पंचायत ब्योहारी	6589	5164	11753	70.02	75.60	72.81
उमरिया	नगर पंचायत चंदिया	4061	3758	7819	77.76	77.99	77.88
	नगर पंचायत पाली	4298	3773	8071	71.56	69.54	70.55
	नगर पंचायत नोराजाबाद	7709	6853	14562	62.96	55.58	59.27
सीधी	नगरपालिक निगम सिंगरौली	46042	42971	89013	73.52	57.73	65.63
	नगर पंचायत रामपुर नैकिन	3289	2897	6186	76.58	77.01	76.80
				30452			
				95199			
	प्रोग →	5129440	4426139	9555579	70.46	67.41	68.94
				955558 10/			
				10511137			

परिशिष्ट “बाईस-अ”

नगरपालिका निर्वाचन 1999

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों, निक्षेप राशि खोने वाले अभ्यर्थियों की  
संख्या तथा प्रतिशत (नगरपालिका निगम)

जिला	नगरीय निकाय का नाम	पद	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या	निक्षेप राशि खोने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	निक्षेप राशि खोने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	महापौर	8	6	75.00
		पार्षद	253	149	58.89
	बुरहानपुर	महापौर	10	8	80.00
		पार्षद	289	166	57.44
सागर	सागर	महापौर	7	5	71.43
		पार्षद	395	280	70.89
	रतलाम	महापौर	11	9	81.82
		पार्षद	280	171	61.07
भोपाल	भोपाल	महापौर	6	4	66.67
		पार्षद	569	411	72.23
इन्दौर	इन्दौर	महापौर	10	8	80.00
		पार्षद	687	546	79.48
सतना	सतना	महापौर	21	20	95.24
		पार्षद	452	356	78.76
कटनी	कटनी	महापौर	6	3	50.00
		पार्षद	297	197	66.33
सिंगरौली	सिंगरौली	महापौर	17	15	88.24
		पार्षद	428	333	77.80

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्रा	रीवा	महापौर पार्षद	9 413	7 318	77.78 77.00
ग्रास	देवास	महापौर पार्षद	9 261	7 153	77.78 58.62
ग्रालियर	ग्रालियर	महापौर पार्षद	6 570	4 510	66.67 89.47
ग्रामलपुर	जबलपुर	महापौर पार्षद	16 560	14 428	87.50 76.43
ग्रामहायोग	ग्रामहायोग	महापौर पार्षद	136 5454	110 4018	80.88 73.67

नीम

रत्न

शाजाहान

परिशिष्ट "बाईस-ब"

नगरपालिका निर्वाचन 1999

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों, निक्षेप राशि खोने वाले अभ्यर्थियों की  
संख्या तथा प्रतिशत

जिला	नगरीय निकाय का नाम	पद	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या	निक्षेप राशि खोने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	निक्षेप राशि खोने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रना	1 मुरैना	अध्यक्ष	6	4	66.67
		पार्षद	181	89	49.17
	2 अम्बाह	अध्यक्ष	5	3	60.00
		पार्षद	85	31	36.47
	3 सबलगढ़	अध्यक्ष	9	6	66.67
		पार्षद	121	88	72.73
	4 पोरसा	अध्यक्ष	9	8	88.89
		पार्षद	64	26	40.63
पुर	5 श्योपुर	अध्यक्ष	10	8	80.00
		पार्षद	81	32	39.51
ण्ड	6 भिण्ड	अध्यक्ष	14	11	78.57
		पार्षद	268	169	63.06
	7 गोहद	अध्यक्ष	4	1	25.00
		पार्षद	98	51	52.04
	8 डबरा	अध्यक्ष	9	7	77.78
		पार्षद	141	82	58.16
तुरी	9 शिवपुरी	अध्यक्ष	12	10	83.33
		पार्षद	241	142	58.92
या	10 दतिया	अध्यक्ष	18	16	88.89
		पार्षद	180	106	58.89
	11 गुना	अध्यक्ष	12	10	83.33
		पार्षद	242	157	64.88
	12 अशोकनगर	अध्यक्ष	8	6	75.00
		पार्षद	116	65	56.03
	13 चन्द्रेरी	अध्यक्ष	13	11	84.62
		पार्षद	80	25	31.25
	14 नीमच	अध्यक्ष	13	11	84.62
		पार्षद	168	80	47.62
गम	15 जावरा	अध्यक्ष	8	4	50.00
		पार्षद	115	52	45.22
	16 शाजापुर	अध्यक्ष	10	8	80.00
		पार्षद	69	17	24.64
	17 आगर	अध्यक्ष	12	10	83.33
		पार्षद	93	47	50.54

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	18 शुजालपुर	अध्यक्ष	5	3	60.00
		पार्षद	74	27	36.49
	19 बड़नगर	अध्यक्ष	3	1	33.33
		पार्षद	68	30	44.12
	20 खाचरोद	अध्यक्ष	3	0	0.00
		पार्षद	51	13	25.49
राजगढ़	21 महिदपुर	अध्यक्ष	5	3	60.00
		पार्षद	76	33	43.42
	22 नागदा	अध्यक्ष	5	3	60.00
		पार्षद	175	88	50.29
	23 व्यावरा	अध्यक्ष	9	7	77.78
		पार्षद	86	42	48.84
सीहोर	24 नरसिंहगढ़	अध्यक्ष	4	2	50.00
		पार्षद	74	37	50.00
	25 सारंगपुर	अध्यक्ष	4	2	50.00
		पार्षद	111	64	57.66
	26 सीहोर	अध्यक्ष	7	5	71.43
		पार्षद	165	92	55.76
विदिशा	27 आष्टा	अध्यक्ष	9	6	66.67
		पार्षद	73	34	46.58
	28 विदिशा	अध्यक्ष	6	4	66.67
		पार्षद	162	71	43.83
	29 बासोदा	अध्यक्ष	9	6	66.67
		पार्षद	107	46	42.99
रायसेन	30 सिरोंज	अध्यक्ष	6	4	66.67
		पार्षद	117	68	58.12
	31 रायसेन	अध्यक्ष	5	3	60.00
		पार्षद	76	31	40.79
	32 बेगमगंज	अध्यक्ष	5	2	40.00
		पार्षद	84	37	44.05
बैतूल	33 बैतूल	अध्यक्ष	5	3	60.00
		पार्षद	149	73	48.99
	34 आमला	अध्यक्ष	13	11	84.62
		पार्षद	98	52	53.06
	35 सारणी	अध्यक्ष	10	7	70.00
		पार्षद	268	178	66.42
होशंगाबाद	36 होशंगाबाद	अध्यक्ष	10	8	80.00
		पार्षद	161	84	52.17
	37 सिवनीमालवा	अध्यक्ष	4	2	50.00
		पार्षद	43	11	25.58
	38 इटारसी	अध्यक्ष	8	6	75.00
		पार्षद	154	77	50.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	39 पिपरिया	अध्यक्ष	3	1	33.33
		पार्षद	72	30	41.67
बुआ	40 झाबुआ	अध्यक्ष	3	1	33.33
		पार्षद	66	23	34.85
	41 अलिराजपुर	अध्यक्ष	2	0	0.00
		पार्षद	41	6	14.63
र	42 धार	अध्यक्ष	8	5	62.50
		पार्षद	136	59	43.38
	43 मनावर	अध्यक्ष	6	4	66.67
		पार्षद	41	10	24.39
गोन	44 खरगौन	अध्यक्ष	6	3	50.00
		पार्षद	159	78	49.06
	45 सनावद	अध्यक्ष	3	1	33.33
		पार्षद	51	14	27.45
पानी	46 बड़वाह	अध्यक्ष	4	1	25.00
		पार्षद	48	10	20.83
	47 सेंधवा	अध्यक्ष	9	0	0.00
		पार्षद	96	0	0.00
	48 बड़वानी	अध्यक्ष	7	5	71.43
		पार्षद	94	38	40.43
डवा	49 नेपानगर	अध्यक्ष	3	0	0.00
		पार्षद	92	28	30.43
मगढ़	50 टीकमगढ़	अध्यक्ष	11	7	63.64
		पार्षद	150	78	52.00
पुर	51 छतरपुर	अध्यक्ष	6	3	50.00
		पार्षद	159	75	47.17
	52 नौगांव	अध्यक्ष	6	3	50.00
		पार्षद	82	47	57.32
	53 पन्ना	अध्यक्ष	10	8	80.00
		पार्षद	87	37	42.53
	54 देवरी	अध्यक्ष	7	5	71.43
		पार्षद	54	19	35.19
	55 बीना	अध्यक्ष	5	2	40.00
		पार्षद	110	55	50.00
	56 खुरई	अध्यक्ष	6	3	50.00
		पार्षद	84	35	41.67
	57 गढ़कोटा	अध्यक्ष	4	2	50.00
		पार्षद	67	26	38.81
	58 रहली	अध्यक्ष	4	2	50.00
		पार्षद	63	30	47.62
	59 दमोह	अध्यक्ष	11	8	72.73
		पार्षद	187	103	55.08
	60 हटा	अध्यक्ष	10	8	80.00
		पार्षद	74	35	47.30

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	61 सिहोरा	अध्यक्ष	7	4	57.14
		पार्षद	87	39	44.83
नरसिंहपुर	62 पनागर	अध्यक्ष	7	5	71.43
		पार्षद	66	28	42.42
छिंदवाड़ा	63 नरसिंहपुर	अध्यक्ष	7	5	71.43
		पार्षद	91	36	39.56
छिंदवाड़ा	64 गाडरवाड़ा	अध्यक्ष	5	2	40.00
		पार्षद	80	31	38.75
सेवनी	65 छिंदवाड़ा	अध्यक्ष	5	3	60.00
		पार्षद	217	123	56.68
मण्डला	66 पांडुरना	अध्यक्ष	4	2	50.00
		पार्षद	137	67	48.91
बालाघाट	67 जुन्नारदेव	अध्यक्ष	6	3	50.00
		पार्षद	82	36	43.90
मतना	68 डोंगरपरासिया	अध्यक्ष	6	4	66.67
		पार्षद	77	29	37.66
गहडोल	69 सिवनी	अध्यक्ष	16	14	87.50
		पार्षद	176	120	68.18
गहडोल	70 मण्डला	अध्यक्ष	13	10	76.92
		पार्षद	139	78	56.12
गहडोल	71 नैनपुर	अध्यक्ष	5	2	40.00
		पार्षद	60	24	40.00
गहडोल	72 बालाघाट	अध्यक्ष	10	8	80.00
		पार्षद	189	109	57.67
गहडोल	73 वारासिवनी	अध्यक्ष	9	7	77.78
		पार्षद	66	25	37.88
गहडोल	74 मैहर	अध्यक्ष	15	13	86.67
		पार्षद	125	82	65.60
गहडोल	75 शहडोल	अध्यक्ष	11	8	72.73
		पार्षद	185	113	61.08
गहडोल	76 धनपुरी	अध्यक्ष	8	6	75.00
		पार्षद	130	68	52.31
गहडोल	77 कोतमा	अध्यक्ष	10	8	80.00
		पार्षद	80	48	60.00
<b>शोग</b>		<b>अध्यक्ष</b>	<b>585</b>	<b>398</b>	<b>68.03</b>
		<b>पार्षद</b>	<b>8715</b>	<b>4339</b>	<b>49.79</b>

परिशिष्ट “बाईस-स”

नगरपालिका निर्वाचन 1999

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों, निक्षेप राशि खोने वाले अभ्यर्थियों की  
संख्या तथा प्रतिशत

जिला	नगरीय निकाय का नाम	पद	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या	निक्षेप राशि खोने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	निक्षेप राशि खोने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नाम	झुंडपुरा	अध्यक्ष	8	5	62.50
		पार्षद	41	7	17.07
	कैलारस	अध्यक्ष	6	2	33.33
		पार्षद	69	3	4.35
	जौरा	अध्यक्ष	19	17	89.47
		पार्षद	92	55	59.78
	बानमोर	अध्यक्ष	11	9	81.82
		पार्षद	54	17	31.48
गोपुर	बड़ोदा	अध्यक्ष	8	6	75.00
		पार्षद	78	39	50.00
	विजयपुर	अध्यक्ष	11	8	72.73
		पार्षद	74	38	51.35
गण्ड	मेंहगांव	अध्यक्ष	11	9	81.82
		पार्षद	84	50	59.52
	फूफ	अध्यक्ष	9	5	55.56
		पार्षद	61	21	34.43
	अकोड़ा	अध्यक्ष	8	5	62.50
		पार्षद	47	9	19.15
	मिहोना	अध्यक्ष	8	6	75.00
		पार्षद	49	15	30.61
	आलमपुर	अध्यक्ष	4	3	75.00
		पार्षद	20	7	35.00
	गोरमी	अध्यक्ष	19	12	63.16
		पार्षद	68	36	52.94
	मौ	अध्यक्ष	20	18	90.00
		पार्षद	71	33	46.48
	लहार	अध्यक्ष	5	3	60.00
		पार्षद	44	14	31.82
	दबोह	अध्यक्ष	1	0	0.00
		पार्षद	40	9	22.50
लेयर	बिलौआ	अध्यक्ष	11	9	81.82
		पार्षद	61	21	34.43
	आंतरी	अध्यक्ष	14	13	92.86
		पार्षद	57	17	29.82

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शिवपुरी	पिछोर	अध्यक्ष	5	2	40.00
		पार्षद	45	10	22.22
	भित्रवार	अध्यक्ष	15	13	86.67
		पार्षद	101	64	63.37
	करेरा	अध्यक्ष	16	15	93.75
		पार्षद	87	53	60.92
	पिछोर	अध्यक्ष	12	11	91.67
		पार्षद	65	34	52.31
	कोलारस	अध्यक्ष	9	7	77.78
		पार्षद	48	18	37.50
दतिया	खनियाधाना	अध्यक्ष	5	3	60.00
		पार्षद	68	21	30.88
	बद्रवास	अध्यक्ष	7	5	71.43
		पार्षद	45	14	31.11
	भांडेर	अध्यक्ष	11	9	81.82
		पार्षद	60	22	36.67
	इन्द्रगढ़	अध्यक्ष	7	5	71.43
		पार्षद	49	15	30.61
	सेंवढ़ा	अध्यक्ष	14	13	92.86
		पार्षद	61	16	26.23
गुना	मुंगाबली	अध्यक्ष	10	8	80.00
		पार्षद	81	50	61.73
	चांचोड़ा बीनागंज	अध्यक्ष	19	9	47.37
		पार्षद	91	55	60.44
	कुम्भराज	अध्यक्ष	6	4	66.67
		पार्षद	59	24	40.68
	आरोन	अध्यक्ष	15	14	93.33
		पार्षद	76	40	52.63
मन्दसौर	नगरी	अध्यक्ष	9	7	77.78
		पार्षद	52	20	38.46
	गरोढ़	अध्यक्ष	4	2	50.00
		पार्षद	74	42	56.76
	नारायणगढ़	अध्यक्ष	5	2	40.00
		पार्षद	53	17	32.08
	पिपल्यामंडी	अध्यक्ष	7	5	71.43
		पार्षद	65	26	40.00
	मल्हारगढ़	अध्यक्ष	8	5	62.50
		पार्षद	77	34	44.16
सीतामऊ	सीतामऊ	अध्यक्ष	18	16	88.89
		पार्षद	92	54	58.70
	शासगढ़	अध्यक्ष	10	7	70.00
		पार्षद	79	40	50.63

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मच	भानपुरा	अध्यक्ष	3	1	33.33
		पार्षद	33	5	15.15
	डिकेन	अध्यक्ष	4	2	50.00
		पार्षद	48	14	29.17
	रतनगढ़	अध्यक्ष	4	2	50.00
		पार्षद	52	16	30.77
	सिंगोली	अध्यक्ष	5	3	60.00
		पार्षद	49	19	38.78
	मनासा	अध्यक्ष	4	1	25.00
		पार्षद	88	44	50.00
लाम	रामपुरा	अध्यक्ष	4	2	50.00
		पार्षद	41	15	36.59
	जावद	अध्यक्ष	7	5	71.43
		पार्षद	56	16	28.57
	जीरन	अध्यक्ष	8	6	75.00
		पार्षद	51	16	31.37
	सैलाना	अध्यक्ष	4	0	0.00
		पार्षद	57	22	38.60
	आलोट	अध्यक्ष	11	9	81.82
		पार्षद	75	37	49.33
न	नामली	अध्यक्ष	6	3	50.00
		पार्षद	54	22	40.74
	बड़ावदा	अध्यक्ष	3	1	33.33
		पार्षद	38	7	18.42
	पिपलोदा	अध्यक्ष	7	4	57.14
		पार्षद	49	10	20.41
	ताल	अध्यक्ष	5	2	40.00
		पार्षद	63	26	41.27
	तराना	अध्यक्ष	11	7	63.64
		पार्षद	77	42	54.55
प	उन्हेल	अध्यक्ष	3	0	0.00
		पार्षद	63	20	31.75
	भौंरासा	अध्यक्ष	6	3	50.00
		पार्षद	43	7	16.28
	हाटपिपल्या	अध्यक्ष	2	0	0.00
		पार्षद	70	34	48.57
	सोनकच्छ	अध्यक्ष	4	2	50.00
		पार्षद	41	11	26.83
	लोहरदा	अध्यक्ष	6	4	66.67
		पार्षद	35	3	8.57
सतवास	सतवास	अध्यक्ष	4	1	25.00
		पार्षद	31	2	6.45

1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	खातेगांव	अध्यक्ष	8	5	62.50
		पार्षद	73	38	52.05
	बागली	अध्यक्ष	8	5	62.50
		पार्षद	60	20	33.33
	कन्नौद	अध्यक्ष	6	4	66.67
		पार्षद	46	16	34.78
	कांटाफोड़	अध्यक्ष	3	0	0.00
		पार्षद	45	13	28.89
	करनावद	अध्यक्ष	6	4	66.67
		पार्षद	37	7	18.92
त्रु	मक्सी	अध्यक्ष	4	3	75.00
		पार्षद	28	4	14.29
	अकोदिया	अध्यक्ष	3	1	33.33
		पार्षद	31	10	32.26
	पोलायकला	अध्यक्ष	5	3	60.00
		पार्षद	47	15	31.91
	सुसनेर	अध्यक्ष	5	2	40.00
		पार्षद	61	19	31.15
	बड़गांव	अध्यक्ष	7	5	71.43
		पार्षद	43	10	23.26
	बड़ोद	अध्यक्ष	10	7	70.00
		पार्षद	43	14	32.56
	नलखेड़ा	अध्यक्ष	8	4	50.00
		पार्षद	53	15	28.30
	सोयतकला	अध्यक्ष	8	5	62.50
		पार्षद	56	19	33.93
	कानड़	अध्यक्ष	5	3	60.00
		पार्षद	51	17	33.33
	सुठालिया	अध्यक्ष	8	5	62.50
		पार्षद	64	28	43.75
	तलेन	अध्यक्ष	10	3	30.00
		पार्षद	60	22	36.67
	खुजनेर	अध्यक्ष	9	7	77.78
		पार्षद	66	28	42.42
	पचोर	अध्यक्ष	11	9	81.82
		पार्षद	98	64	65.31
	राजगढ़	अध्यक्ष	17	15	88.24
		पार्षद	120	88	73.33
	जीरापुर	अध्यक्ष	10	8	80.00
		पार्षद	98	63	64.29
	खिलचीपुर	अध्यक्ष	12	10	83.33
		पार्षद	86	51	59.30

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
વિદ્યાસા	બોડી	અધ્યક્ષ	8	5	62.50
		પાર્ષદ	60	23	38.33
	માચલપુર	અધ્યક્ષ	6	4	66.67
		પાર્ષદ	59	21	35.59
સીહોર	કુરવાઈ	અધ્યક્ષ	11	9	81.82
		પાર્ષદ	78	42	53.85
	લટેરી	અધ્યક્ષ	6	4	66.67
		પાર્ષદ	63	23	36.51
સીહોર	ઇછાવર	અધ્યક્ષ	5	3	60.00
		પાર્ષદ	56	20	35.71
	બુદની	અધ્યક્ષ	20	12	60.00
		પાર્ષદ	70	31	44.29
ખોપાલ	રેહટી	અધ્યક્ષ	6	3	50.00
		પાર્ષદ	74	38	51.35
	નસરુલ્લાગંજ	અધ્યક્ષ	14	13	92.86
		પાર્ષદ	85	50	58.82
રાયસેન	જાવર	અધ્યક્ષ	5	3	60.00
		પાર્ષદ	46	9	19.57
	બેરસિયા	અધ્યક્ષ	12	11	91.67
		પાર્ષદ	98	62	63.27
બૈતૂલ	બાડી	અધ્યક્ષ	8	5	62.50
		પાર્ષદ	77	37	48.05
	ઓબેદુલ્લાગંજ	અધ્યક્ષ	7	4	57.14
		પાર્ષદ	46	14	30.43
હોશંગાબાદ	સુલ્તાનપુર	અધ્યક્ષ	7	4	57.14
		પાર્ષદ	57	21	36.84
	બરેલી	અધ્યક્ષ	11	8	72.73
		પાર્ષદ	85	48	56.47
હરદા	ઉદ્યપુરા	અધ્યક્ષ	5	3	60.00
		પાર્ષદ	49	16	32.65
	મુલતાઈ	અધ્યક્ષ	9	6	66.67
		પાર્ષદ	112	75	66.96
હરદા	બૈતૂલ બાજાર	અધ્યક્ષ	4	2	50.00
		પાર્ષદ	44	13	29.55
	બાબી	અધ્યક્ષ	3	1	33.33
		પાર્ષદ	66	37	56.06
હરદા	સોહાગપુર	અધ્યક્ષ	7	4	57.14
		પાર્ષદ	70	35	50.00
	ટિમરની	અધ્યક્ષ	15	12	80.00
		પાર્ષદ	72	39	54.17
હરદા	ખિરકિયા	અધ્યક્ષ	7	4	57.14
		પાર્ષદ	50	14	28.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	जोबट	अध्यक्ष	4	1	25.00
		पार्षद	46	11	23.91
भाभरा		अध्यक्ष	4	2	50.00
		पार्षद	65	32	49.23
पेटलावद		अध्यक्ष	4	2	50.00
		पार्षद	75	40	53.33
थांदला		अध्यक्ष	4	1	25.00
		पार्षद	58	20	34.48
इन्दौर	बेटमा	अध्यक्ष	3	0	0.00
		पार्षद	62	22	35.48
देपालपुर		अध्यक्ष	4	2	50.00
		पार्षद	15	52	346.67
गौतमपुरा		अध्यक्ष	2	0	0.00
		पार्षद	55	22	40.00
हातोद		अध्यक्ष	5	2	40.00
		पार्षद	58	20	34.48
महूगांव		अध्यक्ष	46	13	28.26
		पार्षद	3	0	0.00
मानपुर		अध्यक्ष	5	2	40.00
		पार्षद	15	8	53.33
राउ		अध्यक्ष	3	1	33.33
		पार्षद	42	11	26.19
सांवेर		अध्यक्ष	4	2	50.00
		पार्षद	56	20	35.71
धार	धामनोद	अध्यक्ष	3	0	0.00
		पार्षद	47	9	19.15
धरमपुरी		अध्यक्ष	5	1	20.00
		पार्षद	48	15	31.25
कुक्की		अध्यक्ष	10	8	80.00
		पार्षद	50	18	36.00
राजगढ़		अध्यक्ष	4	1	25.00
		पार्षद	43	10	23.26
सरदारपुर		अध्यक्ष	4	2	50.00
		पार्षद	48	19	39.58
बदनावर		अध्यक्ष	3	0	0.00
		पार्षद	71	37	52.11
खरगौन	मण्डलेश्वर	अध्यक्ष	5	3	60.00
		पार्षद	49	16	32.65
महेश्वर		अध्यक्ष	6	4	66.67
		पार्षद	53	14	26.42
कसरावद		अध्यक्ष	6	3	50.00
		पार्षद	57	24	42.11

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	भीकनगांव	अध्यक्ष	5	2	40.00
		पार्षद	56	22	39.29
नानी	खेतिया	अध्यक्ष	2	0	0.00
		पार्षद	15	4	26.67
	पानसेमल	अध्यक्ष	5	3	60.00
		पार्षद	45	9	20.00
	अंजड़	अध्यक्ष	5	3	60.00
		पार्षद	34	3	8.82
	राजपुर	अध्यक्ष	7	4	57.14
		पार्षद	54	17	31.48
त्रा	शाहपुर	अध्यक्ष	3	.1	33.33
		पार्षद	32	2	6.25
	हरसूद	अध्यक्ष	9	7	77.78
		पार्षद	81	43	53.09
	मूंदी	अध्यक्ष	4	1	25.00
		पार्षद	54	20	37.04
	पंधाना	अध्यक्ष	9	8	88.89
		पार्षद	53	20	37.74
नाड़	बलंदेवगढ़	अध्यक्ष	8	6	75.00
		पार्षद	81	46	56.79
	बड़ागांव	अध्यक्ष	10	9	90.00
		पार्षद	72	29	40.28
	जतारा	अध्यक्ष	15	8	53.33
		पार्षद	86	25	29.07
	जैरोनखालसा	अध्यक्ष	8	5	62.50
		पार्षद	54	13	24.07
	कारी	अध्यक्ष	6	2	33.33
		पार्षद	54	12	22.22
	खरगापुर	अध्यक्ष	14	12	85.71
		पार्षद	63	33	52.38
	लिधोराखास	अध्यक्ष	23	22	95.65
		पार्षद	78	39	50.00
	निवाड़ी	अध्यक्ष	28	21	75.00
		पार्षद	91	52	57.14
	पलेरा	अध्यक्ष	12	10	83.33
		पार्षद	85	46	54.12
	पृथ्वीपुर	अध्यक्ष	19	18	94.74
		पार्षद	74	34	45.95
	तरीचरकला	अध्यक्ष	13	11	84.62
		पार्षद	51	16	31.37
पुर	हरपालपुर	अध्यक्ष	15	13	86.67
		पार्षद	101	65	64.36

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	सटई	अध्यक्ष	13	11	84.62
		पार्षद	91	18	19.78
	बिजावर	अध्यक्ष	18	16	88.89
		पार्षद	99	58	58.59
	बड़ामलहरा	अध्यक्ष	19	17	89.47
		पार्षद	99	69	69.70
	बकस्वाहा	अध्यक्ष	10	5	50.00
		पार्षद	62	10	16.13
	बारीगढ़	अध्यक्ष	24	23	95.83
		पार्षद	75	38	50.67
	महाराजपुर	अध्यक्ष	10	8	80.00
		पार्षद	58	24	41.38
	चन्दला	अध्यक्ष	30	29	96.67
		पार्षद	50	16	32.00
	लौंडी	अध्यक्ष	10	8	80.00
		पार्षद	55	19	34.55
	खजुराहो	अध्यक्ष	7	6	85.71
		पार्षद	65	39	60.00
	राजनगर	अध्यक्ष	6	3	50.00
		पार्षद	61	29	47.54
	गढ़ीमलहरा	अध्यक्ष	6	4	66.67
		पार्षद	72	36	50.00
पना	ककरहटी	अध्यक्ष	7	3	42.86
		पार्षद	47	18	38.30
	देवेन्द्रनगर	अध्यक्ष	5	3	60.00
		पार्षद	37	5	13.51
	अजयगढ़	अध्यक्ष	17	16	94.12
		पार्षद	92	57	61.96
	अमानगंज	अध्यक्ष	8	5	62.50
		पार्षद	60	25	41.67
	पवई	अध्यक्ष	18	16	88.89
		पार्षद	63	26	41.27
सागर	शाहगढ़	अध्यक्ष	13	11	84.62
		पार्षद	93	57	61.29
	राहतगढ़	अध्यक्ष	7	5	71.43
		पार्षद	70	39	55.71
	बण्डा	अध्यक्ष	12	10	83.33
		पार्षद	71	44	61.97
	शाहपुर	अध्यक्ष	17	15	88.24
		पार्षद	55	20	36.36
दमोह	हिन्डोरिया	अध्यक्ष	12	10	83.33
		पार्षद	57	22	38.60

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टनी	तेन्दुखेड़ा	अध्यक्ष	5	2	40.00
		पार्षद	59	24	40.68
	पथरिया	अध्यक्ष	20	18	90.00
		पार्षद	93	57	61.29
	बरही	अध्यक्ष	18	17	94.44
		पार्षद	91	56	61.54
	कैमोर	अध्यक्ष	21	20	95.24
		पार्षद	99	64	64.65
	विजयराघवगढ़	अध्यक्ष	17	16	94.12
		पार्षद	69	28	40.58
रसिंहपुर	करेली	अध्यक्ष	6	2	33.33
		पार्षद	60	24	40.00
	गोटेगांव	अध्यक्ष	9	6	6.65
		पार्षद	64	32	50.00
छंदवाड़ा	मोहगांव	अध्यक्ष	7	4	57.14
		पार्षद	65	29	44.62
	लोधीखेड़ा	अध्यक्ष	5	3	60.00
		पार्षद	56	22	39.29
सौंसर	सौंसर	अध्यक्ष	6	2	33.33
		पार्षद	75	37	49.33
	हर्रई	अध्यक्ष	11	9	81.82
		पार्षद	67	29	43.28
न्युटनचिखली	न्युटनचिखली	अध्यक्ष	7	4	57.14
		पार्षद	67	30	44.78
	चांदामेटा बुटारिया	अध्यक्ष	4	1	25.00
		पार्षद	70	54	77.14
चौरई	चौरई	अध्यक्ष	6	4	66.67
		पार्षद	64	29	45.31
	अमरवाड़ा	अध्यक्ष	8	6	75.00
		पार्षद	77	41	53.25
नवनी	बरघाट	अध्यक्ष	3	1	33.33
		पार्षद	67	31	46.27
	लखनादौन	अध्यक्ष	12	10	83.33
		पार्षद	76	40	52.63
डला	बम्हनीबंजर	अध्यक्ष	8	5	62.50
		पार्षद	68	24	35.29
डिण्डोरी	डिण्डोरी	अध्यक्ष	17	16	94.12
		पार्षद	82	47	57.32
शहपुरा	शहपुरा	अध्यक्ष	2	2	100.00
		पार्षद	66	28	42.42
जाघाट	कटंगी	अध्यक्ष	6	3	50.00
		पार्षद	72	33	45.83

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	बैहर	अध्यक्ष	4	1	25.00
		पार्षद	43	8	18.60
	बैकुण्ठपुर	अध्यक्ष	20	11	55.00
		पार्षद	73	31	42.47
	सिरमौर	अध्यक्ष	8	6	75.00
		पार्षद	59	17	28.81
	नईगढ़ी	अध्यक्ष	14	13	92.86
		पार्षद	53	13	24.53
	गोविन्दगढ़	अध्यक्ष	14	13	92.86
		पार्षद	68	36	52.94
	गूढ़	अध्यक्ष	27	17	62.96
		पार्षद	67	24	35.82
सतना	सेमरिया	अध्यक्ष	17	16	94.12
		पार्षद	72	33	45.83
	मनगवां	अध्यक्ष	8	6	75.00
		पार्षद	78	46	58.97
	त्योंथर	अध्यक्ष	23	22	95.65
		पार्षद	97	31	31.96
	मउगंज	अध्यक्ष	28	27	96.43
		पार्षद	104	65	62.50
	हनुमना	अध्यक्ष	21	20	95.24
		पार्षद	96	56	58.33
	कोठी	अध्यक्ष	6	4	66.67
		पार्षद	51	45	88.24
शहडोल	रामपुरबघेलान	अध्यक्ष	8	7	87.50
		पार्षद	51	15	29.41
	चित्रकूट	अध्यक्ष	34	24	70.59
		पार्षद	95	57	60.00
	जैतवाड़ा	अध्यक्ष	7	5	71.43
		पार्षद	63	25	39.68
	नागोद	अध्यक्ष	19	0	0.00
		पार्षद	98	67	68.37
	उचेहरा	अध्यक्ष	15	12	80.00
		पार्षद	77	41	53.25
	अमरपाटन	अध्यक्ष	12	10	83.33
		पार्षद	89	54	60.67
बिजुरी	बिरसिंहपुर	अध्यक्ष	9	7	77.78
		पार्षद	47	9	19.15
	बुढ़ार	अध्यक्ष	19	18	94.74
		पार्षद	73	36	49.32
	बिजुरी	अध्यक्ष	13	12	92.31
		पार्षद	82	42	51.22

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रेया	जयसिंहनगर	अध्यक्ष	4	1	25.00
		पार्षद	66	28	42.42
	ब्योहारी	अध्यक्ष	18	17	94.44
		पार्षद	71	26	36.62
	खाण्ड	अध्यक्ष	13	12	92.31
		पार्षद	82	42	51.22
	पाली	अध्यक्ष	6	2	33.33
		पार्षद	88	22	25.00
	चन्द्रिया	अध्यक्ष	15	14	93.33
		पार्षद	93	57	61.29
रामपुरनैकिन	नोरोजाबाद	अध्यक्ष	7	4	57.14
		पार्षद	77	39	50.00
	रामपुरनैकिन	अध्यक्ष	19	18	94.74
		पार्षद	69	31	44.93
गोंग →		अध्यक्ष	2,064	1,488	72.09
		पार्षद	13,528	6,046	44.69

## नगरपालिका निर्वाचन 1999

राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों की संख्या और जमानत खोने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिशत

दल का नाम	दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों की संख्या						निर्वाचित अभ्यर्थियों की संख्या						जमानत खोने वाले अभ्यर्थियों की संख्या					
	न. या. निगम	नगरपालिका परिषद्		कुल		नगरपालिका परिषद्	नगरपालिका निगम		कुल		नगरपालिका निगम	कुल		नगरपालिका निगम	कुल			
		महापौर (2)	अध्यक्ष (3)	पार्षद (4)	महापौर/अ. (5)	पार्षद (6)	महापौर (7)	पार्षद (8)	अध्यक्ष (9)	पार्षद (10)	महापौर/अ. (11)	पार्षद (12)	महापौर (13)	पार्षद (14)	अध्यक्ष (15)	पार्षद (16)	अध्यक्ष (17)	पार्षद (18)
1 भारतीय जनता पार्टी	18	916	94	2124	3112	3040	9	416	40	869	49	1285	1	180	8	278	9	458
2 ईडियन नेशनल कांग्रेस	17	854	92	2082	109	2936	5	284	34	797	39	1081	2	205	6	247	8	452
3 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी	4	95	10	96	14	191	0	3	0	1	0	4	4	94	10	83	14	177
4 भा.कृ.पा. (मार्क्सवादी)	3	53	6	43	9	96	0	3	1	3	1	6	3	40	4	34	7	74
5 जनता दल	4	102	9	65	13	168	0	4	0	1	0	5	4	88	6	46	10	134
6 जनता दल सेक्युलर	1	32	3	10	4	42	0	0	0	0	0	0	1	31	1	10	2	41
7 जनता दल युनाइटेड	4	128	15	94	19	222	0	3	0	0	0	3	4	113	12	90	16	203
8 जनता पार्टी	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 बहुजन समाज पार्टी	14	407	62	564	76	971	0	30	0	33	0	63	13	338	55	416	68	754
योग	65	2587	292	5079	357	7667	14	743	75	1704	89	2447	32	1089	102	1204	134	2293

**परिशिष्ट “चौबीस”**

**नगरपालिका निर्वाचन 1999**

**नगरपालिका निर्वाचन के दौरान प्राप्त शिकायतों का विवरण**

क्र.	जिला	प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या	शिकायतें जिन्हें कि			जांच में सही पाई गई शिकायतों की संख्या
			तुच्छ या अस्पष्ट होने के कारण नस्तीबद्ध	जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजा गया	निराकरण के लिये जांच प्रतिवेदन के लिये	
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	रीवा	36	21	7	8	0
	शहडोल	8	6	1	1	0
	सतना	25	14	6	5	0
	सीधी	5	1	4	0	0
	उमरिया	4	3	0	1	0
	सागर	28	23	3	2	0
	छतरपुर	11	9	1	1	0
	टीकमगढ़	27	20	4	3	0
	दमोह	20	16	3	1	0
	पन्ना	8	5	3	0	0
	होशंगाबाद	9	8	0	1	0
	हरदा	2	1	1	0	0
	भोपाल	68	37	16	15	0
	राजगढ़	11	8	2	1	0
	सीहोर	6	3	0	3	0
	रायसेन	7	6	0	1	0
	विदिशा	11	8	3	0	0
	बैतूल	8	6	1	1	0
	जबलपुर	16	10	5	1	0
	नरसिंहपुर	9	5	4	0	0
	कटनी	16	13	2	1	0
	मण्डला	2	1	1	0	0
	डिण्डोरी	0	0	0	0	0
	बालाघाट	4	3	0	1	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छिन्दवाड़ा सिवंनी	12 1		11 1	1 0	0 0	0 0
श्योपुर	1		1	0	0	0
मुरैना	20		9	7	4	0
भिण्ड	12		8	2	2	0
ग्वालियर	31		26	3	2	0
गुना	19		12	7	0	0
दतिया	10		7	1	2	0
शिवपुरी	2		1	0	1	0
इन्दौर	43		20	15	8	0
खण्डवा	14		9	3	2	0
धार	7		4	3	0	0
बड़वानी	7		5	1	1	0
खरगोन	5		5	0	0	0
झाबुआ	12		8	2	2	0
उज्जैन	17		9	7	1	0
शाजापुर	8		6	1	1	0
देवास	15		5	7	3	0
रतलाम	20		14	3	3	0
नीमच	3		2	1	0	0
मन्दसौर	6		3	2	1	0
योग . . .	606		393	133	80	0

**परिशिष्ट “पच्चीस”**

**नगरपालिका आम चुनाव 1999 पर हुए व्यय का मदवार विवरण**

स.क्र.	मद	व्यय (रुपये)
--------	----	-----------------

**I मतदाता सूची पर व्यय**

1. प्रारूप मतदाता सूची के टंकण/फोटोकापी/स्टेशनरी पर व्यय	322000
2. नगरपालिका निगम की प्रारूप मतदाता सूची पर दावा-आपत्ति प्राप्त करने हेतु पी.ओ.एल. पर व्यय	209000
3. मतदाता सूची के मुद्रण पर व्यय	6542000
<b>योग:-I</b>	<b>7073000</b>

**II निर्वाचन के संचालन पर व्यय**

1. स्टेशनरी पर व्यय	1324000
2. आकस्मिक व्यय	4750000
3. वाहन अधिग्रहण एवं पी.ओ.एल. पर व्यय	5614000
4. मतदान दलों को मानदेय (प्रशिक्षण एवं मतदान कार्य हेतु)	8746000
5. मतदान केन्द्र के पीठासीन/मतदान अधिकारियों को भोजन/नाश्ता पर व्यय	906000
6. मतगणना के समय, मतगणना दलों के लिये हल्के जलपान पर व्यय	532000
7. मतपत्रों के मुद्रण पर व्यय	246000
8. अन्य प्रपत्रों के मुद्रण पर व्यय	39000
9. लोहे के बक्सों के क्रय पर व्यय	228000
10. मतपेटियां एवं अन्य निर्वाचन सामग्रियों के किराये पर व्यय	139000
11. यन्त्रा भत्ता पर व्यय	791000
<b>योग:-II</b>	<b>23315000</b>
<b>कुल योग:-I+II</b>	<b>30388000</b>

हस्ता./-  
(एस. के. शर्मा)  
वित्तीय सलाहकार एवं  
मुख्य लेखाधिकारी,